



This is a digitally signed Gazette, to verify click here.

<http://rajpatrahimachal.nic.in>

# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

## हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

---

सोमवार, 24 जुलाई, 2017 / 2 श्रावण, 1939

---

हिमाचल प्रदेश सरकार

**INDUSTRIES DEPARTMENT**  
**A-Section**

NOTIFICATION

*Shimla-171002, the 21st July, 2017.*

**No. Ind-A(B)6-5/2008.**—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order transfer and posting of following Mining Officers, with immediate effect:—

| Sr. No. | Name of Mining Officer | From                  | To                                   |
|---------|------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| 1.      | Shri Suresh Kumar      | Mining Office, Chamba | Mining Office Kullu, without TTA/JT. |
| 2.      | Kumari Bindiya Rani    | Mining Office, Kullu  | Mining Office Chamba, with TTA/JT.   |

The above officers are directed to report for duty at their new place of posting within 07 days and submit joining report to this Department as well as to the Director of Industries.

By order,  
Sd/-  
Addl. Chief Secretary (Industries).

### राजस्व विभाग

अधिसूचना

शिमला, 05 जुलाई, 2017

संख्या: रैव-सी (एफ)(वक्फ)10-2/2008-लूज.—हिमाचल प्रदेश राज्यपाल वक्फ अधिनियम, 1995 (1995 का 43) की धारा 109 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः—

अध्याय—1

### प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड नियम, 2017 है।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.—(1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से वक्फ अधिनियम, 1995 (1995 का 43) अभिप्रेत है;

(ख) "प्राधिकृत प्रतिनियम" से किसी व्यक्ति के निमित और उसकी ओर से, सम्यक् रूप से निष्पादित मुख्तारनामों द्वारा या विधि भावसामी की दशा में निष्पादित बकालतनामा द्वारा उसके अटर्नी के रूप में कार्य करने के सम्यक् रूप से प्राधिकृत कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ग) "मतपेटी" से निर्वाचकों द्वारा मतपत्र रखने के लिए प्रयुक्त कोई पेटी, बैग या अन्य पात्र अभिप्रेत है;

(घ) "काउण्ट/गणना" से अभ्यर्थियों के लिए डाले गए मतों की गणना के लिए समस्त प्रचालन अभिप्रेत है;

(ङ) "निर्वाचन" से धारा 14 की उपधारा (1) क खण्ड (ख) के उपखण्ड (i), (ii), (iii) और (iv) के अधीन बोर्ड के सदस्यों के कार्यालय में रिक्ति को भरने के लिए कोई निर्वाचन अभिप्रेत है;

(च) "निर्वाचन प्राधिकारी" से प्रधान सचिव (राजस्व) हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;

- (छ) बोर्ड के सदस्य के किसी प्रवर्ग के निर्वाचन के सम्बन्ध में "निर्वाचक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसका नाम उस प्रवर्ग की निर्वाचन नामावली में विनिर्दिष्ट जब तक कि रिटर्निंग अधिकारी द्वारा निरर्हित न हो;
- (ज) "निर्वाचन नामावली" से धारा 14 की उपधारा (I) के खण्ड (ख) के उपखण्ड (i), (ii), (iii) और (iv) में विनिर्दिष्ट चार इलेक्टोरल कालेज की प्रत्येक पृथक सदस्य सूची अभिप्रेत है;
- (झ) किसी वक्फ परिसर के सम्बन्ध में "अधिक्रमण" से किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा वक्फ परिसर का ऐसा अधिभोग अभिप्रेत है जिस अधिभोग के लिए उसके पास प्राधिकार नहीं है और इस में वक्फ परिसर का किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा, उस प्राधिकार (चाहे अनुदान, अभिधृति के रूप में हो या किसी अन्य प्रकार से हो) जिसके अधीन परिसर का उसे अधिभोग अनुज्ञात किया गया था के अवसान या किसी कारण, जो भी हो से पर्यवसान के पश्चात्, निरन्तर अधिभोग भी सम्मिलित है, और इसमें बोर्ड के प्राधिकार के बिना भवन में किया गया कोई सन्निर्माण, परिवर्तन, परिवर्धन भी सम्मिलित है;
- (ञ) "प्ररूप" से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;
- (ट) "सरकार" से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;
- (ठ) "विधि व्यवसायी" का अर्थ होगा जो कि अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का 25) में उसका समनुदेशित है;
- (ड) परिसर से कोई भूमि या कोई भवन या भवन का भाग अतिप्रेत है और इसमें:—
- (i) ऐसे भवन या भवन के भाग से सम्बन्धित उद्यान, वृक्ष, मैदान यदि कोई हो;
- (ii) ऐसे भवन या भवन के भाग में उसके अधिक फायदाप्रद उपयोग के लिए लगाई गई कोई फिटिंग; और
- (iii) दरगाह, कब्र, कब्रिस्तान, खानकाह, परिखाना, कारबला, मकबरा, मस्जिद, समाधि और उसने अनुलग्न आंगन भी सम्मिलित हैं;
- (ढ) "रिटर्निंग अधिकारी से इन नियमों के अधीन निर्वाचन के संचालन के सम्बन्ध में निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा कोई कार्य या कृत्य करने हेतु प्राधिकृत या नियुक्त कोई अधिकारी अभिप्रेत है;
- (ण) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;
- (त) "राज्य" से हिमाचल प्रदेश राज्य अभिप्रेत है;
- (थ) वक्फ परिसर से,—
- (i) मौखिक या लिखित में किसी लिखत द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा समर्पित जंगम या स्कावर संपत्ति का कोई परिसर अभिप्रेत है और जो किसी प्रयोजन, जिसे मुस्लिम विधि द्वारा पवित्र, धार्मिक या पूर्ण माना गया है के लिए प्रयुक्त है; या
- (ii) राजपत्र में वक्फ संपत्ति के रूप में अधिसूचित है; या
- (iii) बोर्ड द्वारा अनुरक्षित ओकाफ के रजिस्टर में वक्फ के रूप में रजिस्ट्रीकृत परिसर; या

(iv) उपभोक्ता द्वारा वक्फ के रूप में मानी गई सम्पत्ति, अभिप्रेत है; और

(द) (1) "वक्फ सम्पत्ति" से खण्ड (थ) में यथापरिभाषित वक्फ परिसर जिसमें जंगम वक्फ सम्पत्ति भी सम्मिलित है अभिप्रेत है।

(2) उन समस्त अन्य शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं क्रमशः वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके हैं।

**3. मुतवल्ली की अर्हताएं.—**(1) मुतवल्ली भारत का नागरिक होगा।

(2) वक्फ के मुतवल्ली की अर्हताएं ऐसी होंगी जैसी वक्फ के वक्फ विलेख में विनिर्दिष्ट हैं।

(3) जहां कोई ऐसी अर्हताएं विनिर्दिष्ट नहीं हैं वहां मुतवल्ली या अध्यक्ष और प्रबंध समिति के सचिव को:—

(क) हिन्दी, उर्दू या राज्य की भाषा का ज्ञान हो; और

(ख) वक्फ विधि के विशिष्ट ज्ञान सहित शारिया का कार्य साधक ज्ञान हो।

## अध्याय-2

### ओकाफ का सर्वेक्षण

**4. सर्वेक्षण आयुक्त आदि की नियुक्ति.—**सरकार किसी अधिकारी को जो सरकार के उप सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो सर्वेक्षण आयुक्त और किसी राजपत्रित अधिकारी को अतिरिक्त सर्वेक्षण आयुक्त के रूप में नियुक्त कर सकेगी।

**5. सर्वेक्षण आयुक्त की रिपोर्ट.—**धारा 4 की उपधारा (3) के अधीन सरकार को सर्वेक्षण आयुक्त द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट हिमाचल प्रदेश व0 बो0 प्ररूप-1 में होगी।

**6. जांच करते समय सर्वेक्षण आयुक्त की शक्तियां.—**धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन सर्वेक्षण आयुक्त को प्रदत्त शक्तियों के अतिरिक्त सर्वेक्षण आयुक्त को निम्न मामलों की बावत भी शक्तियां होगी, अर्थात्:—

(क) अस्थाई व्यादेश और अन्तर्वर्ती आदेश देना; और

(ख) प्रापक नियुक्त करना।

**7. ओकाफ की सूची.—**धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन प्रकाशित ओकाफ की सूची हि0 प्र0 व0 बो0 में होगी।

**8. राजस्व अभिलेख में ओकाफ की प्रविष्टि.—**(1) राज्य सरकार धारा 5 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट ओकाफ की सूची की प्राप्ति के पश्चात् राजपत्र में प्रकाशित करेगी और एक मास के भीतर इसे राजस्व प्राधिकारी को भेज सकेगी।

(2) ऐसी सूचियों की प्राप्ति पर राजस्व अधिकारी भू अभिलेख में नामांतरण विनिश्चित करते समय विचार करने के पश्चात् अद्यतन करते समय उन्हें सम्मिलित करेंगे और ऐसी प्रविष्टियों की प्रति सहित छः मास के भीतर बोर्ड को सूचित करेगी।

(3) यदि राजस्व प्राधिकारियों द्वारा बोर्ड को छः मास के भीतर कोई सूचना नहीं भेजी जाती है तो उनके नामांतरण में भू अभिलेख में उनकी प्रविष्टि की गई समझी जाएगी।

**9. सरकार द्वारा सर्वेक्षण का खर्च वहन किया जाना.**—राज्य सरकार सर्वेक्षण की लागत/खर्च जिसमें ओकाफ की सूचियों के प्रकाशन का खर्च भी सम्मिलित है, वहन करेगी।

### अध्याय —3

#### बोर्ड के सदस्यों का निर्वाचन

**10. निर्वाचन के संचालन हेतु प्रशासनिक तंत्र, शक्तियां और कृत्य.**—(1) सरकार का प्रधान सचिव (राजस्व) अधिनियम के अधीन निर्वाचन संचालित करने के प्रयोजन हेतु निर्वाचन प्राधिकारी होगा। धारा 14 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन सामान्य और आकस्मिक रिक्तियों में बोर्ड के सदस्यों के निर्वाचन के संचालन में अधीक्षण, निर्देश, नियन्त्रण उस का दायित्व होगा। सरकार का संयुक्त सचिव (राजस्व) अधिनियम के अधीन निर्वाचन संचालित करने के प्रयोजन हेतु उप निर्वाचन प्राधिकारी होगा। इन नियमों के अधीन निर्वाचन प्राधिकारी के कृत्य का निर्वहन निर्वाचन प्राधिकारी के नियंत्रणाधीन रहते हुए उप निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा भी किया जा सकेगा।

(2) निर्वाचन प्राधिकारी कोई रिटर्निंग अधिकारी पदाभिहित या नामनिर्दिष्ट कर सकेगा।

(3) निर्वाचन प्राधिकारी रिटर्निंग अधिकारी की सहायता करने के लिए एक या एक से अधिक व्यक्तियों को सहायक रिटर्निंग अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगा, परन्तु सहायक रिटर्निंग अधिकारी सरकार का कोई अधिकारी होगा।

(4) प्रत्येक सहायक रिटर्निंग अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी के नियंत्रणाधीन रहते हुए रिटर्निंग अधिकारी के समस्त या किन्हीं कृत्यों का पालन करने में सक्षम होगा।

(5) कोई भी सहायक रिटर्निंग अधिकारी नामांकन संवीक्षा से सम्बन्धित रिटर्निंग अधिकारी के किसी कृत्य को तब तक नहीं करेगा जब तक कि रिटर्निंग अधिकारी उक्त कृत्यों को करने से अपरिहार्यतः निवारित नहीं किया गया है।

(6) इन नियमों के अन्य उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए निर्वाचन प्राधिकारी बोर्ड के सदस्यों के निर्वाचन के संचालन हेतु दायी होगा और उसे—

(क) निर्वाचन की तारीख, स्थान और समय नियत करने;

(ख) नोटिस, नामांकन, सूचना पत्र, घोषणा पत्र, मतपत्र, मतपत्र कवर (लिफाफा) और निर्वाचन हेतु लिफाफे के प्ररूप को विनिर्दिष्ट करना, निर्वाचन के सम्बन्ध में कोई अन्य अभिलेख तैयार या अनुरक्षित करना और अधिसूचना में अंतर्वलित किए जाने वाले अनुदेशों को विनिर्दिष्ट करने;

(ग) संदेह की दशा में प्रत्येक मतपत्र पर अभिलिखित (डाले गए मत) प्रत्येक मत की विधिमान्यता या अविधिमान्यता अभिनिश्चित करने;

(घ) प्रत्येक निर्वाचन का परिणाम घोषित करने की शक्ति होगी; और

(ङ) (i) अधिसूचना की तारीख निमत करने;

(ii) नामांकन प्राप्ति की अंतिम तारीख निमत करने;

- (iii) नामांकरण की संवीक्षा और विधिमान्यतः नामांकित अभ्यर्थियों की सूची के प्रकाशन की तारीख निमत करने;
- (iv) अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तारीख और समय निमत करने;
- (v) अंतिम सूची के प्रकाशन की तारीख निमत करने;
- (vi) मतदान के लिए तारीख और समय निमत करने; और
- (vii) मतों की संवीक्षा और गणना की तारीख तथा समय निमत करने की शक्ति होगी।

**11. निर्वाचन नामावली.**—निर्वाचन प्राधिकारी इस नियम के उप नियम (2) में विनिर्दिष्ट अधिकारियों से धारा 14 की उप धारा (1) के खण्ड (ख) के उप खण्ड (i), (ii), (iii) और (iv) में वर्णित प्रवर्गों में मत डालने वाले पात्र व्यक्तियों की सूची अभिप्राप्त करेगा और नियम 12 के अनुसार किसी उपांतरण के अध्यधीन रहते हुए ऐसे व्यक्तियों की सूची उस प्रवर्ग के लिए इलैक्टोरल कालेज होगी और व्यक्ति जिन का नाम सूची में दर्ज है वे सदस्यों के उस प्रवर्ग के लिए निर्वाचक होंगे।

(2) सूचियां प्रवर्गवार निम्न प्रकार से अभिप्राप्त की जा सकेंगी:—

- (क) संसद का मुस्लिम सदस्य और यदि संसद का मुस्लिम सदस्य उपलब्ध नहीं है तो संसद का भूतपूर्व मुस्लिम सदस्य लोक सभा/राज्य सभा के महासचिव से;
- (ख) राज्य विधान मण्डल का मुस्लिम सदस्य और यदि राज्य विधान मण्डल का मुस्लिम सदस्य उपलब्ध नहीं है तो राज्य विधान मण्डल के भूतपूर्व मुस्लिम सदस्य, विधान सभा के सचिव से;
- (ग) राज्य विधिज्ञ परिषद् के मुस्लिम सदस्य और यदि राज्य विधिज्ञ परिषद् में मुस्लिम सदस्य उपलब्ध नहीं है तो राज्य विधिज्ञ परिषद् के भूतपूर्व मुस्लिम सदस्य, राज्य विधिज्ञ परिषद् के सचिव से; और
- (घ) पूर्ववर्ती वर्ष में एक लाख रुपये और इससे अधिक आय वाले मतवल्ली की दशा में, बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी से।

**12. मतवल्ली द्वारा निर्वाचन.**—नियम 11 के उप नियम (2) के खण्ड (घ) के अधीन निर्वाचक नामावली जिससे इलैक्टोरल कालेज गणित होगा, तैयार करने के प्रयोजन के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यथास्थिति, मतवल्ली या प्रबंध समिति को:—

- (क) ऐसी वक्फ संस्था जहां किसी वक्फ संस्था में से एक से अधिक वक्फ मतवल्ली है में से एक प्रतिनिधि निर्वाचित करने के लिए; और
- (ख) ऐसी वक्फ संस्था, जहां वक्फ संस्था किसी प्रबंध समिति द्वारा प्रशासित की जा रही है वहां ऐसी समिति के एक पदाधिकारी को प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित करने के लिए, एक सप्ताह देगा: परन्तु यह कि यदि वक्फ संस्था, एक से अधिक मतवल्ली वाली संस्था की दशा में, और जहां वक्फ संस्था ऐसी समिति द्वारा प्रशासित की जा रही है की प्रबंध समिति का अध्यक्ष, वरिष्ठ मतवल्ली के नाम का इस प्रकार चयन करने और मुख्य कार्यकारी अधिकारी को संसूचित करने में असफल हो जाता है तो वहां उसे निर्वाचित किया गया समझा जाएगा; और उसे इलैक्टोरल कालेज का गठन करने के प्रयोजन हेतु निर्वाचन नामावली में समाविष्ट किया जाएगा :

परन्तु यह और की केवल वे मतवल्ली या प्रबंध समिति के प्रतिनिधि जो बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत हैं और जिनकी पूर्ववर्ती वर्ष में एक लाख की वार्षिक आय है और जिन्होंने पूर्ववर्ती वर्ष तक धारा 72 के अधीन बोर्ड को संदेय वार्षिक अंशदान संदत्त कर दिया है, ही निर्वाचन करने के पात्र होंगे।

**13. सूचियां प्रदर्शित करना.**—नियम 11 के अधीन अभिप्राप्त की गई सूचियां, नियम 15 के उप नियम (2) के अधीन निर्वाचन हेतु अधिसूचित तारीख से कम से कम सात दिन पूर्व निर्वाचन प्राधिकारी के सूचना पट पर और बोर्ड के कार्यालय में प्रदर्शित की जाएगी और क्षेत्र में परिचालन रखने वाले एक उर्दू, हिन्दी और अंग्रेजी स्थानीय भाषा के समाचार पत्रों में प्रकाशित (अधिसूचित) की जाएगी।

**14. आक्षेप दाखिल करना.**—(1) ऐसे प्रकाशन से व्यक्ति कोई व्यक्ति ऐसे प्रकाशन के सात दिन के भीतर निर्वाचन प्राधिकारी के समक्ष किसी नाम के परिवर्तन, हटाने या उपांतरण हेतु आपत्ति याचिका दाखिल कर सकेगा।

(2) निर्वाचन प्राधिकारी, आपत्ति याचिका पर विचार करने के पश्चात् और किसी स्त्रोत से कोई और सूचना, जैसी यह उचित समझे, प्राप्त करने के पश्चात् और यदि यह आवश्यक समझे, आक्षेपकर्ता या याची या किसी अन्य व्यक्ति को व्यक्तिक रूप से सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् आपत्ति याचिका पर आदेश पारित करेगा।

(3) उप नियम (2) के अधीन पारित आदेश को ध्यान में रखते हुए यदि निर्वाचन नामावली में कोई उपांतरण अपेक्षित है तो निर्वाचन प्राधिकारी ऐसे उपांतरण को समाविष्ट करने के पश्चात् नियम 15 के उप नियम (2) के अधीन अधिसूचना निर्वाचन की तारीख के कम से कम सात दिन से पूर्व अंतिम निर्वाचक नामावली प्रकाशित करेगा और ऐसी निर्वाचक नामावली, निर्वाचन हेतु निर्वाचकों की अंतिम तथा निश्चयक सूची होगी।

**15. आशयित निर्वाचन की लोक सूचना.**—(1) अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् धारा 14 की उप धारा (1) के खण्ड (ख) के उप खण्ड (i) से (iv) में यथा उपबंधित प्रवर्गों में सदस्य निर्वाचित करने हेतु और यथास्थिति, बोर्ड की पदावधि के अवसान पर या धारा 99 के अधीन इसके अतिष्ठित होने या विद्यतन पर या धारा 16 अथवा धारा 64 के अधीन विशिष्ट प्रवर्ग में कारित किसी आकस्मिक रिक्ति को भरने हेतु धारा 14 की उप धारा (2) के अधीन बोर्ड के गठन के लिए नियमित निर्वाचन संचालित किया जाएगा।

(2) उपरोक्त प्रयोजन के लिए निर्वाचन प्राधिकारी ऐसे निर्देशों जैसे सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित सूचना द्वारा हि० प्र० व० बो० प्ररूप-3 में जारी किए जाएं के अधधीन रहते हुए ऐसी तारीख या तारीखों, जैसी उसमें विनिर्दिष्ट की जाए, पर अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अनुसार बोर्ड के सदस्य निर्वाचित करने के लिए आह्वान करेगा।

(3) अधिसूचना में नामांकन करने के लिए अंतिम तारीख, नामांकन की संवीक्षा के लिए तारीख, अभ्यर्थिता वापस लेने हेतु अंतिम तारीख, स्थान तथा तारीख जिस को और समय, यदि आवश्यक हो, जिस के दौरान मतदान किया जाएगा, विनिर्दिष्ट होगा।

(4) अधिसूचना के जारी करने पर, रिटर्निंग अधिकारी, बोर्ड के सदस्य निर्वाचित करने के लिए आशयित निर्वाचन क्षेत्र में प्रचालन रखने वाले उर्दू, हिन्दी, अंग्रेजी स्थानीय भाषा के समाचार पत्रों में हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड प्ररूप-4 लोक सूचना (पब्लिक नोटिस) देगा।

**16. विशेष निर्वाचन प्रोग्राम.**—इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी जहां किसी न्यायालय के आदेशों के मद्दे या अभिलिखित किए गए किसी अन्य विधिमान्य कारण से निर्वाचन प्रक्रिया बाधित होती है या निर्वाचन प्रोग्राम में परिवर्तन किया जाना है तो वहां निर्वाचन प्राधिकारी चाहे साधारणतया या सदस्यों के विनिर्दिष्ट प्रवर्ग की बावत नियम 15 के उप नियम (2) के अधीन अधिसूचित निर्वाचन प्रोग्राम को परिवर्तित करने में सक्षम होगा और निर्वाचन प्रोग्राम को, यह मामले की परिस्थितियों में उचित समझे, पुनः अधिसूचित करेगा :

परन्तु यह कि जहां नामांकन करने के प्रारम्भ से, इन नियमों के अधीन निर्वाचन प्रोग्राम पुनः अधिसूचित किया जाता है वहां पहले से किए गए नामांकनों को ध्यान में नहीं लिया जाएगा।

**17. अभ्यर्थियों के नामांकन.—**(1) किसी भी व्यक्ति को बोर्ड के सदस्य के पद को भरने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्दिष्ट किया जा सकेगा यदि वह अधिनियम के उपबन्धों के अधीन पद को भरने के लिए चूने जाने के लिए अर्हित है। प्रत्येक नामांकन पत्र हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड प्ररूप-5 में होगा। इसे अभ्यर्थी द्वारा स्वयं या इस निमित्त उस द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा विनिर्दिष्ट समय के दौरान पर अभ्यर्थी द्वारा हस्ताक्षर विनिर्दिष्ट स्थान पर निमत तारीख को या इस से पूर्व रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा।

(2) धारा 14 की उप धारा (1) के खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट किसी भी प्रवर्ग से बोर्ड के सदस्य के पद के लिए अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होगा जिसका नाम उस प्रवर्ग की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत है। प्रत्येक अभ्यर्थी पृथक नामावली पत्र पर नामांकित होगा और अभ्यर्थी धारा 14 की उप धारा (1) में विनिर्दिष्ट एक से अधिक प्रवर्गों के लिए नामनिर्दिष्ट हो सकेगा।

**18. नामांकन पत्र प्रस्तुत करना और विधिमान्य नामांकन की अपेक्षा.—**(1) रिटर्निंग अधिकारी, नामांकन पत्रों की प्राप्ति पर, नामांकन पत्रों को उस क्रम में जिसमें वे प्रस्तुत किए गए हैं हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड प्ररूप-6 क्रमानुसार संख्याकित करेगा और प्ररूप में यथा उपबंधित रसीद देगा। रिटर्निंग अधिकारी या अन्य ऐसे प्राधिकृत व्यक्ति का यदि समाधान करेगा की नामांकन पत्र में दर्ज अभ्यर्थी का नाम और संख्या वही है जैसा उसका निर्वाचक नामावली में दर्ज है और जहां कहीं आवश्यक हो वह निदेश देगा की नामांकन प्रारूप को इस प्रकार संशोधित किया जाए कि वह निर्वाचक नामावली के अनुसार हो जाए।

(2) रिटर्निंग अधिकारी, निर्वाचक नामावली में, किसी प्रविष्टि का निर्वचन करते समय केवल लेखन और मुद्रण सम्बंधी गलतियों की अनवेक्षा कर सकेगा, परन्तु वह नामांकन पत्र की औपचारिक स्वीकृति या अस्वीकृति या संवीक्षा करते समय, उसके द्वारा अंगीकृत निर्वचन को, उसके कारणों सहित अभिलिखित करेगा।

**19. प्राप्त किए गए नामांकनों का प्रदर्शन (पब्लिकेशन)—**नामांकन पत्रों की प्राप्ति हेतु विनिर्दिष्ट समय के अवसान के तुरन्त पश्चात् इस प्रयोजन हेतु नियत तारीखों को रिटर्निंग अधिकारी या ऐसे अन्य प्राधिकृत व्यक्ति, इस नोटिस के साथ प्राप्त समस्त नामांकन पत्रों की सूची हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड प्ररूप-7 में उर्दू, हिन्दी और अंग्रेजी/स्थानीय भाषा में प्रदर्शित (पब्लिश) करेगा कि नामांकन पत्रों की रिटर्निंग अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट स्थान, तारीख और समय पर संवीक्षा की जाएगी।

**20. नामांकन पत्रों की संवीक्षा.—**(1) नामांकन पत्रों की संवीक्षा हेतु नियत तारीख को, अभ्यर्थी और प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा लिखित में सम्यक् रूप से प्राधिकृत एक अन्य व्यक्ति, नियम 19 के अधीन विनिर्दिष्ट समय और स्थान पर उपस्थित हो सकेगा। रिटर्निंग अधिकारी तथापि ऐसे अन्य व्यक्तियों को, जैसा वह उसको सहयोग देने के लिए उचित समझे, भी प्रवेश दे सकेगा। वह ऐसे व्यक्तियों को, समस्त अभ्यर्थियों के उन नामांकन पत्रों जो यथा उपरोक्त प्राप्त हुए हैं, का परीक्षण करने के लिए समस्त युक्तियुक्त प्रसुविधाएं देगा।

(2) रिटर्निंग अधिकारी नामांकन पत्रों का परीक्षण करेगा और समस्त आक्षेपों पर, जो किसी भी नामांकन के समय किए जा सकेंगे, विनिश्चय करेगा, या तो ऐसे आपेक्षों पर या स्वप्ररेणा से ऐसी संक्षिप्त जांच, जैसी वह उचित समझे, के पश्चात्, किसी नामांकन को निम्नलिखित किन्हीं आधारों पर निशान प्रमाणिक न हो, नामजूर कर सकेगा, अर्थात् :-

(क) कि अभ्यर्थी बोर्ड के उस विशिष्ट प्रवर्ग के सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए अपात्र है;

(ख) कि अभ्यर्थी धारा 16 या इन नियमों में विनिर्दिष्ट किन्ही निरर्हताओं से ग्रस्त है;

(ग) कि अभ्यर्थी का नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज नहीं है;

(घ) कि अभ्यर्थी नियम 17 के किन्हीं उपबन्धों का अनुपालन करने में असफल रहा है; या

(ड) अभ्यर्थी का नामांकन पत्र में हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान प्रमाणिक न हो :

परन्तु यदि अभ्यर्थी की पहचान अन्यथा उचित संदेह से परे स्थापित हो जाए तो, अभ्यर्थी का नामांकन, केवल उसके नाम के गलत विवरण या अभ्यर्थी से सम्बन्धित किसी अन्य विशिष्टियां जो कि निर्वाचक नामावली में दर्ज है, के आधार पर अस्वीकृत नहीं किया जाएगा।

(3) रिटर्निंग अधिकारी प्रत्येक नामांकन पत्र पर, उसे स्वीकृत करने या अस्वीकृत करने के अपने विनिश्चय की पुष्टि करेगा और यदि नामांकन पत्र अस्वीकृत किया जाता है तो वह ऐसी अस्वीकृति के लिए कारणों का एक संक्षिप्त विवरण अभिलिखित करेगा। संवीक्षा, यथासाध्य, इस निमित्त नियत तारीख को पूर्ण की जाएगी और कार्यवाहियों का स्थगन, रिटर्निंग अधिकारी की किसी अभ्यर्थी को उसकी अभ्यर्थिता के विरुद्ध उठाए गए किसी प्रतिरोध का खण्डन करने का अवसर प्रदान करने के विवेकाधिकार के सिवाय, साधारणतय अनुज्ञेय नहीं होगा।

(4) इस नियम के प्रयोजनार्थ, बोर्ड के सदस्य के किन्हीं प्रवर्गों की तत्समय प्रवृत्त निर्वाचक नामावली में किसी प्रविष्टि की प्रमाणित प्रति, इस तथ्य का निश्चायक साक्ष्य होगी कि उस प्रविष्टि में निर्दिष्ट व्यक्ति बोर्ड के सदस्य के उस प्रवर्ग के लिए एक निर्वाचक है, जब तक कि यह प्रमाणित नहीं हो जाता कि वह, अधिनियम या इन नियमों में वर्णित किसी निरर्हता से ग्रस्त है।

(5) नामांकन पत्रों की संवीक्षा और उन्हें स्वीकृत और अस्वीकृत किए जाने के विनिश्चय को अभिलिखित करने के तुरन्त पश्चात्, रिटर्निंग अधिकारी, प्रत्येक प्रवर्ग के अन्तर्गत विधिमान्य पाए गए नामांकनों की एक सूची तैयार करेगा और उसे अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर, हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड प्ररूप-8 में प्रदर्शित करेगा।

**21. नामांकन वापस लेना.**—कोई अभ्यर्थी स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित अपना नामांकन लिखित में, हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड प्ररूप में वापस ले सकेगा और इसे रिटर्निंग अधिकारी को या तो स्वयं या उसके द्वारा प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा इसे वापस लेने (प्रत्याहरण) के लिए नियत अन्तिम तारीख को सायं 5 बजे से पूर्व परिदत्त करने वाले व्यक्ति की पहचान के बारे में समाधान हो जाने पर उसके लिए रसीद देगा।

**22. निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना.**—(1) नामांकन वापस लेने के पश्चात् अगले दिन, रिटर्निंग अधिकारी उन व्यक्तियों की, जिनका नामांकन विधिमान्य पाया गया है, ऊर्दू, हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं/स्थानीय भाषा में हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड प्ररूप-10 में एक सूची तैयार करेगा और उसे बोर्ड के कार्यालय और अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करेगा।

(2) सूची में अभ्यर्थियों के नाम, वैसे ही अन्तर्विष्ट होंगे जैसा अंग्रेजी वर्णक्रम में सम्यक रूप से क्रमांकित उनके नामांकन पत्र में ऊर्दू, हिन्दी और अंग्रेजी भाषा/स्थानीय भाषा में वर्णन है।

**23. अवरोध अभ्यर्थी के परिणाम की घोषणा.**—(1) यदि निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या बराबर है या किसी विशिष्ट प्रवर्ग में रिक्तियों की संख्या से कम है तो रिटर्निंग अधिकारी तत्काल, हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड में ऐसे अभ्यर्थी को सम्यक रूप से निर्वाचित घोषित करेगा और इसे निर्वाचन प्राधिकारी को भेजेगा।

(2) यदि निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या किसी विशिष्ट प्रवर्ग में रिक्ति/रिक्तियों की संख्या से अधिक है तो मतदान संचालित किया जाएगा।

**24. मतदान से पूर्व अभ्यर्थी की मृत्यु.**—यदि निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाती है और मतदान आरम्भ होने से पूर्व उसकी मृत्यु की रिपोर्ट प्राप्त हो जाती है, तो रिटर्निंग अधिकारी अभ्यर्थी की मृत्यु के तथ्यों की पुष्टि हो जाने पर मतदान रद्द करेगा और निर्वाचन कार्यवाहियां समस्त प्रकार से नए सिरे से आरम्भ की जाएगी जैसे नए निर्वाचन के लिए होती है :

परन्तु उस अभ्यर्थी की दशा में, जो मतदान के रद्दकरण के समय विधिमान्य रूप से नामांकित हुआ था, नए सिरे से नामांकन की आवश्यकता नहीं होगी।

**25. मतदान.—**(1) यदि मतदान संचालित किया जाना है, तो रिटर्निंग अधिकारी मतदान संचालित करवाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगा और देखेगा कि मतदान केन्द्र पर निर्वाचन सुचारु रूप से संचालित किया है और एक ही समय पर प्रवेश किए जाने के लिए निर्वाचन की संख्या को विनियमित करेगा और निम्नलिखित से अन्यथा समस्त व्यक्तियों को अपवर्जित करेगा:—

(क) अभ्यर्थी;

(ख) कर्तव्यारूढ़ पुलिस अधिकारी या कोई अन्य लोक सेवक;

(ग) ऐसे व्यक्ति, जिन्हें रिटर्निंग अधिकारी निर्वाचकों की पहचान के प्रयोजन हेतु समय-समय पर प्रवेश दें;

(घ) राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति;

(ङ) किसी निर्वाचन के साथ उसकी गोद में कोई बालक/बालिका; और

(च) ऐसा व्यक्ति, जो किसी दृष्टिहीन के साथ हो या अशक्त निर्वाचक जो बिना किसी सहायता के चल न सकता हो।

(2) जहां रिटर्निंग अधिकारी द्वारा, किसी महिला निर्वाचक की पहचान उसके पर्दाशीन होने के कारण की न जा सके, वहां उसकी पहचान रिटर्निंग अधिकारी के समाधानप्रद किसी अन्य पद्धति से की जानी अपेक्षित होगी।

**26. मत देने का अधिकार.—**(1) मतदान व्यक्तिक रूप से (स्वयं) किया जाएगा। किसी निर्वाचन पर मतदान करने वाले समस्त निर्वाचक, इन नियमों के अधीन उन्हें उपलब्ध करवाए गए मतदान केन्द्र पर वैयक्तिक रूप से मतदान करेंगे।

(2) धारा 14 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक प्रवर्ग के सदस्यों के निर्वाचन के लिए, गणना की व्यवस्था मतदान के अन्त में की जाएगी।

(3) रिटर्निंग अधिकारी प्रत्येक मतदान केन्द्र पर, मतदान के लिए पात्र निर्वाचकों के नामों से अन्तर्विष्ट निर्वाचन नामावली की प्रतियों सहित ऐसे अन्य कागज पत्र और आवश्यक वस्तुएं, लेखन सामग्री और प्ररूप, जो भी निर्वाचकों को मतपत्रों को चिन्हित करने के लिए आवश्यक है, उपलब्ध करवाएगा।

(4) मतदान के प्रारम्भ से तुरन्त पूर्व, रिटर्निंग अधिकारी, अभ्यर्थियों या उनके मतदान अभिकर्ताओं को दिखाएगा कि मतपेटी खाली है।

**27. मतपत्र का प्ररूप.—**(1) प्रत्येक मतपत्र में, अंग्रेजी वर्णमाला में क्रमानुसार ऊर्दू, हिन्दी और अंग्रेजी/स्थानीय भाषा में निर्वाचन (चुनाव) लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची की क्रम संख्या अन्तर्विष्ट होगी।

(2) किसी निर्वाचक को जारी करने से पूर्व प्रत्येक मतपत्र.—

(क) को स्टाम्पित किया जाएगा या इसके पीछे निम्न लिखा होगा :

(i) सदस्य का नाम और प्रवर्ग;

## (ii) निर्वाचन का स्थान;

(ख) इसके पिछले पृष्ठ पर रिटर्निंग अधिकारी के पूरे हस्ताक्षर होंगे।

**28. मतपत्र जारी करना.**—किसी निर्वाचन को मतपत्र जारी करने के तुरन्त पश्चात्, मत पत्र प्राप्त कर लिया गया है के प्रतीकस्वरूप, मतदान अधिकारी द्वारा अभिलेख हेतु रखे जाने वाली निर्वाचक नामावली की कार्यालय प्रति पर रिटर्निंग अधिकारी निर्वाचक के हस्ताक्षर लेगा।

**29. निर्वाचकों द्वारा मतदान की गोपनीयता बनाए रखना और मतदान प्रक्रिया.**—(1) प्रत्येक निर्वाचक जिसे नियम 28 के अधीन मतपत्र जारी किया गया है, मतदान केन्द्र के भीतर मतदान की गोपनीयता बनाए रखेगा और इस प्रयोजन के लिए इसमें इसके पश्चात् अधिकथित मतदान प्रक्रिया का पालन करेगा।

(2) निर्वाचक, मतपत्र की प्राप्ति पर, तत्काल—

(क) मतदान कक्ष को प्रस्थान करेगा;

(ख) निर्वाचन लड़ने वालों के नामों के आगे, जिन्हें वह अधिमान देने का आशय रखता हो, संख्या में 1, 2 और 3 इसी प्रकार से लिखते हुए प्रथम, द्वितीय, तृतीय और इसी प्रकार से अपना अधिमान अभिलिखित करेगा; और

(ग) तह (फोल्ड) किए हुए मत पत्र को निर्दिष्ट मतपेटी में डालेगा।

(3) प्रत्येक निर्वाचक बिना विलम्ब के मतदान करेगा।

**30. दृष्टिहीन और अशक्त मतदाता.**—(1) यदि दृष्टिहीनता या अन्य शारीरिक अशक्तता के परिणामस्वरूप कोई निर्वाचक मतपत्र पर निर्वाचन लड़ने वालों के नाम ज्ञात करने या उस पर अधिमान देने (लिखने) में असफल रहता है, तो रिटर्निंग अधिकारी निर्वाचक की इच्छा के अनुसार मतपत्र पर मत अभिलिखित कर उसका तह करेगा और उसे मतपेटी में डाल देगा।

(2) इस नियम के अधीन कार्रवाई करते समय, रिटर्निंग अधिकारी गोपनीयता बनाए रखेगा और प्रत्येक ऐसी क्रिया (दृष्टान्त) का एक संक्षिप्त अभिलेख बनाए रखेगा किन्तु उसमें मत प्रयोग करने वाली शक्ति को निर्दिष्ट नहीं करेगा।

**31. पहचान को चुनौती.**—(1) कोई भी अभ्यर्थी विशिष्ट निर्वाचक होने का दावा करने वाले किसी व्यक्ति की पहचान को चुनौती दे सकेगा किन्तु ऐसी प्रत्येक चुनौती के लिए पहले रिटर्निंग अधिकारी के पास नकद में पांच सौ रुपये की रकम जमा करेगा।

(2) इस प्रकार किए जा रहे निक्षेप (जमा) पर, रिटर्निंग अधिकारी.—

(क) उस व्यक्ति को जिसको चुनौती दी गई है, प्रतिरूपे के लिए शीट से सावधान करेगा; और

(ख) निर्वाचक नामावली में सुसंगत प्रविष्टि को पूर्णतः पढ़ेगा और उससे पूछेगा कि क्या वह प्रविष्टि में निर्दिष्ट व्यक्ति ही है या नहीं।

(3) रिटर्निंग अधिकारी तत्पश्चात् चुनौती के सम्बंध में संक्षिप्त जांच करेगा और उस प्रयोजन के लिए.—

(क) चुनौती देने वाले से चुनौती के सबूत में साक्ष्य देने और जिसके बारे में चुनौती दी गई है व्यक्ति से अपनी पहचान के सबूत में साक्ष्य देने की अपेक्षा कर सकेगा;

- (ख) व्यक्ति जिसके बारे में चुनौती दी गई है से, उसकी पहचान स्थापित करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक कोई प्रश्न कर सकेगा तथा उसका सशपथ उत्तर देने की अपेक्षा कर सकेगा; और
- (ग) चुनौती देने वाले और साक्ष्य देने के लिए प्रस्थापना करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को शपथ दिला सकेगा।
- (4) यदि, जांच के पश्चात् रिटर्निंग अधिकारी का यह विचार है कि चुनौती सिद्ध नहीं हुई है, तो वह उस व्यक्ति को जिसके बारे में चुनौती दी गई है मतदान करने के लिए अनुज्ञात करेगा और यदि वह मानता है कि चुनौती सिद्ध की गई है, तो वह व्यक्ति को विवर्जित करेगा।
- (5) यदि रिटर्निंग अधिकारी की राय है कि चुनौती तुच्छ है या सदभाव से नहीं की गई है, तो वह निदेश देगा कि उप नियम (1) के अधीन किया गया निक्षेप (जमा) सरकार को समपहृत किया जाए और किसी अन्य मामले में वह जांच की समाप्ति पर उसे चुनौती देने वाले को वापस करेगा।
- 32. खराब हुए और वापस किए गए मत पत्र—**(1) ऐसे निर्वाचक को, जिसने अपने मतपत्र को अनवधानता से बरता है, रिटर्निंग अधिकारी को उसे परिदत्त करने पर और अनवधानता के संबंध में उसका समाधान हो जाने पर, अन्य मत पत्र दिया जाए तथा इस प्रकार वापस किया गया मतपत्र तथा ऐसे मतपत्र का प्रतिपर्ण रिटर्निंग अधिकारी द्वारा "खराब रद्द किया गया" के रूप में चिह्नित किया जाएगा।
- (2) यदि कोई निर्वाचक, मतपत्र अभिप्राप्त करने के पश्चात् उसका प्रयोग न करने का विनिश्चय करता है, तो वह उसे रिटर्निंग अधिकारी को वापस करेगा, और इस प्रकार वापस किया गया मतपत्र और ऐसे मतपत्र का प्रतिपर्ण रिटर्निंग अधिकारी द्वारा "वापस किया गया रद्द किया गया" चिह्नित किया जाएगा।
- (3) उप नियम (1) और (2) के अधीन रद्द किए गए सभी मतपत्र किसी पृथक पैकेट में रखे जाएंगे।

**33. मतपेटियों को खोलना.—**मतों की गणना मतदान के पश्चात् तत्काल उसी स्थान पर, जहां मतदान किया गया, प्रारंभ होगी।

**34. मतपत्रों की गणना.—**रिटर्निंग अधिकारी मतदान के तत्काल पश्चात् उसी स्थान पर—

- (क) मतपेटी खोलेगा, मतपत्रों की गणना करेगा और सुनिश्चित करेगा कि पेटी में पाए गए मत पत्रों की संख्या वही है जो निर्वाचक नामावली की कार्यालय प्रति के अनुसार जारी मतपत्रों की संख्या है;
- (ख) मतपत्र, जिनको वह विधिमान्य समझता है, उनसे पृथक करेगा, जिनको वह प्रत्येक पश्चात्कथित पर "अस्वीकृत" शब्द और अस्वीकृत के आधार पृष्ठांकित करते हुए अस्वीकृत करता है।

**35. मतपत्रों की अविधिमान्यता.—**निम्नलिखित मामलों में से किसी एक या अधिक में मतपत्र अविधिमान्य होगा यदि:—

- (क) एक नाम से अधिक के सामने वही अधिमान अभिलिखित है;
- (ख) अंकीम अधिमान इस प्रकार दर्शाया जाता है, जिससे यह संदेहजनक होता है कि वह किस अभ्यर्थी को लागू होना आश्रित है;

(ग) अंकीम या ऐसे अन्य अंक ऐसी रीति में नाम के सामने लिखे जाते हैं कि निर्वाचक के आशमित अधिमान का पता लगाना संभव नहीं है; और

(घ) ऐसा कोई निशान या लेखन है, जिसके द्वारा निर्वाचक को पहचाना जा सकता है।

**36. मतों की गणना:—**(1) उन मतपत्रों, जो अविधिमान्य हैं, को अस्वीकृत करने के पश्चात् रिटर्निंग अधिकारी—

(क) किसी अभ्यर्थी द्वारा डाले गए प्रथम अधिमान मतों की अधिकतम की संख्या की

(ख) यदि रिक्ति की संख्या एक है तो, ऐसी गणना के पश्चात्, प्रथम अधिमान अधिकतम संख्या अभिप्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को निर्वाचित घोषित किया जाएगा, और यदि रिक्तियों की संख्या दो है तो, प्रथम और द्वितीय अधिमान मतों की अधिकतम संख्या अभिप्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को द्वितीय रिक्ति के लिए निर्वाचित घोषित किया जाएगा।

(2) जब गणना के अंत में निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के मतों का मूल्य वही है और कोई अधिशेष अंतरण योग्य नहीं है, तो रिटर्निंग अधिकारी लाट् द्वारा विनिश्चित करेगा कि उनमें से कौन सा अपवर्जित किया जाएगा, तथा अभ्यर्थियों में से एक के अपवर्जन के पश्चात् लाट् द्वारा अभ्यर्थी निर्वाचित घोषित किया जाएगा।

**37. पुनर्गणना उपबन्ध:—**(1) कोई भी अभ्यर्थी या उसकी अनुपस्थिति में, उसका प्राधिकृत अभिकर्ता, मतों की गणना के दौरान किसी भी समय, मतों की गणना के पूरा होने से पूर्व या पश्चात् रिटर्निंग अधिकारी से सभी या किसी अभ्यर्थी के मतों की पुनः परीक्षा या पुनर्गणना करने का अनुरोध कर सकेगा तथा रिटर्निंग अधिकारी तदनुसार उनकी पुनः परीक्षा या पुनर्गणना कर सकेगा।

(2) रिटर्निंग अधिकारी, स्वविवेकानुसार, किसी भी मामले में, जिसमें किसी पूर्ववर्ती गणना की शुद्धता के संबंध में उसका समाधान नहीं होता है, मतों की एक बार या एक से अधिक बार पुनर्गणना कर सकेगा:

परंतु इस उप नियम की कोई बात रिटर्निंग अधिकारी को उन्हीं मतों की एक से अधिक बार पुनर्गणना करने के लिए बाध्यकर नहीं बनाएगी।

**38. परिणाम की घोषणा और रिटर्निंग अधिकारी द्वारा विवरणी:—**(1) मतगणना पूर्ण होने पर, रिटर्निंग अधिकारी पूर्ववर्ती उपबंधों के अधीन जैसा सुनिश्चित हो, धारा 14 की उप धारा (1) के खण्ड (ख) के उप-खण्डों (i), (ii), (iii) और (iv) के अधीन, हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड प्ररूप-11 में परिणाम की घोषणा करेगा और उसकी हस्ताक्षरित प्रतियां निर्वाचन प्राधिकारी को भेजेगा।

(2) रिटर्निंग अधिकारी तत्पश्चात्—

(क) विधिमान्य मतपत्रों को एक पैकेट में रखेगा और अस्वीकृत मत पत्रों को दूसरे पैकेट में रखेगा;

(ख) उन्हें अपनी मोहर से और ऐसे अभ्यर्थियों, उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं, जो खण्ड (क) में निर्दिष्ट प्रत्येक पैकेट पर अपनी मोहर लगाना चाहते हैं, की मोहर से सील करेगा;

(ग) सील (मोहर) बंद प्रत्येक पैकेट पर उसकी विषय वस्तु का विवरण और निर्वाचन की तारीख अभिलिखित करेगा।

**39. निर्वाचित अभ्यर्थी को निर्वाचन का प्रमाणपत्र देना:—**अभ्यर्थी को निर्वाचित घोषित करने के पश्चात् रिटर्निंग अधिकारी यथाशीघ्र, ऐसे निर्वाचित अभ्यर्थी को हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड प्ररूप-12 में निर्वाचन का प्रमाणपत्र प्रदान करेगा और अभ्यर्थी से, उस द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित इसकी प्राप्ति की अभिस्वीकृति प्राप्त करेगा।

**40. निर्वाचन के पश्चात् प्रस्तुत की जाने वाली सामग्री.—**(1) रिटर्निंग अधिकारी निर्वाचन पूर्ण होने के पश्चात् अभिलेख के लिए सुरक्षित अभिरक्षा में रखने के लिए निर्वाचन अधिकारी को निम्नलिखित प्रस्तुत करेगा:—

- (क) नियम 34 में वर्णित मतपत्रों का पैकेट;
- (ख) निर्वाचन नामावली की कार्यालय प्रति और मत पत्र प्राप्त करने वाले निर्वाचकों के हस्ताक्षर से जारी मतपत्रों के प्रतिपर्ण;
- (ग) मतदान के निष्पक्ष और शान्तिपूर्ण संचालन के बारे में संक्षिप्त रिपोर्ट, जिसमें किसी निर्वाचक की पहचान के बारे में चुनौतियों और उन पर रिटर्निंग अधिकारी के विनिश्चय सहित मतदान के दौरान हुई महत्वपूर्ण घटनाओं, यदि कोई हो, का उल्लेख हो;
- (घ) निर्वाचित अभ्यर्थियों को जारी की गई निर्वाचन प्रमाणपत्र की कार्यालय प्रति और उसकी अभिस्वीकृति रसीदें; और
- (ङ) अन्य कोई सुसंगत कागज पत्र।

(2) निर्वाचन प्राधिकारी को प्रस्तुत किया गया अभिलेख, एक वर्ष की अवधि के लिए या निर्वाचन से सम्बन्धित याचिका यदि कोई हो, के अंतिम निपटान तक, जो भी बाद में हो, परिरक्षित रखा जाएगा।

**41. आवश्यक नामांकन करना.—**(1) सरकार, धारा 14 की उपधारा (1) और उप धारा (3) के खण्ड (ग), (घ) और (ङ) के अधीन रिक्तियों को भरने के लिए निम्नलिखित आवश्यक नामांकन करेगी:—

- (क) उन मुस्लिमों में से एक व्यक्ति जिसके पास नगर योजना या कारबार प्रबन्धन, सामाजिक कार्य, वित्त या राजस्व, कृषि और विकास क्रियाकलापों में वृत्तिक अनुभव है;
- (ख) उन मुस्लिमों में से एक व्यक्ति, जो शिया और सुन्नी इस्लाम धर्म विद्या के मान्यता प्राप्त विद्वानों से होगा; और
- (ग) मुस्लिमों में से एक व्यक्ति जिसे सरकार द्वारा सरकार के ऐसे अधिकारियों में से नाम निर्दिष्ट किया जाएगा जो संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे की पंक्ति का न हो।

(2) जहां कोई मुस्लिम संसद सदस्य या भूतपूर्व मुस्लिम संसद सदस्य तथा मुस्लिम राज्य विधानमंडल सदस्य या भूत पूर्व मुस्लिम राज्य विधानमंडल सदस्य नहीं है, तो वहां सरकार ऐसे व्यक्तियों को बोर्ड के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिन्हें वह उपयुक्त समझे।

(3) जहां हिमाचल प्रदेश विधिज्ञ परिषद का कोई मुस्लिम सदस्य या भूत पूर्व मुस्लिम सदस्य नहीं है, तो वहां सरकार, न्यायालय में कम से कम बीस वर्ष के व्यवसाय वाले किसी वरिष्ठ पदाभिहित मुस्लिम अधिवक्ता को बोर्ड के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट कर सकेगी।

**42. बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति.—**(1) धारा 14 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन निर्वाचन के परिणाम और नियमों के नियम 41 के साथ पठित धारा 14 की उप धारा (3) और उपधारा (1) के खण्ड (ग), (घ) और (ङ) के अधीन नामनिर्देशनों की प्राप्ति के पश्चात् सरकार बोर्ड के सदस्यों को नियुक्त करते हुए धारा 14 की उपधारा (9) के अधीन कोई अधिसूचना जारी करेगी। उक्त अधिसूचना में, अध्यक्ष के निर्वाचन की तारीख, स्थान और समय भी, सदस्यों को एक सप्ताह का नोटिस देते हुए, विनिर्दिष्ट किए जाएंगे। अधिसूचना राजपत्र और स्थानीय परिचालन वाले हिन्दी, अंग्रेजी और उर्दू/स्थानीय भाषा के एक समाचार पत्र में प्रकाशित की जाएगी।

(2) बोर्ड में किसी भी प्रवर्ग से नियुक्त कम से कम दो सदस्य महिलाएं होंगी।

**43. आकस्मिक रिक्ति भरना.**—यदि धारा 14 के अधीन किसी आकस्मिक रिक्ति के लिए निर्वाचन संचालित किए गए हैं, तो रिटर्निंग अधिकारी से निर्वाचन के परिणाम की प्राप्ति पर, सरकार ऐसे व्यक्ति को बोर्ड का सदस्य नियुक्त करते हुए धारा 14 की उप धारा (9) के अधीन राजपत्र में अधिसूचना जारी करेगी।

**44. अध्यक्ष का निर्वाचन.**—(1) धारा 13 के अधीन अधिसूचित नव गठित बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति के पश्चात् सरकार नियम 42 में यथा उपबंधित अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए बोर्ड की प्रथम बैठक अधिसूचित करेगी। अधिसूचना में यह कथित होगा कि ऐसी बैठक में अध्यक्ष निर्वाचित किया जाएगा।

(2) बैठक की अध्यक्षता सरकार के सचिव द्वारा की जाएगी, जो अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए कार्यवाहियां संचालित करेगा।

(3) अध्यक्ष के पद के लिए अभ्यर्थी का नाम किसी सदस्य द्वारा प्रस्तावित किया जाएगा, जिसका किसी अन्य सदस्य द्वारा समर्थन किया जाएगा। मतदान शुरू मतपत्र द्वारा होगा।

(4) किसी सदस्य का केवल एक मत होगा। मतों की अधिकतम संख्या प्राप्त करने वाला अभ्यर्थी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया घोषित किया जाएगा।

(5) मतों की बराबरी की दशा में, अभ्यर्थियों के नामों का लाट निकाला जाएगा और अध्यक्ष का चयन लाट द्वारा किया जाएगा।

(6) (क) जहां बोर्ड के अध्यक्ष या किसी सदस्य के निर्वाचन की विधिमान्यता के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो कोई भी हितबद्ध व्यक्ति निर्वाचन के परिणाम की घोषणा के तीस दिन के भीतर विनिश्चय के लिए अधिकरण के समक्ष आवेदन दाखिल कर सकेगा तथा अधिकरण का उस पर विनियम अंतिम होगा;

(ख) बोर्ड के अध्यक्ष या सदस्य के निर्वाचन से संबंधित किसी विवाद/प्रश्न या अन्य मामले के संबंध में किसी सिविल न्यायालय में कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही न होगी।

(7) निर्वाचन याचिका दो हजार की न्यायालय फीस के साथ ली जाएगी।

(8) अधिकरण, आवेदन का निपटान इसके दाखिल किए जाने से एक वर्ष के भीतर करेगा।

(9) बोर्ड के सदस्यों और अध्यक्ष के निर्वाचन को संचालित करने के लिए व्ययों का वहन सरकार द्वारा किया जाएगा।

#### अध्याय-4

### बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी

**45. बोर्ड के मुख्य कार्यकारी की सेवा के निबंधन और शर्तें.**—(1) धारा 23 की उपधारा (1) के अधीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद के लिए नियुक्ति सरकार द्वारा बोर्ड द्वारा सुझाए गए दो मुस्लिम अधिकारियों के पैनल से निम्नलिखित रीति में की जाएगी:—

(क) किसी सरकारी अधिकारी की नियुक्ति द्वारा; या

(ख) किसी सरकारी अधिकारी के प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा; या

- (ग) यदि धारा 23 की उपधारा (1) के यथावर्णित वर्गों में कोई अधिकारी उपलब्ध न हो तो बोर्ड द्वारा पद को क्षेत्र में परिचालन वाले एक उर्दू, हिन्दी और अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों में विज्ञापित करने के पश्चात् खुली भर्ती द्वारा जिसमें पद से सेवानिवृत्त ऐसा अधिकारी भी सम्मिलित हो सकेगा जो सरकार के उप सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो और जिसकी आयु 62 वर्ष से अधिक न हो।
- (2) मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु पात्र होने के लिए किसी अभ्यर्थी का:-
- (क) भारत का नागरिक होना आवश्यक है;
- (ख) मुस्लिम होना आवश्यक है;
- (ग) जिसके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की कोई स्नातक उपाधि या किसी विदेशी विश्वविद्यालय का कोई डिप्लोमा या उपाधि, जो सरकार की राय में पूर्वोक्त स्नातक की उपाधि के समतुल्य या उच्चतर है, होनी आवश्यक है; और
- (घ) जो उर्दू की जानकारी आवश्यक रखता हो।
- (3) जहां उपनियम (1) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया जाता है, वहां वह सरकार के उप सचिव (या उप सचिव के समतुल्य, यदि वह विभागीय सेवाओं से हो) की पंक्ति से नीचे का नहीं होगा।
- (4) मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद का वेतनमान और अनुरोध अन्य भत्ते सरकार द्वारा बोर्ड के परामर्श से नियत किए जाएंगे। यदि मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त व्यक्ति, सरकार, किसी संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या किसी स्थानीय निकाय में कोई अधिकारी है, तो उसको, यथास्थिति, संबद्ध सरकार, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या स्थानीय निकाय में अनुज्ञेय अन्य भत्तों सहित उसके अपने वेतनमान में जमा सरकारी नियमों में अधीन यथा अनुज्ञेय प्रतिनियुक्ति भत्ता आहृत करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा। प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतया एक वर्ष की होगी, जिसे सरकार द्वारा बोर्ड के परामर्श से, एक बार में एक वर्ष की अवधि से अनधिक अवधि के लिए, पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा।
- (5) यदि मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त व्यक्ति सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त कोई अधिकारी है, तो वह बोर्ड द्वारा यथानियत वेतन और भत्ते आहृत करेगा।
- (6) जहां मुख्य कार्यकारी अधिकारी खुली भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया है, तो वह:-
- (क) 35 वर्ष की आयु से कम का नहीं होगा;
- (ख) अपना पद ग्रहण करने से पूर्व, उससे सरकारी अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक से शरीरिक आरोग्यता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाएगी; और
- (ग) अपनी नियुक्ति की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर होगा और उसे तीन-चौथाई बहुमत सहित बोर्ड की सिफारिश पर स्थाई किया जा सकेगा या उसकी परिवीक्षा अवधि एक वर्ष की अन्य अवधि के लिए विस्तारित की जा सकेगी।
- (7) मुख्य कार्यकारी अधिकारी को तत्समय प्रवृत्त सरकार के यात्रा भत्ता नियम लागू होंगे।
- (8) मुख्य कार्यकारी अधिकारी के काल वेतनमान में कालिक वेतन वृद्धियां बोर्ड द्वारा मंजूर की जाएंगी।

(9) मुख्य कार्यकारी अधिकारी को सरकारी कर्मचारियों को लागू छुट्टी नियम और बोर्ड-कर्मचारियों को लागू आकस्मिक छुट्टी बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा और आकस्मिक छुट्टी से अन्यथा छुट्टी सरकार द्वारा मंजूर की जाएगी।

(10) मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद धारक की अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त की तारीख उस मास, जिसमें वह 58 वर्ष की आयु पूर्ण करता है, के अंतिम दिन या सरकारी कर्मचारियों के अनुसार होगी।

(11) मुख्य कार्यकारी अधिकारी लिखत में एक मास का नोटिस देने के पश्चात् अपने पद का त्याग कर सकेगा। इसी प्रकार बोर्ड एक मास का नोटिस देने के पश्चात् मुख्य कार्यकारी अधिकारी को कार्यमुक्त कर सकेगा:

परंतु बोर्ड अधिवर्षिता की तारीख को 58 वर्ष की आयु से अधिक पर 60 वर्ष की आयु तक विस्तारित कर सकेगा:

परंतु यह और कि ऐसा कोई विस्तार एक बार में एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए नहीं दिया जाएगा और ऐसा कोई विस्तार 60 वर्ष की आयु के पश्चात् भी नहीं दिया जाएगा:

परंतु यह और कि नोटिस अवधि बोर्ड के विवेकाधिकार पर घटाई जा सकती है।

(12) यथास्थिति, बोर्ड या सरकार द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी पर अच्छे और पर्याप्त कारणों के लिए निम्नलिखित शक्तियां अधिरोपित की जा सकेंगी, अर्थात्:—

(क) बोर्ड द्वारा —

(i) परिनिंदा;

(ख) सरकार द्वारा—

(i) वेतन वृद्धि रोकना; या

(ii) उपेक्षा या आदेशों के भंग द्वारा बोर्ड को या किसी वक्फ को कारित किसी धनीय हानि की वेतन से पूर्ण या आंशिक वसूली; या

(iii) काल वेतनमान में निम्नतर प्रक्रम में अवनति; या

(iv) अनिवार्य सेवानिवृत्ति; या

(v) सेवा से हटाया जाना, जो भविष्य में नियोजन हेतु कोई निरर्हता नहीं होगी; या

(vi) सेवा से पदच्युति, जो भविष्य में नियोजन हेतु सामान्यतया कोई निरर्हता होगी।

(13) बोर्ड द्वारा शास्ति की दशा में अपील, दण्ड के आदेश की प्राप्ति से साठ दिन के भीतर, सरकार को होगी और सरकार द्वारा अन्य शास्तियों के संबंध में अपील, साठ दिन के भीतर, केन्द्रीय सरकार को होगी। ऊपर वर्णित किसी भी शास्ति को अधिरोपित करने से पूर्व, केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील) नियम 1965, में विहित प्रक्रिया लागू होगी।

(14) अध्यक्ष द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए विहित प्ररूप में, सेवा अभिलेख और व्यक्तिगत फाइल अनुरक्षित की जाएगी।

## (15) राज्य सरकार:—

- (क) मुख्य कार्यकारी अधिकारी को उसके पद से हटाएगी, यदि प्रयोजनार्थ बुलाई गई बोर्ड की विशेष बैठक में, इस प्रकार हटाए जाने के लिए कोई संकल्प सदस्यों की कुल संख्या के 3/4 से अन्मून के बहुमत द्वारा पारित किया गया है; और
- (ख) मुख्य कार्यकारी अधिकारी को किसी भी समय उसके पद से हटा सकेगी, यदि सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है या ऐसे कर्तव्यों के निर्वहन में उपेक्षा या अवचार का दोषी रहा है, जो उसको हटाए जाने को समीचीन बनाता है।

**46. मुख्य कार्यकारी अधिकारी के कृत्य.—**अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अध्वधीन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी—

- (क) अधिनियम द्वारा या के अधीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी पर विनिर्दिष्ट: अधिरोहित समस्त कर्तव्यों का निर्वहन करेगा और प्रदत्त समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा;
- (ख) बोर्ड और समितियों की बैठक में भाग लेना और किसी सलाहकारी हैसियत में चर्चाओं में भाग ले सकेगा, परंतु उसे किसी संकल्प को प्रस्तावित करने का या मतदान करने का कोई अधिकार नहीं होगा;
- (ग) बोर्ड की समिति की बैठक में भाग लेगा, यदि उसकी अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति द्वारा ऐसा करने के लिए अपेक्षित हो;
- (घ) बोर्ड के साधारण अधीक्षक और नियंत्रण के अध्वधीन, बोर्ड के अधीन कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों या बोर्ड के अधीन ओकाफ को नियंत्रित करेगा;
- (ङ) बोर्ड के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों या बोर्ड के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन ओकाफ के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगा;
- (च) बोर्ड के संकल्प को कार्यान्वित करेगा; और
- (छ) ऐसे अन्य कृत्य करेगा, जो बोर्ड द्वारा प्रत्यायोजित किए जाएं।

**47. मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अभिलेखों, रजिस्ट्रों आदि का निरीक्षण करने की शक्तियां.—**  
(1) मुख्य कार्यकारी अधिकारी का इस निमित्त लिखत में उसके द्वारा प्राधिकृत बोर्ड का कोई अधिकारी.—

- (क) बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत या बोर्ड द्वारा प्रशासित किसी वक्फ के कब्जे में या नियंत्रणाधीन किसी अभिलेख, रजिस्टर या अन्य दस्तावेज को मांग सकेगा;
- (ख) किसी ऐसे वक्फ से कोई विवरणी, योजना प्राक्कलन, उसके द्वारा प्रशासित वक्फ सम्पत्ति के लेखों का विवरण देने की अपेक्षा कर सकेगा;
- (ग) किसी ऐसे वक्फ से, ऐसे वक्फ से संबंध कोई जानकारी या किसी मामले पर रिपोर्ट देने की अपेक्षा कर सकेगा;
- (घ) किसी ऐसे वक्फ से, किसी दावे को छोड़ने से पूर्व या उसके द्वारा प्रशासित किसी संस्था, जो आय का स्रोत है, को बंद करने से पूर्व बोर्ड की पूर्व मंजूरी अभिप्राप्त करने की अपेक्षा कर सकेगा; और

(ड) ऐसे वक्फ के किसी कार्यालय या किसी अभिलेख या अन्य दस्तावेजों या ऐसे वक्फ की जंगम संपत्तियों या वक्फ के नियंत्रणाधीन किसी कार्य या संस्था या संपत्ति का निरीक्षण करने की शक्ति रखेगा।

(2) ऐसे वक्फ का प्रत्येक मुतवल्ली का ऐसे वक्फ का कोई अधिकारी या कर्मचारी (जैसे संपदा अधिकारी) उप नियम (1) के खंड (ड) के अधीन कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए सुविधाओं देने हेतु आबद्ध होगा।

(3) मुख्य कार्यकारी अधिकारी या उसके द्वारा निमित्त सम्यक रूप से प्राधिकृत बोर्ड का कोई अधिकारी, समस्त युक्तियुक्त समय पर किसी सार्वजनिक कार्यालय में, किसी वक्फ से संबंधित किसी अभिलेख, रजिस्टर या अन्य दस्तावेज, जंगम या स्थावर संपत्तियों के रूप में दावाकृत है, का निरीक्षण करने का हकदार होगा तथा निरीक्षण के संबंध में ऐसी सभी सुविधाएं और सहायता, जो आवश्यक या युक्तियुक्त रूप से अपेक्षित हो, प्रदान करना ऐसे सार्वजनिक कार्यालय के प्रभारी अधिकारी का कर्तव्य होगा।

**48. शर्तें और निबंधन, जिनके अध्याधीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी या कोई अन्य अधिकारी किसी सार्वजनिक कार्यालय अभिलेख और रजिस्ट्रों का निरीक्षण कर सकेगा.—**(1) जब कभी मुख्य कार्यकारी अधिकारी या उसके द्वारा लिखत में सम्यक रूप से प्राधिकृत बोर्ड का कोई अन्य अधिकारी धारा 29 के अधीन कोई निरीक्षण करना चाहता है, तो वह ऐसा करने के अपने आशय को अभिव्यक्त करते हुए कार्यालय के प्रभारी अधिकारी को लिखत में आवेदन करेगा।

(2) प्रभारी अधिकारी ऐसे आवेदन की प्राप्ति से तीन दिन के भीतर ऐसा निरीक्षण अनुज्ञात करेगा।

(3) मुतवल्ली या वक्फ संपत्ति से संवेधित किसी दस्तावेज की अभिरक्षा रखने वाला कोई अन्य व्यक्ति, लिखत में ऐसा करने की मांग पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी के समक्ष दस दिन के भीतर उनको पेश करेगा तथा यदि ऐसा वांछित हो तो अगले दस दिन के भीतर दस्तावेजों की प्रतियां प्रदत्त करेगा।

(4) मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा किसी लिखित अनुरोध पर, सरकार का कोई अभिकरण या कोई अन्य संगठन दस कार्य दिवस के भीतर वक्फ संपत्तियों या दावाकृत वक्फ संपत्तियों से संबंधित अभिलेख, संपत्तियों के रजिस्टर या अन्य दस्तावेजों की प्रतियां प्रदत्त करेगा। यदि किसी कारण वश अपेक्षित दस्तावेज दस कार्य दिवस के भीतर प्रदत्त नहीं किए जा सकते हैं, तो सरकार का संबंध अभिकरण या संगठन जानकारी/दस्तावेजों का प्रदान करने के लिए दस कार्य दिवस से अनधिक का और समय मांगेगा।

(5) मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा यथा अपेक्षित दस्तावेजों का प्रदान निःशुल्क होगा:

परंतु उप नियम (4) और (5) में यथावर्णित जानकारी/दस्तावेज मांगने से पूर्व, मुख्य कार्यकारी अधिकारी बोर्ड का अनुमोदन अभिप्राप्त करेगा।

## अध्याय 5

### बोर्ड के अभिलेख का निरीक्षण और उनकी प्रतियां प्रदान करना

**49. निरीक्षण की शर्तें और प्रति जारी करना.—**(1) बोर्ड के अभिलेख के निरीक्षण के लिए सभी आवेदन मुख्य कार्यकारी अधिकारी को हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड प्ररूप-13 में किए जाएंगे, जो संदाम पर बोर्ड के कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं:

परन्तु जब तक नोटिस में अन्यथा कथन न किया गया हो, तब तक उप नियम (1) का उपबंध आवेदन मांगने वाले नोटिसों के उतर में प्रस्तुत आवेदनों या छात्रवृत्तियों या वृत्तिकाओं के लिए किए गए आवेदनों को लागू नहीं होगा।

(2) बोर्ड या किसी समिति के अभिलेख या कार्यवाहियों के निरीक्षण हेतु आवेदन पर अनुज्ञा मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा पचास रुपये प्रति घण्टा या उसके भाग या समय—समय पर बोर्ड द्वारा यथानियत के संदाम पर, जिसे आवेदक द्वारा बोर्ड के कार्यालय में अग्रिम में जमा (निक्षिप्त) किया जाएगा, प्रदान की जा सकेगी।

(3) बोर्ड या किसी समिति के अभिलेख या कार्यवाहियों की प्रमाणित प्रति मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा ए-4 आकार के लिए पचास रुपये प्रति प्रतिलिपि और विधिक आकार के लिए एक सौ रुपये प्रति प्रतिलिपि या उसका भाग या बोर्ड द्वारा समय—समय पर यथानियत के संदाम पर प्रदान की जाएगी:

परन्तु हिमाचल प्रदेश वक्फ प्ररूप-14 में आवेदन के साथ एक सौ रुपये या बोर्ड की रसीद संलग्न होगी:

परन्तु यह और कि आवेदन को मुख्य कार्यकारी अधिकारी के आदेश के विरुद्ध तीस दिन की अवधि के भीतर अध्यक्ष को अपील करने का अधिकार होगा।

(4) ऐसे मामलों में अपील के साथ एक सौ रुपये के लिए या बोर्ड द्वारा समय—समय पर यथानियत बोर्ड की रसीद संलग्न होगी।

**50. भू-अभिलेख में वक्फ सम्पत्तियों की प्रविष्टियां।—**(1) बोर्ड ओकाफ के रजिस्टर में प्रविष्ट सभी संपत्तियों के ब्यौरे, संपत्ति अधिकारिता वाले संबद्ध भू-अभिलेख अधिकारी को अग्रेषित करेगा।

(2) ओकाफ के रजिस्टर में प्रविष्ट संपत्तियों के ब्यौरे की प्राप्ति पर, भू-अभिलेख अधिकारी या तो भू-अभिलेख में आवश्यक प्रविष्टियां करेगा या बोर्ड से संसूचना की प्राप्ति की तारीख से छः मास की अवधि के भीतर संसूचित करेगा और बोर्ड को अपना आक्षेप सम्प्रेषित करेगा।

(3) यदि भू-अभिलेख अधिकारी से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं होता है तो प्रविष्टि भू-अभिलेख में की गई समझी जाएगी।

**51. बोर्ड के आदेशों का अधिप्रमाणन।—**(1) अध्यक्ष या मुख्य कार्यकारी अधिकारी या बोर्ड द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति लिखित में बोर्ड के आदेशों और विनिश्चयों को अधिप्रमाणित करेगा।

(2) सामान्य मोहर (मुद्रा) मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अभिरक्षा में रहेगी।

(3) बोर्ड का/की ओर से पत्राचार अध्यक्ष या मुख्य कार्यकारी अधिकारी या बोर्ड द्वारा लिखित में प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के नाम से होगा और बोर्ड से समस्त पत्राचार अध्यक्ष या मुख्य कार्यकार अधिकारी या बोर्ड द्वारा लिखित में किसी व्यक्ति को सम्बोधित होगा।

-----

#### अध्याय-6

**जांच करने के लिए बोर्ड और मुख्य कार्यकारी अधिकारी की शक्तियां रीति, जिसमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा जांच कि जाएगी।—**(1) हितबद्ध पक्षकारों को धारा 39 की उपधारा (1) कि अधीन तारीख, समय और उसे आयोजित करने के लिए नियत स्थान सूचित करते हुए जांच का नोटिस दिया जाएगा।

(2) उन समस्त व्यक्तियों, जो नोटिस के प्रत्युत्तर में उपस्थित होते हैं, को सुनवाई के लिए नियत समय पर सुना जाएगा और जांच अधिकारी आक्षेपों तथा सुझावों से अन्तर्विष्ट लिखित कथन फाइल करने हेतु तीन से अनधिक अवसरों के लिए स्थगन प्रदान कर सकेगा।

(3) कार्यवाहियों के किसी भी पक्षकार को, व्यक्तिगत रूप में या प्लीडर के माध्यम से मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य देने और साक्षियों को बुलाने के लिए समन करने हेतु या दस्तावेजों के लिए आवेदन करने का अधिकार होगा।

(4) जांच अधिकारी साक्षियों के मौखिक साक्ष्य अभिलिखित करेगा और प्लीडर की उपस्थिति, शपथ-पत्र फाइल करने दस्तावेज प्रस्तुत करने का परीक्षण करने मौखिक साक्ष्य को अभिलिखित साक्षियों करने कमीशन जारी करने और दस्तावेजों को वापस करने तथा अंतरिम आदेश पारित करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता में अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा।

(5) वक्फ परिसरों पर अधिभोग की दशा में जांच अधिकारी परिसरों के अधिभोग हेतु उसे प्राधिकृत करने वाले विधिक दस्तावेज लेगा।

(6) विधिमान्य दस्तावेज प्रस्तुत न करने की दशा में अधिभोगी को अधिक्रमणकारी घोषित किया जाएगा।

(7) जांच अधिकारी छः मास के भीतर जांच पूरी करेगा और बोर्ड को उस तारीख से, जिस के जांच सम्पन्न होती है, तीस दिन के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

#### अध्याय-7

### बजट और मुतवल्ली या प्रबंध समिति द्वारा व्यवस्थित वक्फ के लेखों के संपरीक्षा

**53. बजट तैयार करने के लिए समय और रीति:—**(1) पच्चीस हजार रुपये से अधिक सकल वार्षिक आय वाले वक्फ की प्रत्येक मुतवल्ली या प्रबंध समिति का सचिव वित्तीय वर्ष प्रारम्भ होने से कम से कम तीस दिन पूर्व आगामी वित्तीय वर्ष के लिए प्रकलित प्राप्तियां और व्यय दर्शाते हुए बोर्ड के हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड प्ररूप-15 में बजट प्रस्तुत करेगा।

(2) नोटिस देने के पश्चात भी विहित समय के भीतर बजट प्रस्तुत करने में असफल रहने पर बोर्ड द्वारा मुतवल्ली का हटाना/समिति का विघटन हो सकेगा।

(3) बोर्ड, बजट प्रस्ताव की संवीक्षा करेगा और सुनिश्चित करेगा कि उसमें धारा 44 की उप धारा (2) में निर्दिष्ट आबद्धकर व्यय के लिए और उस प्रयोजन के कार्यान्वयन के लिए उपबन्ध लिया गया है जिसके लिए वक्फ विलेख द्वारा वक्फ विनिर्दिष्ट या आदिष्ट किया गया है।

(4) यदि कोई मद्द वक्फ के उद्देश्यों या अधिनियम के उपबंधों के प्रतिकूल समझी जाए तो बोर्ड बजट का उपान्तरण करने के लिए निदेश दे सकेगा।

(5) यदि बोर्ड का समाधान हो जाता है कि कतिपय मदों के लिए बजट में पर्याप्त प्रावधान नहीं किया गया है तो उसे ऐसी रीति में, जो ऐसे प्रावधान को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो, इसमें उपान्तरण करने की शक्ति होगी और इसे सम्बद्ध मुतवल्ली को वापस भेजेगा।

(6) प्रत्येक मुतवल्ली सुझावों पर विचार करेगा और बोर्ड द्वारा किए गए उपान्तरणों को बजट में सम्मिलित करेगा तथा उस वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ से पूर्व, जिससे यह सम्बन्धित है, बजट पारित करेगा।

(7) इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी बोर्ड अधिनियम के और वक्फ विलेख के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए मुतवल्ली के इसके प्राक्कलनों को उपान्तरित करने के लिए निदेश दे सकेगा और ऐसा बोर्ड के निदेश की अनुपालना करेगा।

(8) जैसे ही बजट पारित हो जाता है तो प्रत्येक मुतवल्ली इसकी प्रतियां बोर्ड को तत्काल प्रस्तुत करेगा।

(9) किसी वक्फ द्वारा या उसकी ओर से किसी भी राशि का तब तक व्यय नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसी राशि धारा 44 के अधीन स्वीकृत (मंजूर) बजट प्राक्कलनों में सम्मिलित न की गई हो और जो व्यय उपगत करते समय प्रवृत्त हो।

(10) यदि वर्ष के दौरान कोई मुतवल्ली वक्फ की ओर से उसके द्वारा आरम्भ की गई विभिन्न सेवाओं पर व्यय किए जाने वाले आंकड़ों में कोई परिवर्तन करना आवश्यक समझे तो वह अनुपूरक या संशोधित बजट तैयार कर सकेगा और इसे स्वीकृत (मंजूर) करवा सकेगा।

**54.** प्ररूप जिसमें और समय जिसके भीतर बोर्ड के प्रत्यक्ष प्रबंधन के अधीन वक्फ का अलग से बजट तैयार किया जाना है:—

(1) मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रत्येक वर्ष के जनवरी मास के तृतीय सप्ताह से पूर्व बोर्ड के प्रत्यक्ष प्रबंधन के अधीन प्रत्येक वक्फ की प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय को दर्शाते हुए अगामी वित्तीय वर्ष की बाबत हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड प्ररूप-15 में बजट तैयार करेगा और इस में प्राक्कलित प्राप्तियां और व्यय दर्शाते हुए इसे बोर्ड को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगा।

(2) मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रत्येक बजट में धारा 45 और 46 की अपेक्षाओं की अनुपालना की जाएगी और इसे प्रयोजन के लिए इसमें वक्फ के मुतवल्ली के निर्देश को मुख्य कार्यकारी को किया गया निर्देश समझा जाएगा। मुख्य कार्यकारी अधिकारी बजट के साथ-साथ बोर्ड के प्रत्यक्ष प्रबंधन (उपबन्ध) के अधीन, प्रत्येक वक्फ की आय में बढ़ोतरी, यदि कोई हो, के ब्यौरे देते हुए और इसके बेहतर प्रबंधन के लिए उठाए गए कदमों तथा वर्ष के दौरान उससे प्रोद्भूत परिणामों की एक विवरणी भी तैयार करेगा और उसे अग्रेषित करेगा।

(3) बोर्ड बजट प्रस्तावों की संवीक्षा करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि इसमें अधिनियम के अधीन उपगत होने वाले आबद्धकर व्यय और वक्फ द्वारा बोर्ड को जो प्रशासनिक प्रभार संदेय होंगे, के लिए प्रावधान (उपबन्ध) किया गया है।

(4) यदि बोर्ड का समाधान हो जाता है कि बजट में पर्याप्त प्रावधान नहीं किया गया है तो उसे, बजट को ऐसी रीति, जो ऐसे प्रावधान को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो, उपान्तरण करने की शक्ति होगी और बजट के उस वित्तीय वर्ष, जिससे यह संबंधित है, के प्रारम्भ से पूर्व पारित करेगा।

(5) यदि वर्ष के दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारी बजट में दर्शाई गई प्राप्तियों या वक्फ की ओर से बोर्ड द्वारा आरम्भ की गई विभिन्न सेवाओं पर व्यय की जाने वाली रकमों के वितरण की बाबत आंकड़ों में परिवर्तन करना आवश्यक समझता है तो अनुपूरक बजट या संशोधित बजट तैयार किया जा सकेगा और उसे स्वीकृत (मंजूर) करवाया जा सकेगा।

**55. अन्तराल जिसमें वक्फ के लेखों की संपरीक्षा की जा सकेगी.—**(1) मुतवल्ली प्रबंधन समिति जिसकी वार्षिक आय पचास हजार रुपये से अधिक हो के प्रबंधन के अधीन वक्फ के लेखों, ऐसे मुतवल्ली/प्रबंधन समिति द्वारा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तीन मास के भीतर संपरीक्षा के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे।

(2) ऐसे वक्फ जिसकी शुद्ध वार्षिक आय पचास हजार रुपये से अधिक न हो के मामले में लेखों की विवरणी देना ही पर्याप्त होगा और ऐसे वक्फ का दो प्रतिशत बोर्ड के संपरीक्षक द्वारा संपरीक्षित किया जाएगा।

(3) ऐसे लेखे वित्तीय वर्ष की समाप्ति के एक वर्ष के भीतर या कारणों को अभिलिखित करके अध्यक्ष के अनुमोदन से दो वर्ष के भीतर संपरीक्षित किए जाएंगे।

**56. वक्फ के मुतवल्ली द्वारा बोर्ड को संदेय वार्षिक अभिदाय और उसका अवधारण.—**(1) प्रत्येक वक्फ, जिसकी शुद्ध वार्षिक आय पचास हजार रुपये से कम न हो, का मुतवल्ली ऐसी आय का सात प्रतिशत प्रति वर्ष बोर्ड को वार्षिक अभिदाय के रूप में संदत करेगा।

(2) वक्फ का मुतवल्ली ऐसे समय के भीतर, जो बोर्ड द्वारा नियत किया जाए और ऐसे प्ररूप में, जैसा बोर्ड द्वारा अवधारित किया जाए, वक्फ की शुद्ध वार्षिक आय की विवरणी मुख्य कार्यकारी अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

(3) उप नियम (1) के अधीन विवरणी की प्राप्ति पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुतवल्ली द्वारा प्रस्तुत विवरणी का सत्यापन करेगा और यदि विवरणी की शुद्धता के बारे में उसका समाधान हो जाता है तो वह ऐसी विवरणी के अनुसार वार्षिक अभिदाय नियत कर सकेगा/ यदि समय के भीतर कोई विवरणी दाखिल न की गई हो तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्वप्रेरणा से मुतवल्ली द्वारा संदत किए जाने वाले वार्षिक अभिदाय को नियत करेगा।

(4) यदि मुख्य कार्यकारी अधिकारी की यह राय है कि उप नियम (1) के अधीन प्रस्तुत की गई विवरणी गलत है या उसमें सारवान् विशिष्टियाँ मिथ्या हैं या ऐसी विवरणी की अन्तर्वस्तु अधिनियम के उपबंधों या बनाए गए नियमों या बोर्ड द्वारा जारी किसी आदेश की अनुपालना में नहीं है तो वह मुतवल्ली नाटिस में विनिर्दिष्ट समय के भीतर कारण बताने की अपेक्षा कर सकेगा कि क्यों न विवरणी के ऐसे निर्धारण को संशोधित किया जाए।

(5) मुख्य कार्यकारी अधिकारी सम्बद्ध मुतवल्ली से प्राप्त उत्तर, यदि कोई है, पर विचार करने के पश्चात् अपने श्रेष्ठ निर्णय के अनुसार वक्फ की शुद्ध वार्षिक आय का निर्धारण कर सकेगा या मुतवल्ली द्वारा प्रस्तुत की गई विवरणी में जो दर्शाई गई या यथा निर्धारित वार्षिक शुद्ध आय को संशोधित कर सकेगा और संशोधित आय वक्फ की शुद्ध वार्षिक आय समझी जाएगी।

(6) निर्धारण नियत करने या संशोधित करने में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के निर्णय से व्यथित कोई मुतवल्ली विवरणी की निर्धारण या संशोधन की प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर बोर्ड को अपील कर सकेगा और बोर्ड मुतवल्ली को सुनवाई का युक्ति युक्त अवसर देने के पश्चात् विवरणी के निर्धारण की पुष्टि कर सकेगा, उसे उलट सकेगा या उसमें उपान्तरण कर सकेगा।

(7) बिना किसी समुचित स्पष्टीकरण के लेखे प्रस्तुत करने ओर धन का समय पर प्रेषण करने में असफल रहने पर मुतवल्ली को हटाया जा सकेगा/प्रबंध समिति का विघटन किया जा सकेगा।

**57. परिस्थितियाँ और शर्तें जिनके अधधीन बोर्ड अभिदाय को कम या उसका परिहार कर सकेगा.—**(1) मुतवल्ली द्वारा धारा 72 के अधीन संदेश किसी भी अभिदाय का बोर्ड की पूर्व मंजूरी के सिवाय परिहार नहीं किया जाएगा या उस में कमी नहीं की जाएगी।

(2) बोर्ड द्वारा मंजूर कमी या परिहार केवल उस वर्ष के लिए, जिसके लिए इसे मंजूर किया गया है, प्रवर्तन में रहेगी/रहेगा जहाँ इसका पश्चातवर्ती वर्ष में जारी रहना आवश्यक हो, तो नई मंजूरी देगा।

(3) बोर्ड मुतवल्ली से प्राप्त आवेदन पर आदेश द्वारा, निम्नलिखित मामलों में मुतवल्ली द्वारा संदत्त किए जाने वाले अभिदाय का परिहार या उस में कमी मंजूर कर सकेगा, अर्थात्.—

- (क) वक्फ के धन और स्टोर समान की हानि जो मुतवल्ली या वक्फ के अन्य कर्मचारियों की उपेक्षा के कारण न हुई हो;
- (ख) सूखे या अन्य अकल्पित कारणों जैसे बाढ़ के कारण फसलों के नष्ट हो जाने के कारण आय की हानि;
- (ग) पूर्ववर्ती मुतवल्ली के कुप्रबंधन के कारण निधियों की कमी;
- (घ) उधारों, अग्रिमों और ऋणों की वसूली न होने के कारण निधियों की कमी;
- (ङ) जहां वक्फ किसी अनाथालय, जिसके स्रोत इसके सम्यक प्रबंधन के लिए अपर्याप्त है, की सहायता करता है; और
- (च) तीन-चौथाई बहुमत से बोर्ड द्वारा अनुमोदित अन्य कारण।

(4) अभिदाय में कोई कमी करने या उसका परिहार करने की मंजूरी से पूर्व बोर्ड प्रत्येक मामले में परिस्थितियों का विस्तृत अनवेषण करेगा और अपना समाधान करेगा कि ऐसी कमी करना या ऐसा परिहार करना आवश्यक है।

**58. वक्फ निधि में धन का संदाय और ऐसे धन का विनिधान.**—(1) बोर्ड अपने अधिकारियों में से किसी एक अधिकारी (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्राधिकृत अधिकारी" कहा गया है) को वक्फ निधि के संदायों को प्राप्त करने, अभिस्वीकृतियां जारी करने और बोर्ड की ओर से संदाय करने के लिए प्राधिकृत करेगा।

(2) प्राधिकृत अधिकारी से बोर्ड को, ऐसी रकम के लिए जैसी बोर्ड इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, प्रतिभूतियां या प्रतिभूओं को देने की अपेक्षा की जाएगी। प्रतिभूओं की शोधन क्षमता क्षेत्र जहां कर्मचारी प्रत्येक वर्ष के प्रारम्भ पर रह रहा है, के उप-मण्डल मजिस्ट्रेट से सत्यापित करवाई जाएगी।

(3) प्राधिकृत अधिकारी वक्फ निधि में जमा उसके द्वारा प्राप्त समस्त धन के लिए अभिस्वीकृतियां प्रदान करेगा। इस प्रयोजन के लिए मुद्रित अभिस्वीकृति संख्या वाली प्रतिपण अभिस्वीकृति अनुरक्षित की जाएगी।

(4) समस्त ऐसा धन तुरन्त निम्नलिखित में जमा किया जाएगा:—

- (क) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) में यथापरिभाषित किसी अधिसूचित बैंक में, या
- (ख) किसी डाकघर बचत बैंक खाते में, या
- (ग) हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक में।

(5) समस्त ऐसे निक्षेप (जमा) बोर्ड के नाम से किए जाएंगे। अध्यक्ष या बोर्ड द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत बोर्ड के किसी अन्य सदस्य या अधिकारी को ऐसे निक्षेप या उसके किसी भाग को प्रत्याहृत करने की करने की शक्तियां होगी और वह बैंक खाते का, ऐसी शर्तों पर, जैसी बोर्ड कोई समुचित समझे, संचालन करेगा।

(6) बैंक से किसी भी धन का तब तक प्रत्याहरण नहीं किया जाएगा जब तक कि बोर्ड के प्रयोजन के लिए तुरन्त संदाय के लिए ऐसा करना आवश्यक न हो।

(7) नियम के तौर पर व्यय की अभिस्वीकृतियों का विनियोग से बचा जाएगा।

(8) वक्फ निधि से संदाय नकद या चैक द्वारा किया जाएगा। पांच सौ रुपये से कम की रकमों के लिए चैक जारी नहीं किया जाएगा।

(9) निर्विविधातः संदेय धन असंदत नहीं रखा जाएगा और संदत्त धन जब तक कि आत्यन्तिक रूप से आवश्यक न हो एक दिन से अधिक लेखे से बाहर नहीं रखा जाएगा।

(10) बोर्ड के विरुद्ध दावा रखने वाला व्यक्ति सम्यक् रूप से सत्यापित और स्टांपित बाऊचर प्रस्तुत करेगा। समस्त बाऊचर स्याही से भरे और हस्ताक्षरित किए जाएंगे। रकम अंकों के साथ-साथ शब्दों में भी लिखी जाएगी। वाऊचरों में समस्त संशोधन और परिवर्तन वाऊचर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के तारीख सहित आद्याक्षरों द्वारा सत्यापित किए जाएंगे।

(11) नकद या चैक द्वारा पांच हजार रुपये से अधिक समस्त अभिस्वीकृतियों में अपेक्षित मूल्य की रसीदी टिकट लगानी होगी।

(12) वक्फ निधि से लेन-देन के लिए प्राधिकृत अधिकारी उसकी अभिरक्षा करने के लिए और चोरी द्वारा, कपट से, आग लग जाने या किसी अन्य कारण से किसी हानि की प्रतिपूर्ति के लिए भी उत्तरदायी होगा:

परन्तु यदि किसी मामले में ऐसी जांच, जैसी बोर्ड द्वारा की जाए, के पश्चात् बोर्ड का समाधान हो जाता है कि हानि अपरिहार्य की और रकम की समुचित अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी अधिकारी की ओर से किसी उपेक्षा के कारण यह नहीं हुई है तो बोर्ड सम्बद्ध अधिकारी द्वारा रकम की हानि की प्रतिपूर्ति के लिए आग्रह नहीं करेगा किन्तु वह इसे बट्टे खाते में डाल सकेगा।

(13) वर्ष के दौरान व्यय के लिए अनपेक्षित रकम का बोर्ड द्वारा—

(क) निम्नलिखित में से किसी एक या अन्य प्रतिभूतियों में विनिधान किया जाएगा:—

(i) वचन पत्रों, डिबेंचरों, स्टॉकों या केन्द्रीय सरकार की अन्य प्रतिभूतियों में;

(ii) स्टॉक या डिबेंचरों में या कम्पनियों के शेयरों में जिनमें सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा ब्याज गारंटीकृत किया गया है;

(iii) किसी अधिनियम के प्राधिकार के अधीन किसी नगरपालिका निकाय द्वारा या उसकी ओर से धन के लिए जारी डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों में; या

(ख) निम्नलिखित में तीन वर्ष से अनाधिक अवधि के लिए सावधि जमा में—

(i) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) के अधीन यथा परिभाषित किसी अधिसूचित बैंक में; या

(ii) हिमाचल प्रदेश सहकारी बैंक में; या

(iii) सरकार की पूर्व मंजूरी से अचल (स्थावर) सम्पत्ति के क्रय के लिए या प्रथम बन्धक के लिए।

(14) उप नियम (13) के अधीन विनिधान बोर्ड के पूर्व अनुमोदन के बिना गिरवी नहीं रखा जाएगा, भुनाया नहीं जाएगा या प्रत्याहृत नहीं किया जाएगा।

(15) बोर्ड इसके लेखों की बाबत लेखा पुस्तकें और अन्य पुस्तकों को ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जैसा विनियमों द्वारा उपबंधित किया जाए अनुरक्षित करवाएगा। लेखा पुस्तकों, रजिस्ट्रों, अभिस्वीकृतियों आदि में पृष्ठ क्रमानुसार संख्याकित किए जाएंगे और प्रत्येक पृष्ठ पर बोर्ड की मुहर लगाई

जाएगी। प्रत्येक पुस्तक या रजिस्टर में जितने भी पृष्ठ हैं, उन्हें मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा वास्तविक सत्यापन के पश्चात् प्रथम पृष्ठ पर नोट किया जाएगा।

(16) मुख्य कार्यकारी अधिकारी का यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व होगा कि बोर्ड को देय समस्त अभिदाय, फीस, भाटक और अन्य रकमों अविलम्ब मांगी जाएं, वसूल की जाएं और वक्फ निधि में जमा की जाए।

(17) मुख्य कार्यकारी अधिकारी बोर्ड के वित्त, बजट से सम्बन्धित कार्य का प्रभारी होगा।

(18) मुख्य कार्यकारी अधिकारी बोर्ड के बजट, लेखा और संपरीक्षा की बाबत निम्नलिखित कर्तव्य का पालन और कृत्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात्—

- (क) वह यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा कि बोर्ड के बजट प्राक्कलन बोर्ड द्वारा और सरकार द्वारा इस निमित्त जारी अनुदेशों को ध्यान में रखते हुए समुचित रूप से तैयार किए गए हैं और निश्चित समय के भीतर बोर्ड को प्रस्तुत किए जाए;
- (ख) वह मुतवल्ली द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट प्रस्तावों की पूर्णतया संवीक्षा करेगा और बजट की संवीक्षा करने में बोर्ड की सहायता करेगा;
- (ग) वह समस्त नई स्कीमों, जिनके लिए बजट में प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है, की संवीक्षा करेगा और उस पर परामर्श देगा;
- (घ) वह यह सुनिश्चित करेगा कि बोर्ड के मासिक और वार्षिक लेखें समुचित रूप से और समय पर संकलित किए गए हैं;
- (ङ) वह व्यय की प्रगति की कालिक विवरणियां अभिप्राप्त करेगा, अवलोकन करेगा और स्वीकृत रकम के विरुद्ध प्रगति का पुनर्विलोकन करेगा तथा बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों को ऐसे अनुदेश जारी करेगा जो आवश्यक प्रतीत हों;
- (च) वह अनुपूरक अनुदानों के लिए प्रस्तावों की संवीक्षा करेगा और समुचित रूप से बोर्ड को परामर्श देगा;
- (छ) वह लेखा आपत्तियों और लेखा निरीक्षण रिपोर्टों और उनका परिनिर्धारण करने के लिए नियमित सम्पर्क में रहेगा;
- (ज) वह बोर्ड के देय की वसूलियों और ऋण तथा ब्याज के प्रतिसंदाय पर सतर्कतापूर्वक निगरानी रखेगा;
- (झ) वह बोर्ड के लेखों के अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी होगा;
- (ञ) वह अधिकारियों से भण्डारों और स्टॉकों तथा उनके मूल्य की कालिक विवरणियां अभिप्राप्त करेगा और उनका पुनर्विलोकन करेगा। वह ऐसे लेखों पर अपनी टिप्पणियां देगा और इन्हें बोर्ड के समक्ष रखेगा;
- (ट) वह कोई सूचना और आंकड़े जो बोर्ड द्वारा बजट, लेखा और संपरीक्षा से सम्बन्धित मामलों पर मांगे जाए, प्रस्तुत करेगा;
- (ठ) वह कालिकतः बोर्ड के लेखों की आन्तरिक संपरीक्षा की व्यवस्था करेगा और ऐसी संपरीक्षा के दौरान ध्यान में आई किन्हीं त्रुटियों के परिशोधन के लिए आवश्यक पग उठाएगा और उपरोक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर इस आदेश की अनुपालना करेगा; और

(ड) वह उन मामलों, जहाँ बजट प्राक्कलनों में किसी भी उपबन्ध के अभाव में संदाय किए गए हैं, के अतिरिक्त नियमों तथा विनियमों के तत्प्रतिकूल किए गए संदायों के समस्त दृष्टांतों की रिपोर्ट बोर्ड को करेगा।

(19) बोर्ड वर्ष के दौरान वास्तविक और सामान्य व्यय को ध्यान में रखते हुए वित्तीय वर्ष के दौरान संशोधित प्राक्कलन तैयार कर सकेगा।

**59. बोर्ड का बजट.—**(1) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रत्येक वर्ष, अगामी वित्तीय वर्ष की बाबत हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड प्ररूप-23 में बजट तैयार करेगा जिसमें उस वित्तीय वर्ष के दौरान प्राक्कलित प्राप्तियां और व्यय दर्शित किए जाएंगे और 31 दिसम्बर तक बोर्ड के समक्ष रखेगा।

(2) बोर्ड बजट प्रस्ताव की संवीक्षा करेगा और यदि आवश्यक हो, तो समुचित उपान्तरण करेगा तथा 31 जनवरी से पूर्व सरकार को इसकी प्रति अग्रेषित करेगा।

(3) सरकार इसे अग्रेषित किए गए बजट की प्राप्ति पर, इसका परीक्षण करेगी और इसमें किए जाने वाले ऐसे परिवर्तन, संशोधन या उपान्तरण करने के लिए सुझाव देगी, जो वे उचित समझे और ऐसे सुझावों को बोर्ड को इसके विचारार्थ अग्रेषित करेगी।

(4) सरकार के सुझावों की प्राप्ति पर, यदि बोर्ड सरकार द्वारा बजट में किए गए किसी उपान्तरण, संशोधन या परिवर्तन से सहमत नहीं होता है तो बोर्ड, सरकार द्वारा सुझाए गए परिवर्तनों, संशोधनों या उपान्तरणों की बाबत सरकार को तत्काल लिखित अभ्यावेदन कर सकेगा।

(5) सरकार, बोर्ड के अभ्यावेदन पर विचार करेगी और मामले पर अन्तिम आदेश पारित करेगी और ऐसे अभ्यावेदन की प्राप्ति की तारीख से तीन सप्ताह की अवधि के भीतर अपना विनिश्चय संसूचित करेगी।

(6) सरकार के सुझावों की प्राप्ति पर बोर्ड द्वारा यदि ऐसे सुझावों पर कोई अभ्यावेदन नहीं किया गया है सरकार ने, बोर्ड द्वारा किए गए किसी अभ्यावेदन, यदि कोई है, से सम्बन्धित अपना विनिश्चय संसूचित किया है तो बोर्ड, सरकार द्वारा अन्तिम रूप सुझाए गए समस्त परिवर्तनों, संशोधनों, उपान्तरणों को अपने बजट में सम्मिलित करेगा और इस प्रकार परिवर्तित, संशोधित या उपान्तरित बजट बोर्ड द्वारा पारित किया जाएगा। इस प्रकार पारित बजट की प्रति सरकार को अग्रेषित की जाएगी। यदि पन्द्रह दिन के भीतर सरकार से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं होता है तो बजट को अन्तिम घोषित किया जाएगा।

(7) यदि बोर्ड वर्ष के दौरान उस द्वारा जिम्मा ली गई भिन्न-भिन्न सेवाओं पर व्यय की गई रकम की प्राप्तियों या वितरण की बाबत बजट में दर्शाए गए अंकों में परिवर्तन करना आवश्यक समझता है तो अनुपूरक या संशोधित बजट तैयार कर सकेगा और इन नियमों में उपबन्धित रीति में उसे मंजूर करवाएगा तथा इसकी प्रतियां सरकार को अग्रेषित की जाएंगी।

(8) किसी भी राशि का बोर्ड द्वारा तब तक व्यय नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसी राशि धारा 78 के अधीन मंजूर किए गए और उपगत व्यय के समय पर प्रवृत्त बजट प्राक्कलन में सम्मिलित न कर दी गई हो।

#### अध्याय-8

#### वक्फ सम्पत्तियों से अधिक्रमण का हटाया जाना और उसका प्रत्युद्घरण

**60. अध्यधीन मार्ग दर्शन (दिशा निर्देश)** जिसके अधीन रहते कलक्टर अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन में अन्तरित सम्पत्ति का प्रत्युद्घरण करेगा.—(1) बोर्ड स्थानीय क्षेत्र, जहां वक्फ सम्पत्ति अवस्थित है में

रह रहे किसी व्यक्ति से प्राप्त रिपोर्ट पर या अन्यथा सूचना की प्राप्ति पर कि वक्फ सम्पत्ति को धारा 51 या 56 के उपबन्धों के उल्लंघन में अन्तरित किया गया है, धारा 37 के अधीन अनुरक्षित ओकाफ के रजिस्टर से अभिनिश्चित करेगा, यदि सम्पत्ति जिसका अन्तरित किया जाना अभिकथित है, वक्फ सम्पत्ति है, और यदि ऐसा तो बोर्ड सम्बद्ध रजिस्ट्रीकरण कार्यालय से अन्तरण विलेख की प्रमाणित प्रति प्राप्त करेगा। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नियम 52 में उपबन्धित रीति में जांच संचालित करने के पश्चात् वक्फ सम्पत्ति की एक सम्पूर्ण रिपोर्ट, सम्पत्ति से सम्बन्धित निष्पादित किए गए अन्तरण विलेख के ब्योरे, विलेख या अन्य दस्तावेज निष्पादित करने वाले व्यक्ति का नाम और पूर्ण विशिष्टियां और व्यक्ति या व्यक्तियों, जिनके नाम सम्पत्ति अन्तरित की गई है, का/के विशिष्टियों सहित नाम, विनिर्दिष्ट करते हुए, तैयार करेगा। इस रिपोर्ट में ओकाफ के रजिस्टर में प्रविष्टियों के साथ सम्पत्ति के ब्योरे की तुलना के परिणाम और अनधिकृत अन्तरण से सम्बन्धित बोर्ड के अभिलेख से जांच का परिणाम भी अन्तर्विष्ट होगा। रिपोर्ट को बोर्ड के आदेशों के लिए रखा जाएगा जो, मुख्य कार्यकारी अधिकारी की रिपोर्ट पर विचार करने और ऐसे दस्तावेज, जो आवश्यक प्रतीत हो, का निरीक्षण करने और/या ऐसे व्यक्तियों से जांच करने, जो युक्ति युक्त समझी जाए, के पश्चात् प्रत्येक जिला के कलक्टर को बोर्ड को सम्पत्ति को कब्जे में लेने और देने के लिए अध्यापेक्षा भेजने हेतु आदेश पारित करेगा।

(2) कलक्टर के लिए अध्यापेक्षा को हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड प्ररूप-16 में मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा तैयार किया जाएगा और विशेष संदेशवाहक के माध्यम से या रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा सम्बद्ध जिला कलक्टर को भेजा जाएगा।

(3) अधिनियम की धारा 52 की उप धारा (2) के अधीन कलक्टर द्वारा पारित आदेश हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड प्ररूप-17 में होगा।

(4) यदि धारा 52 की उप धारा (2) के अधीन व्यक्ति जिसके विरुद्ध कोई आदेश जारी किया गया है, धारा 52 की उप धारा (4) में यथा उपबन्धित अधिकरण को अपील करता है तो वह अपील फाईल करने के दिवस को तुरन्त कलक्टर को अपील के ज्ञापन की प्रति भेजेगा और कलक्टर इसकी प्रतिरक्षा (परिवाद) की व्यवस्था करेगा और बोर्ड को ऐसी अपील की सूचना भी देगा।

(5) (क) सम्पत्ति का कब्जा लेते समय, धारा 52 की उप धारा (5) में यथा उपबन्धित ऐसा बल प्रयोग करेगा जैसा आवश्यक हो, कोई भी व्यक्ति कलक्टर के आदेशों को निस्वादित करने के लिए, निवास गृह के अधिभोगियों को 48 घण्टे का नोटिस दिए बिना किसी निवास गृह में प्रवेश नहीं करेगा;

(ख) किसी भी निवास गृह का बाह्य दरवाजा तब तक तोड़ कर खोला नहीं जाएगा जब तक ऐसे निवास गृह का अधिभोगी उसमें प्रवेश करने से इन्कार करता है या उसमें पहुंच को किसी भी प्रकार से निवारित करता है।

(ग) कोई भी व्यक्ति कलक्टर के आदेश को निष्पादित करने के लिए किसी निवास गृह में सूर्य अस्त के पश्चात् और सूर्य उदय से पूर्व प्रवेश नहीं करेगा।

(6) सम्पत्ति का कब्जा लेने के पश्चात् कलक्टर या इस निमित्त उस द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत कोई व्यक्ति उक्त सम्पत्ति के बोर्ड या समुचित पावती पर बोर्ड द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति को सौंपेगा और कलक्टर या इस निमित्त उस द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड प्ररूप-22 में भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूलने हेतु कार्यवाही करेगा।

61. वक्फ परिसरों से अधिक्रमण हटाना और नोटिस का प्ररूप-धारा 54 की उप धारा (1) के अधीन नोटिस हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड प्ररूप-18 में होगा।

62. नोटिस और आदेश को तामिल करने की रीति.—(1) धारा 54 की उप धारा (1) के अधीन जारी नोटिस की, ऐसे व्यक्ति को जिसके लिए यह आशयित है या उसके कुटुम्ब के किसी व्यस्क सदस्य को या रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा या ऐसे व्यक्ति को उस के आवास या कारबार के सामान्य या अन्तिम ज्ञात

स्थान को स्पीड पोस्ट द्वारा प्रेषित पत्र में भेज कर के या इसे वक्फ परिसरों के बाह्य दरवाजे पर या किसी सहजदृश्य भाग पर चिपकाकर, यथास्थिति, नोटिस की प्रति को परिदत्त या निविदत्त करके तामील की जाएगी।

(2) जहां उप नियम (1) के अधीन नोटिस की प्रति परिदत्त या निविदत्त की गई है, तो की प्रति उस व्यक्ति, जिसको प्रति इस प्रकार परिदत्त या निविदत्त की गई है, के हस्ताक्षर तामील की अभिस्वीकृति के प्रमाण स्वरूप अभिप्राप्त किए जाएंगे।

(3) धारा 54 की उप धारा (1) के अधीन जारी नोटिस की बाबत, जहां व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति के कुटुम्ब का व्यस्क सदस्य अभिस्वीकृति को हस्ताक्षर करने से इन्कार करता है या जहां ऐसे व्यक्ति को समस्त सम्यक और युक्ति युक्त तत्परता बरतने करने के पश्चात् भी नहीं पाया जाता है, या यदि ऐसे व्यक्ति के कुटुम्ब में व्यस्क सदस्य नहीं है तो, यथास्थिति, नोटिस या आदेश की एक प्रति ऐसे व्यक्ति के बाह्य दरवाजे पर या किसी सामान्य आवास या कारबार के सामान्य स्थान के किसी अन्य सहजदृश्य भाग पर चिपकाई जाएगी और इसकी मूल प्रति, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिसने नोटिस जारी किया है, को, उस पर प्रेषित या उस से उपाबद्ध रिपोर्ट के साथ यह कथन करते हुए कि किन परिस्थितियों में प्रति इस प्रकार चिपकाई गई है, और व्यक्ति का नाम यदि कोई है, जिसके द्वारा उस के सामान्य आवास या कारबार के स्थान की पहचान की गई है और जिसकी उपस्थिति में प्रति चिपकाई गई थी वापिस की जाएगी।

(4) यदि धारा 54 की उपधारा (1) के अधीन नोटिस और धारा 54 की उप धारा (3) के अधीन जारी किए गए आदेश की उप धारा (1) में उपबन्धित रीति में तामील नहीं की जा सकती है, तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी यदि वह उचित समझे तो निदेश देगा कि ऐसा नोटिस क्षेत्र में प्रचालित होने वाले कम से कम एक समाचार पत्र में भी प्रकाशित किया जाए और वह स्थानीय क्षेत्र में डोंडी पिटवाकर किसी नोटिस या आदेश के विषय में घोषणा भी कर सकेगा।

**63. जांच करना और आदेश पारित करना.—**(1) जहां कोई व्यक्ति, जिसे इस अधिनियम के अधीन नोटिस तामील किया गया है, अपने प्रतिनिधि के माध्यम से सुनवाई किए जाने की बांछा रखता है तो वह इसे प्रतिनिधि को लिखित में प्राधिकृत करेगा।

(2) मुख्य कार्यकारी अधिकारी उस के समक्ष अभिलिखित दिए गए साक्ष्य का सारांश करेगा और हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड प्ररूप-19 में धारा 54 की उप धारा (1) में यथा उपबन्धित आदेश पारित करेगा। ऐसे साक्ष्य का सारांश और उसके समक्ष दाखिल किए गए सुंसगत दस्तावेज अधिकरण के समक्ष कार्यवाहियों के अभिलेख का भाग होंगे।

(3) यदि वक्फ सम्पत्ति को हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड प्ररूप-19 में नोटिस की प्राप्ति के पन्द्रह दिन के भीतर खाली नहीं की जाती है तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी ऐसे अधिक्रमण हटाने के लिए बेदखली का आदेश देने के लिए और वक्फ सम्पत्ति का कब्जा बोर्ड या मुतवल्ली को देने के लिए अधिकरण के समक्ष आवेदन कर सकेगा।

(4) अधिकरण, उस व्यक्ति जिसके विरुद्ध आवेदन किया गया है को सुनवाई का युक्ति युक्त अवसर देने के पश्चात् बेदखली का आदेश पारित करेगा और बेदखली के आदेश की एक प्रति को, वक्फ सम्पत्ति के बाह्य दरवाजे या उसके किसी अन्य सहज दृश्य भाग पर चिपकवाएगा।

(5) यदि कोई व्यक्ति आदेश की तामील होने के पैंतालीस दिन के भीतर अधिकरण द्वारा पारित बेदखली के आदेश की अनुपालना करने में असफल रहता है तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी मामले को, हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड प्ररूप-20 में, क्षेत्र के कार्यकारी मजिस्ट्रेट को निर्दिष्ट करेगा।

**64. वक्फ परिसरों को कब्जे में लेने की रीति.—**(1) धारा 55 के अधीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी से हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड प्ररूप-20 में आवेदन की प्राप्ति पर क्षेत्र का कार्यकारी मजिस्ट्रेट आवेदन की प्राप्ति से एक मास के भीतर हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड प्ररूप-21 में आदेश पारित करेगा।

(2) यदि आदेश के पन्द्रह दिन के भीतर अधिक्रमण नहीं हटाया जाता है तो क्षेत्र का मजिस्ट्रेट नोटिस की अवधि के अवसान से एक मास के भीतर अधिक्रमण को हटाने के लिए कार्यवाही करेगा।

(3) यदि,—

(क) किसी वक्फ सम्पत्ति को कब्जे में लेने हेतु अधिक्रमण को हटाने; या

(ख) अधिनियम के अधीन वक्फ परिसर में निर्माण कार्य का सील करने, में कोई बाधा पहुंचाई गई है या उत्पन्न की गई है या कार्यकारी मजिस्ट्रेट की राय में पहुंचाए जाने या उत्पन्न किए जाने की सम्भावना है तो कार्यकारी मजिस्ट्रेट ऐसी पुलिस सहायता ले सकेगा जैसी आवश्यक हो।

(4) जहां किसी वक्फ परिसर में, जिसका अधिनियम के अधीन कब्जा लिया जाना है, ताला लगा हुआ है, तो कार्यकारी मजिस्ट्रेट या तो परिसर को सील बन्द कर सकेगा या दो साक्षियों की उपस्थिति में या ताला तोड़ सकेगा या किसी भी दरवाजे गेट या अन्य बैरियर को खोल सकेगा या खुलवा सकेगा और परिसर में प्रवेश कर सकेगा :

परन्तु यह कि,—

(क) किसी वक्फ सम्पत्ति में कोई भी प्रवेश या कब्जा सूर्य उदय से पूर्व या सूर्य अस्त के पश्चात् नहीं किया जाएगा;

(ख) जहां किसी वक्फ परिसर को बलपूर्वक खोला गया हो तो परिसर में पाई गई वस्तुओं की सूची को दो साक्षियों की उपस्थिति में तैयार किया जाएगा।

(5) उप नियम (4) के अधीन सील (सीलिंग) निम्नलिखित रीति में किया जाएगा, अर्थात्:—

(क) वक्फ के परिसर के परिनिर्माण या संकर्म के समस्त अन्य निवास द्वारों आउटलेख और प्रवेश द्वारों (इन्लेख) को समुचित रूप से चटकनी लगाने कर या ताला लगाने या रस्सी, तार या तार जाली के साथ लपेटने के पश्चात् किसी वक्फ परिसर के बाह्य दरवाजे या किसी परिनिर्माण या संकार्य पर कार्यालय सील चिपका कर;

(ख) जहां वक्फ परिसर के किसी परिनिर्माण या संकर्म में दरवाजे और खिड़कियों को लगाया नहीं गया या जहां वक्फ परिसर पर संकर्म का परिनिर्माण ऐसी प्रकृति का है कि उसे रस्सी, तार या तार की जाली के साथ लपेटा नहीं जा सकता है, तो ऐसी दशा में ऐसे वक्फ परिसरों के परिनिर्माण या संकर्म को लकड़ी के तख्तों, लोहे की या सीमेंट की शीटों द्वारा ढका जाएगा और कार्यालय सील ऐसी रीति में चिपकाई जाएगी कि कोई भी व्यक्ति कार्यालय सील के साथ छेड़छाड़ किए बिना वक्फ परिसरों के परिनिर्माण या संकर्म के अन्दर प्रवेश न कर सके; और

(ग) जहां किसी परिनिर्माण संकर्म या किसी वक्फ परिसर में ताला लगा हुआ हो तो साक्षियों की उपस्थिति में ताले को तोड़ा जा सकता है या किसी दरवाजे, गेट या किसी अन्य बैरियर को खोला जा सकता है या खुलवाया जा सकता है और परिसर में पाई गई वस्तुओं की सूची दो साक्षियों की उपस्थिति में, उपरोक्त रीति में, से पहले, तैयार की जाएगी।

(6) कोई भी लोक सेवक अधिक्रमण का निवारण करने या उसे हटाने के अपने विधिपूर्ण कर्तव्य में असफल रहता है तो दोषसिद्धि पर वह जुर्माने से, जो प्रत्येक ऐसे अपराध के लिए पन्द्रह हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(7) **नुकसान का निर्धारण करना.**—किसी वक्फ परिसर के अनाधिकृत उपयोग और अधिक्रमण के लिए नुकसान को निर्धारित करने के लिए, अधिकरण निम्नलिखित विषयों (बातों) का ध्यान में रखेगा अर्थात्:—

- (क) प्रयोजन जिसके लिए और अवधि जिसके दौरान वक्फ परिसर अनधिकृत उपयोग में रहा;
- (ख) ऐसे परिसरों में उपलब्ध आवास की प्रकृति, आकार और मानदण्ड;
- (ग) यदि परिसर के अधिक्रमण की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति को किराए पर दिया गया था, तो किराया जो वसूल किया गया;
- (घ) अधिक्रमण की अवधि के दौरान परिसर में किया गया नुकसान; और
- (ङ) नुकसान के निर्धारण के प्रयोजन के लिए सुसंगत कोई अन्य मामला।

**66. बोर्ड द्वारा जांच की रीति.**—बोर्ड धारा 64 की उप धारा (3) के अधीन जांच करने के लिए बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी या बोर्ड के किसी अन्य अधिकारी को प्राधिकृत कर सकेगा। ऐसी जांच के लिए प्रक्रिया का अनुसरण वैसा ही होगा जैसा नियम 52 में उपबन्धित है।

**67. आदेश के प्रकाशन की रीति.**—धारा 67 की उप धारा (2) के अधीन बोर्ड द्वारा पारित आदेश की एक प्रति तद्द्वारा प्रतिकूलतः प्रभावित व्यक्ति को निःशुल्क दी जाएगी और उसकी एक प्रति क्षेत्र में प्रचालन वाले उर्दू, हिन्दी और अंग्रेजी/स्थानीय भाषा के एक समाचार पत्र में प्रकाशित की जाएगी और ऐसे प्रकाशन पर आदेश समस्त व्यक्तियों पर, जिनका वक्फ में कोई हित है, बाध्यकारी होगा।

**68. मुतवल्ली से परामर्श की रीति और आदेश के प्रकाशन की रीति.**—(1) धारा 69 की उप धारा (1) के अधीन वक्फ के समुचित प्रशासन के लिए कोई भी स्कीम मुतवल्ली द्वारा या प्रबन्ध समिति द्वारा बनाई जाएगी जिसमें निम्नलिखित ब्यौरा दिए जाएंगे:—

- (क) वक्फ का नाम;
- (ख) पता;
- (ग) क्या मुतवल्ली/प्रबन्ध समिति के प्रबन्धन के अधीन है या बोर्ड के सीधे प्रबन्धन के अधीन है;
- (घ) प्रस्ताव के ब्यौरे;
- (ङ) अन्तर्वलित व्यय;
- (च) उपार्जित की जाने वाली आय।

(2) बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा जहां विषय मुतवल्ली या प्रबन्ध समिति द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा तो वहां बोर्ड विनिश्चय करेगा और उसे पन्द्रह दिन के भीतर संसूचित करेगा।

(3) बोर्ड का विनिश्चय, क्षेत्र में परिचालन वाले उर्दू/स्थानीय भाषा के समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा।

**69. जांच करने की रीति.**—धारा 71 की उप-धारा (1) के अधीन जांच उसी नियम 52 में यथा विहित रीति में की जाएगी।

## अधिकरण में कार्यवाहियां

**70. अधिकरण का गठन.**—(1) अधिकरण का गठन, सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 83 के उपबन्धों के अनुसार किया जाएगा।

(2) सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी व्यक्ति को अधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करेगी और सरकार किसी जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति करने के लिए मुख्य न्यायमूर्ति, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय से सहमति लेगी:

परन्तु इस नियम के अधीन नियुक्त अध्यक्ष राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन होगा।

**71. अधिकरण के सदस्य, जो मुस्लिम विधि और विधि शास्त्र का ज्ञान रखता हो के चयन की अर्हताएं और पद्धति.**—सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अधिकरण के सदस्य की नियुक्ति कर सकेगी।

(2) अधिनियम की धारा 83 की उप धारा (4) के खण्ड (ख) के अधीन अधिकरण के सदस्य के पद पर नियुक्ति किसी ऐसे व्यक्ति से स्थानान्तरण द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा की जाएगी जो राज्य सिविल सेवा के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के समतुल्य (रैंक) का अधिकारी हो:

परन्तु राज्य सिविल सेवा के किसी अधिकारी के उपलब्ध न होने की दशा में सरकार समतुल्य पंक्ति (रैंक) के किसी सरकारी अधिकारी को सदस्य नियुक्त कर सकेगी:

परन्तु यह और कि इस खण्ड के अधीन नियुक्त सदस्य राज्य सरकार के प्रशासनिक नियन्त्रण के अधीन होगा।

(3) धारा 83 की उप धारा (4) के खण्ड (ग) के अधीन अधिकरण के सदस्य की नियुक्ति सरकार द्वारा गठित निम्नलिखित से मिलकर बनने वाली समिति द्वारा की जाएगी.—

- (i) अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/अध्यक्ष सचिव, (राजस्व) हिमाचल प्रदेश सरकार।
- (ii) प्रधान सचिव/सचिव (विधि) सदस्य हिमाचल प्रदेश सरकार।
- (iii) हिमाचल प्रदेश के विधिज्ञ परिषद सदस्य:  
(बार काउंसिल) का अध्यक्ष या सदस्य।

परन्तु इस उप नियम के अधीन सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाना वाला व्यक्ति विधि की उपाधि रखता हो और मुस्लिम विधि और विधि शास्त्र का ज्ञान रखता हो:

परन्तु यह और कि इस उप-नियम के अधीन नियुक्त सदस्य राज्य सरकार के प्रशासनिक नियन्त्रण के अधीन होगा।

परन्तु यह और कि इस उप नियम के अधीन सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाने वाला व्यक्ति नियुक्ति की तारीख को 45 वर्ष की आयु से कम का नहीं होगा।

(4) उप नियम (3) के अधीन अधिकरण सदस्य के रूप में नियुक्ति हेतु वरिष्ठ अधिवक्ता का अधिमान दिया जाएगा जिसे मुस्लिम विधि व वक्फ मामलों का ज्ञान हो और जिसको व्यवसायरत अधिवक्ता के रूप में कम से कम बीस वर्ष का अनुभव हो।

**72. अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य की अधिवर्षिता की आयु.**—अध्यक्ष की अधिवर्षिता की आयु उस मास का अंतिम दिवस होगा जिसमें वह उसे लागू नियमों के अनुसार अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेता है नियम 71 के उप नियम (2) के अधीन नियुक्त अधिकरण के सदस्य की अधिवर्षिता की आयु उस मास का अंतिम दिवस होगी जिसमें वह उसे लागू नियमों के अनुसार अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेता है।

**73. अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों के पदावधि अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि** ऐसी होगी जैसी सरकार द्वारा निमत की जाए किन्तु उनके अपने-अपने पद ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।

**74. वेतन और भत्ते.**—(1) नियम 70 के उप-नियम (2) के अधीन नियुक्त अधिकरण का अध्यक्ष अपने संवर्ग में नियमित वेतनमान में वेतन के साथ-साथ ऐसे अन्य भत्तों का आहरण करने का हकदार होगा जैसे स्वरूप द्वारा उसे यथा लागू प्रति नियुक्ति के प्रामिक निबन्धनों के अध्यधीन समय-समय पर नियत किए जाएं।

(2) नियम 71 के उप नियम (2) के अधीन नियुक्त सदस्य अपने संवर्ग में नियमित वेतनमान में वेतन के साथ-साथ ऐसे अन्य भत्तों को आहरित करने का हकदार होगा जैसे सरकार द्वारा सरकारी सेवक के रूप में उसे यथालागू प्रतिनियुक्ति प्रामिक निबन्धनों के अध्यधीन समय-समय पर नियत किए जाएं।

(3) नियम 71 के उप नियम (3) के अधीन नियुक्त सदस्य के वेतन और भत्तों सहित नियुक्ति के निबन्धन और शर्तें सरकार द्वारा, पृथक्, अधिसूचना द्वारा नियत की जाएगी।

**75. अधिकरण के सदस्य का हटाया जाना.**—सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अधिकरण के किसी सदस्य को हटा सकेगी, यदि वह—

(क) विकृत चित्त व्यक्ति है; या

(ख) अनुन्मोचित दिवालिया हो जाता है; या

(ग) नैतिक अद्यमता से अन्तर्वलित किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है; और ऐसा सिद्धदोष प्रतिवर्तित नहीं किया गया है या उसे ऐसे अपराध की बाबत पूर्णतया क्षमा प्रदान नहीं की गई है; या

(घ) कार्य करने से इन्कार करता है या कार्य करने में अक्षम है अथवा ऐसी रीति में कार्य करता है जिसे राज्य सरकार, उसके द्वारा दिए गए किसी स्पष्टीकरण पर सुनवाई के पश्चात्, अधिकरण के हितों में प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला समझती है।

**76. अध्यक्ष और सदस्यों का लोक सेवक होना.**—नियम 70 के उप नियम (2) और नियम 71 के उप नियम (2) और (3) के अधीन नियुक्त अध्यक्ष और सदस्य लोक सेवक समझे जाएंगे तथा वह अपने-अपने सेवा नियमों या उन्हें यथा लागू निबन्धनों और शर्तों द्वारा शासित होंगे।

**77. अधिकरण के समक्ष आवेदन दायर करने की रीति.**—(1) नियम 83 के अधीन अधिकरण के समक्ष हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड प्ररूप-24 में आवेदन किया जाएगा।

(2) अधिकरण को किया जाने वाला आवेदन आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा और उस द्वारा व्यक्तिगत रूप से या उस द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा अधिकरण या इसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा।

(3) उप नियम (1) के अधीन दायर आवेदन के साथ उन दस्तावेजों को भी संलग्न किया जाएगा जिन पर याचक निर्भर करता है।

(4) आवेदक, आवेदन के साथ आवेदन और दस्तावेजों की उतनी और अतिरिक्त प्रतियां दायर करेगा जितनी प्रतिवादियों की संख्या होगी।

(5) अधिकरण अपने स्वविवेकानुसार, उप नियम (1) के अधीन, सुनवाई के लिए ऐसा आवेदन भी स्वीकार कर सकेगा जिसके साथ उपरोक्त निर्दिष्ट समस्त या कोई भी दस्तावेज संलग्न नहीं है।

**78. आवेदन की विषय वस्तु.**—(1) प्रत्येक आवेदन में संक्षिप्ततः तथ्यों का स्पष्ट कथन और सुस्पष्ट आवेदन और पृथक शीर्षों से मुक्त होगा, जिन पर आवेदन दायर किया गया है तथा आवेदन के तथ्यों के ऐसे आधार और उसमें दावाकृत अनुतोष को क्रमवर्ती रूप में संख्यांकित किया जाएगा।

(2) अंतरिम अनुतोष के लिए आवेदन में आवेदक को कारित हो रहा नुकसान स्पष्टतः और संक्षिप्ततः उपवर्णित किया जाएगा जिसकी धन के रूप में पर्याप्ततः क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती हो।

(3) अधिकरण के समक्ष दायर किए गए समस्त आवेदन धारा 89 के अनिवार्य उपबन्ध की अनुपालना के अध्वधीन होंगे।

(4) यदि धारा 89 के अनिवार्य उपबन्ध सा अधिनियम अथवा नियमों के किन्हीं अन्य उपबन्ध का अनुपालन नहीं किया जाता है तो अधिकरण, उक्त आवेदन को संक्षेपतः खारिज कर देगा।

**79. अधिकरण द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया.**—(1) इस द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी/कर्मचारी प्रत्येक आवेदन पर ऐसी तारीख पृष्ठांकित करेगा जिसको यह प्रस्तुत की गई और अधिकरण के समक्ष उपस्थित होने की तारीख नियत करेगा तथा उसकी अभिस्वीकृति (टोकन) के रूप में पृष्ठांकन को हस्ताक्षरित करेगा।

(2) इसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा इस प्रयोजन के लिए रखे गए रजिस्टर में प्रत्येक आवेदन को दर्ज या संख्यांकित किया जाएगा।

(3) अधिकरण, सिविल न्यायालयों के प्रयोग के लिए यथाविहित ऐसे रजिस्टर अनुरक्षित करेगा जैसे आवश्यक समझे जाएं।

(4) आवेदन के ज्ञापन की एक प्रति की तामील, अधिकरण के समक्ष उस को दायर करने से पूर्व, अन्य पक्षकार को की जाएगी :

परन्तु अत्यंत अत्यावश्यकता के मामलों में अधिकरण, किसी आवेदन पर, यदि ऐसा करना समीचीत समझे, द्वितीय पक्षकार को आवेदन की प्रति तामील करने से अभिमुक्ति प्रदान कर सकेगा।

(5) अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत आवेदन का लिखित कथन आवेदन दायर करने की तारीख से साठ दिन के अवसान के पश्चात् ग्रहण नहीं किया जा सकेगा :

परन्तु यदि अधिकरण का समाधान हो गया है कि प्रतिवादी, साठ दिन की उक्त अवधि के भीतर लिखित कथन दायर करने के समुचित कारण से निवारित था, तो यह साठ दिन की और अवधि, किन्तु तत्पश्चात् नहीं, के भीतर लिखित कथन को ग्रहण कर सकेगा।

(6) अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किए गए लिखित कथन की प्रत्युत्तर को लिखित कथन दायर किए जाने की तारीख से साठ दिन के अवसान के पश्चात् ग्रहण नहीं किया जा सकेगा :

परन्तु यदि अभिकरण का समाधान हो गया है कि आवेदक, साठ दिन की उक्त अवधि के भीतर प्रतिकृति दायर करने के समुचित कारण से निवारित था, तो यह तीस दिन की और अवधि, किन्तु तत्पश्चात् नहीं, के भीतर प्रतिकृति ग्रहण कर सकेगा।

(7) आवेदक और प्रतिवादी, प्रत्येक को, किसी भी आधार पर, स्थगन के लिए अधिकतम तीन आवेदन अनुज्ञात किए जाएंगे और इस से अधिक नहीं।

(8) अधिकरण के सदस्यों के मध्य विभाजन की दशा में अधिकरण के सदस्यों के बहुमत का विनिश्चय अभिभावी होगा।

(9) किसी मामले का अंतिम विनिश्चय "पूर्ण अधिकरण" के समक्ष ही लिया जाएगा/अंतिम सुनवाई के सिवाय अन्य मामलों को एकल सदस्य या तीसरे सदस्य की अनुपस्थिति में दो सदस्यों द्वारा ग्रहण किया जा सकेगा।

**80. प्रतिवादी को नोटिस भेजे बिना आवेदन निरस्त करने की शक्तियां।—**अधिकरण, आवेदन के समस्त पहलुओं पर विचार करने के पश्चात् और आवेदक या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को सुनने के पश्चात् प्रतिवादी को नोटिस भेजे बिना आवेदन निरस्त कर सकेगा।

**81. आवेदन, आदि की सुनवाई की तारीख।—**जब तक अधिकरण द्वारा नियम 80 के अधीन आवेदन निरस्त न कर दिया गया हो, यह पक्षकारों को आवेदन की सुनवाई की तारीख और स्थान अधिसूचित करेगा।

**82. कार्यवाहियों का जन साधारण के लिए खुला होना।—**अधिकरण के समक्ष कार्यवाहियां जन साधारण के लिए खुली रहेगी:

परन्तु अधिकरण, यदि यह उचित समझे, तो कार्यवाहियों के किसी भी स्तर पर यह आदेश दे सकेगा कि जन साधारण सामान्यतः या कोई भी व्यक्ति विशिष्टतया अधिकरण के कक्ष में प्रवेश न करें या वहां उपस्थित न रहे।

**83. अधिकरण का आदेश।—**(1) अधिकरण, आवेदन दायर करने की तारीख से एक वर्ष के भीतर इसका विनिश्चय करेगा।

(2) अधिकरण का प्रत्येक आदेश लिखित में होगा और यह इसकी मुहर तारीख सहित हस्ताक्षरित और मुद्रांकित होगा।

**84. पक्षकारों के आदेश की प्रतियां भेजना।—**अधिकरण का आवेदन निरस्त करने या मंजूर करने का प्रत्येक आदेश को अन्य अधिकरण को यथालागू कास्ट के अध्यक्षीन, पक्षकारों को या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों को संसूचित किया जाएगा।

**85. कतिपय मामलों में आदेश और निर्देश।—**अधिकरण, पूर्वगामी उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे आदेश या ऐसे निर्देश दे सकेगा जैसे न्याय सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक और समीचीन हो।

**86. अधिकरण की भाषा।—**अधिकरण की भाषा अंग्रेजी होगी:

परन्तु अधिकरण के समक्ष कार्यवाहियों के पक्षकार यदि वे ऐसा चाहे तो उर्दू या हिन्दी में भी दस्तावेज/कार्यवाहियां दायर कर सकेंगे:

परन्तु यह और कि उर्दू/स्थानीय भाषा में उद्धृत ऐसा प्रत्येक दस्तावेज/कार्यवाहियां अंग्रेजी में इसके सही अनुवाद के साथ ही होंगे/होगी।

**87. प्रतिलिपि (कॉपिंग) फीस.**—(1) प्रतिलिपि पहले एक सौ शब्दों या उसके किसी भाग के लिए बीस रुपये की दर से और प्रत्येक अतिरिक्त एक सौ शब्दों या उसके किसी भाग के लिए दस रुपये की दर से कॉपिंग फीस प्रभारित की जाएगी।

(2) उन मामलों के सिवाय जहां तत्समय प्रवृत्त नियमों या निर्देशों के अधीन प्रतियां निःशुल्क में दी जाती हैं, प्रतियों को तत्काल प्रदान करने हेतु प्रभारित करने वाली फीस का मापमान उन नियम (1) में विनिर्दिष्ट दर से दुगुना होगा।

(3) प्रतिलिपि (कॉपिंग) फीस अग्रिम में नकदी में संदेय होगी।

(4) अधिकरण आवेदनों, के समक्ष प्रश्नगत मामलों से सम्बद्ध लिखित कथनों, को जवाबों (उत्तरों) दस्तावेजों की बाबत बोर्ड या इसके प्राधिकृत द्वारा कोई फीस संदत्त नहीं की जाएगी।

(5) उप नियम (1) में विहित फीस के मापमान के अनुसार परिकलित रकम को अधिकरण के अधिकारी/अधिकरण द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी कर्मचारी द्वारा प्रतिलिपि (कॉपिंग) फीस के रूप में प्रतिधारित किया जाएगा और पक्षकार द्वारा जमा की गई अधिशेष रकम, यदि कोई हो, प्रतिलिपि प्रदाय करते समय उसे लौटा दी जाएगी :

परन्तु यदि पक्षकार द्वारा जमा की गई प्रतिलिपि फीस की रकम पर्याप्त नहीं है तो वह प्रतिलिपि लेने परिदत्त करने से पूर्व प्रतिलिपि फीस में कमी को संदत्त करेगा।

(6) यदि ऐसे अधिकारी/कर्मचारी को किसी दस्तावेज की प्रति प्रदान करने के औचित्य के संबंध में कोई संदेह है तो वह अधिकरण के समक्ष आवेदन को आदेशार्थ रखेगा।

(7) ऐसे व्यक्ति, जो किसी आवेदन के पक्षकार नहीं हैं, को किसी आदेश या दस्तावेज की प्रति का केवल अधिकरण के आदेशाधीन और प्रतिलिपि (कॉपिंग) फीस के संदाय पर ही प्रदाय किया जाएगा।

(8) समस्त प्रतिलिपियों को अधिकरण के अधिकारी/प्राधिकृत कर्मचारियों द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।

**88. अधिकरण की मोहर (मुद्रा).**—अधिकरण की प्राधिकारिक मोहर (मुद्रा) ऐसी होगी जैसी सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

**89. सिविल प्रक्रिया संहिता और हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय नियमों का साधारणतया अपनाया जाना.**—ऐसी प्रक्रिया जो अधिनियम या इन नियमों द्वारा विशेषतः उपबन्धित नहीं है, से सम्बन्धित किसी भी प्रश्न का विनिश्चय करने में अधिकरण, भावत्सम्भव, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 और हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय नियमों में अन्तर्विष्ट उपबन्धों द्वारा मार्ग दर्शित होगा।

#### अध्याय—10

#### प्रकीर्ण

**90. बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट का सरकार को प्रस्तुत किया जाना.**—(1) सरकार, प्रत्येक वर्ष जुलाई के प्रथम दिवस के पश्चात् यथाशीघ्र बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट का हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड प्ररूप—25 में तैयार करवाएगी।

(2) बोर्ड, प्रत्येक वर्ष जुलाई के अन्त तक अपनी वार्षिक रिपोर्ट सरकार को सितम्बर के अन्त तक अंतिम रूप दे देगी और राज्य विधान मण्डल के समक्ष अगामी सत्र में रखेगी।

**91. बोर्ड की कार्यपालन रिपोर्ट का केन्द्रीय वक्फ परिषद को भेजा जाना.**—यथास्थिति सरकार या बोर्ड, बोर्ड के कार्यपालन विशिष्टतः उसके वित्तीय कार्यपालन, सर्वेक्षण, वक्फ विलेखों के अनुरक्षण, राजस्व अभिलेख, वक्फ संपत्तियों के अधिक्रमण वार्षिक रिपोर्टों और संपरीक्षण रिपोर्टों पर केन्द्रीय वक्फ परिषद को ऐसी रीति में और ऐसे समय पर सूचना प्रस्तुत करेगी जैसी केन्द्रीय वक्फ परिषद द्वारा हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड प्ररूप-21 में विनिर्दिष्ट की जाए।

**92. बोर्ड द्वारा या के विरुद्ध वाद.**—(1) अध्यक्ष या मुख्य कार्यकारी अधिकारी निम्नलिखित के लिए मंजूरी देने हेतु सक्षम होगा.—

(क) अधिकरण/न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकरण के समक्ष वक्फ मामलों/सम्पत्ति से सम्बद्ध वाद, रिट, अपील या मामले दायर करना;

(ख) वक्फ विषय/सम्पत्ति से सम्बद्ध वाद, रिट, अपील या मामलों की किसी अधिकरण किसी न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकरण के समक्ष प्रतिरक्षा करना;

(2) अध्यक्ष या मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अधिकरण/न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकरण के समक्ष किसी वक्फ मामले/सम्पत्ति से सम्बद्ध किसी वाद, रिट, अपील या अन्य कार्यवाहियों को दायर करने या प्रतिरक्षा करने हेतु किसी अधिवक्ता (एडवोकेट) को नियुक्त करने में सक्षम होगा।

(3) बोर्ड या बोर्ड द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति, अधिकरण/न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकरण के समक्ष किसी वक्फ मामले/सम्पत्ति से सम्बन्धित मामलों या कार्यवाहियों में किसी वाद, रिट, अपील और शपथ-पत्र या प्रत्युत्तर हस्ताक्षरित करने हेतु सक्षम होगा।

(4) अध्यक्ष या मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अधिकरण/न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकरण के समक्ष बोर्ड की बाबत किसी साक्ष्य को पेश करने या अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए बोर्ड के किसी कर्मचारी को प्राधिकृत करने में सक्षम होगा।

**93. वक्फ सम्पत्ति के परिवर्धन या परिवर्तन पर निर्बन्धन.**—कोई मुतवल्ली या प्रबन्धन समिति, बोर्ड के पूर्वानुमोदन के बिना वक्फ सम्पत्ति में परिवर्धन या परिवर्तन नहीं करेगी।

**94. वक्फ सम्पत्ति की अभिधृति के सृजन या अंतरण पर निर्बन्धन.**—मुतवल्ली या प्रबन्धन समिति या किराएदार (अभिधारक)/पट्टेदार द्वारा बोर्ड के पूर्वानुमोदन के बिना किसी वक्फ सम्पत्ति अभिधृति का सृजन या अंतरण शून्य और प्रभावहीन होगा।

**95. नियमों की शिथिल करने की शक्ति.**—सरकार बोर्ड की सिफारिशों (संस्तुति) पर तीन चौथाई बहुमत के साथ वक्फ के हित में नियमों के किसी भी उपबन्ध को शिथिल कर सकेगी।

**96. निरसन और व्यावृत्तियां.**—(1) हिमाचल प्रदेश राज्य को यथा लागू पंजाब वक्फ रूलज, 1964 का एतद् द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इन नियमों के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की समझी जाएगी।

## हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड प्ररूप-1

## (नियम 5 देखें)

सर्वेक्षण आयुक्त की सरकार को रिपोर्ट

1. शिया वक्फ और सुन्नी वक्फ पृथक्: दर्शाते हुए राज्य में ओकाफ की संख्या;
2. प्रत्येक वक्फ का स्वरूप ओर उद्देश्य;
3. प्रत्येक वक्फ से सम्पत्ति की सकल (कुल) आय;
4. प्रत्येक वक्फ की बाबत संदेय भू-राजस्व की रकम, उपकर, दरें और कर;
5. प्रत्येक वक्फ की आय के आचन में उपगत व्यय और मुतवल्ली यदि कोई हो, का वेतन या अन्य पारिश्रमिक।
6. प्रत्येक वक्फ से सम्बन्धित विशिष्टियां निम्न प्रकार से दी जानी हैं:—
  - (क) वक्फ का नाम;
  - (ख) वाकिफ, यदि कोई हो, का नाम;
  - (ग) वक्फ के सृजन की तारीख या वर्ष;
  - (घ) वक्फ विलेख के ब्योरे;
  - (ङ) मुतवल्ली का नाम और उसका वेतन या पारिश्रमिक, यदि कोई हो;
  - (च) स्थावर सम्पत्ति का, उस गांव या शहर, जहां पर वह स्थित है के नाम को संख्या, क्षेत्र, समयावधि का विवरण और अनुमानित मूल्य दर्शाते हुए, अवस्थान आदि स्वरूप;
  - (छ) निवेशों और उनकी विशिष्टियों के स्थावर सम्पत्ति का विवरण और उसका मूल्य;
  - (ज) वक्फ सम्पत्ति की स्थल योजना (साईट प्लान);
  - (झ) उपरोक्त खण्ड (च) से (ज) में वर्णित सम्पत्तियों पर विल्लंगम, यदि कोई हो;
  - (ञ) वक्फ के प्रशासन की रीति; चाहे न्यायालय द्वारा बनाई गई स्कीम के या किसी रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज या प्रचलित रिवाज अथवा प्रथा के अधीन हो;
  - (ट) क्या वक्फ पहले से ही बोर्ड के साधारण पर्यावेक्षाधिन है;
  - (ठ) प्राप्त अनुदान का स्वरूप (प्रकार) और मूल्य;
  - (ड) सर्वेक्षण की कुल लागत;

सर्वेक्षण आयुक्त के हस्ताक्षर

हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड प्ररूप-2

(नियम 7 देखें)

ओकाफ की सूची की विशिष्टियां

- (1) वक्फ सम्पत्ति भूमि भवन, कब्रिस्तान आदि के विवरण सहित वक्फ का नाम;
- (2) वक्फ सम्पत्ति की अवस्थिति, ग्रामीण क्षेत्र की दशा में खसरा संख्या, ग्राम का नाम दें, शहरी सम्पत्ति की दशा में मोहला, वार्ड, सड़क तथा नगरपालिक संख्या दे;
- (3) वक्फ का उद्देश्य;
- (4) वक्फ सम्पत्तियां, यदि स्थावर अचल है के ब्योरे;
  - (क) क्षेत्र, निर्मित क्षेत्र पृथक्तः दर्शाए;
  - (ख) सीमाएं; और
  - (ग) मूल्य;
- (5) जंगम (चल) सम्पत्ति का प्रकार तथा मूल्य;
- (6) वक्फ की सृजन उत्पत्ति की तारीख या वर्ष;
- (7) वक्फ विलेख के ब्योरे;
- (8) सकल (कुल) प्राप्तियां;
- (9) प्राप्त किए अनुदान;
- (10) वक्फ की प्रकृति तथा उद्देश्य;
- (11) प्रत्येक वक्फ में समाविष्ट सम्पत्ति की सकल आय;
- (12) भू-राजस्व की रकम, ऐसी सम्पत्ति की बाबत संदेय उपकर दर तथा कर;
- (13) आय की वसूली में उपगत व्यय;
- (14) वक्फ के प्रशासन की रीति;
- (15) मुतवल्ली का नाम तथा पता;
- (16) प्रत्येक वक्फ के मुतवल्ली यदि कोई है का वेतन या पारिश्रमिक;
- (17) कोई अन्य विशिष्टि जिसे बोर्ड आवश्यक समझे या सरकार आदेश द्वारा उपलब्ध करवाए;

टिप्पण.—सुन्नी तथा शिया अक्खाफ के लिए पृथक सूची होगी।

## हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड प्ररूप-3

## (नियम 15 (2) देखें)

## हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड के सदस्यों के निर्वाचन के लिए नोटिस

(1) प्रवर्ग का नाम जिसके लिए निर्वाचन किया जाना है:

(2) नामांकन पत्र प्रस्तुत किया जाएगा:

(क) समय

(ख) स्थान

(ग) किसे प्रस्तुत किया जाएगा कार्यालय पते सहित

(3) नामांकन पत्रों की संवीक्षा:

(क) स्थान

(ख) तारीख

(ग) समय

(4) नामांकन वापिस लेना:

(क) स्थान

(ख) तारीख

(ग) समय

(5) मतदान कहां होगा:

(क) स्थान

(ख) तारीख

(ग) समय

(6) निर्वाचन अधिकारी द्वारा मतों की गणना:

(क) स्थान

(ख) तारीख

(ग) समय

(7) परिणाम की घोषणा:

(क) स्थान

(ख) तारीख

(ग) समय

**हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड प्ररूप-4****(नियम 15 (4) देखें)**

हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड के सदस्यों के पद के लिए निर्वाचन का नोटिस (सूचना)

एतद् द्वारा नोटिस (सूचना) दिया जाता है कि:

- (1) हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड के सदस्यों के निर्वाचन हेतु किया जाने वाला निर्वाचन।
- (2) नामांकन पत्रों का प्ररूप उपर्युक्त स्थान तथा समय पर प्राप्त किया जा सकेगा।
- (3) किसी अभ्यर्थी या उसके प्रस्थापक द्वारा नामांकन पत्र को अधोहस्ताक्षरी का या ----- को 10:30 पूर्वाह्न से 5:00 अपराह्न तक ----- से ----- तक दिया जा सकेगा।
- (4) नामांकन पत्रों की ----- पर ----- को ----- तक संवीक्षा की जाएगी।
- (5) किसी अभ्यर्थी या उसके प्रस्थापक द्वारा अभ्यर्किता वापस लेने का नोटिस (सूचना) अधोहस्ताक्षरी को ----- को उसके कार्यालय में 3:00 पूर्वाह्न से पूर्व ----- पर दी जा सकेगी।
- (6) निर्वाचन होने की दशा में मतदान ----- को ----- से ----- तक होगा।

(स्थान विनिर्दिष्ट करे जहां मतदान किया जाना है)

रिटर्निंग अधिकारी

स्थान :

तारीख :

-----

**हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड प्ररूप-5****(नियम 17 (1) देखें)**

धारा 14 की उप धारा (1) के खण्ड (ख) के प्रवर्ग में हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड के सदस्यों के पद के लिए निर्वाचन

नामांकन पत्र

- (1) अभ्यर्थी का पूरा नाम:
- (2) पिता या पति का नाम:
- (3) निर्वाचन नामावली में अभ्यर्थी की क्रम संख्या:
- (4) आयु

(5) लिंग

(6) व्यावसाय

(7) पता:

**अभ्यर्थी की घोषणा**

मैं ————— घोषणा करता हूँ कि मैं निर्वाचन में खड़ा होने/लड़ने का इच्छुक हूँ और उपरोक्त दर्शायी गई मेरी आयु सही है मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि :

(1) मैं मुस्लिम हूँ।

(2) मैं अनुमोचित दिवालिया नहीं हूँ।

(3) मैं नैतिक अद्यमता से अंतर्ग्रस्त किसी अपराध का सिद्धदोष नहीं उठराया गया हूँ या ऐसी दोष सिद्धि उलट दी गई है या ऐसे अपराध की बाबत मुझे पूरी तरह क्षमा कर दिया गया है।

(4) मुझे किसी भी पूर्व अवसर पर :

(क) किसी सदस्य के रूप में या मुतवल्ली के रूप में पद से हटाया नहीं गया है; या

(ख) किसी सक्षम न्यायालय या अधिकरण के आदेश द्वारा न्यास के किसी भी पद से न तो कूप्रबंध के लिए या न ही भ्रष्टाचार के लिए हटाया गया है।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

रिटर्निंग अधिकारी या अन्य  
प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा पृष्ठांकन

यह नामांकन पत्र मुझे ————— (व्यक्ति) द्वारा ————— को —————  
(तारीख) ————— से ————— पर (तारीख तथा समय) को प्रस्तुत किया गया था।

रिटर्निंग अधिकारी या अन्य  
प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

नामांकन पत्र को स्वीकृत (मंजूर) या अस्वीकृत (नामंजूर) करने वाले रिटर्निंग अधिकारी का विनिश्चय।  
मैंने नियम 18 के अनुसार नामांकन पत्र का परीक्षण कर लिया है और निम्न विनिश्चय करता हूँ :—

तारीख :

रिटर्निंग अधिकारी

हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड प्ररूप-6  
(नियम 18 देखें)

नामांकन पत्र के लिए रसीद (पावती) और संवीक्षा के लिए नोटिस

(नामांकन पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को दी जाए)

नामांकन पत्र की क्रम संख्या

वक्फ बोर्ड \_\_\_\_\_ के प्रवर्ग के सदस्य के निर्वाचन के लिए \_\_\_\_\_ अभ्यर्थी का नामांकन पत्र मुझे \_\_\_\_\_ (समय) \_\_\_\_\_ तारीख \_\_\_\_\_ पर, अभ्यर्थी या इस निमित्त उस द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा परिदत्त किया गया था।

समस्त नामांकन पत्रों की \_\_\_\_\_ (समय) \_\_\_\_\_ (तारीख)

\_\_\_\_\_ (स्थान) पर / को संवीक्षा की जाएगी।

रिटर्निंग अधिकारी

### हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड प्ररूप-7

#### (नियम 19 देखें)

अधिनियम की धारा 14(1) ख के \_\_\_\_\_ प्रवर्ग में हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड के सदस्य के पद के लिए \_\_\_\_\_ तारीख को प्राप्त हुए नामांकनों की सूची।

| नामांकन की क्रम संख्या | अभ्यर्थी का नाम | पिता या पति का नाम | आयु | अभ्यर्थी का व्यवसाय और पता | अभ्यर्थी की निर्वाचन नामावली संख्या |
|------------------------|-----------------|--------------------|-----|----------------------------|-------------------------------------|
| 1                      | 2               | 3                  | 4   | 5                          | 6                                   |
|                        |                 |                    |     |                            |                                     |

नामांकन पत्र की \_\_\_\_\_ स्थान पर \_\_\_\_\_ तारीख को \_\_\_\_\_ पूर्वाह्न/अपराह्न संवीक्षा की जाएगी।

स्थान :  
तारीख :

रिटर्निंग अधिकारी या  
अन्य प्राधिकृत व्यक्ति के  
हस्ताक्षर।

### हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड प्ररूप-8

#### [नियम 20 (5) देखें]

विधिमान्यतः नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थियों की सूची अधिनियम की धारा (14) की उप धारा (1) के खण्ड (ख) के ----- प्रवर्ग में हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड के सदस्यों का निर्वाचन।

| क्रम संख्या<br>(1)       | अभ्यर्थी का नाम<br>(2) | अभ्यर्थी का पता<br>(3) |
|--------------------------|------------------------|------------------------|
| 1.                       |                        |                        |
| 2.                       |                        |                        |
| 3.                       |                        |                        |
| 4.                       |                        |                        |
| इसी प्रकार से क्रम चलेगा |                        |                        |

स्थान :  
तारीख :

रिटर्निंग अधिकारी

### हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड प्ररूप-9

#### (नियम 21 देखें)

अधिनियम की धारा 14 (1) ख ----- के प्रवर्ग में अभ्यर्थी द्वारा हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड की सदस्यता हेतु रिटर्निंग अधिकारी को नोटिस।

सेवा में,

रिटर्निंग अधिकारी,

मैं -----, उपरोक्त निर्वाचन हेतु विधिमान्यतः नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थी, एतद्वारा सूचना देता हूँ कि मैं अपनी अभ्यर्थिता वापस लेता हूँ

स्थान :  
तारीख :

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

यह सूचना मुझे ----- (नाम) द्वारा ----- (तारीख) को ----- बजे मेरे कार्यालय में परिदत्त की गई।

स्थान :  
तारीख :

रिटर्निंग अधिकारी

प्रत्याहरण के नोटिस हेतु रसीद  
(नोटिस परिदत्त करने वाले व्यक्ति को दी जानी है)

अधिनियम की धारा 14 (1) (ख) के प्रवर्ग में ----- वक्फ बोर्ड के ----- पद के निर्वाचन में ----- अभ्यर्थी द्वारा अभ्यर्थिता प्रत्याह (वापस) करने का नोटिस मेरे कार्यालय में ----- (तारीख) को ----- (समय) पर मुझे परिदत्त किया गया।

स्थान :

रिटर्निंग अधिकारी

तारीख :

-----

### हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड प्ररूप-10

[नियम 22 (1) देखें]

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची अधिनियम की धारा 14 (1) (ख) के ----- प्रवर्ग में हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड के सदस्य के पद का निर्वाचन।

| क्रम संख्या<br>(1) | अभ्यर्थी का<br>(2) | नाम | अभ्यर्थी का पता<br>(3) |
|--------------------|--------------------|-----|------------------------|
|--------------------|--------------------|-----|------------------------|

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

इसी प्रकार से क्रम चलेगा

स्थान :

रिटर्निंग अधिकारी

तारीख :

-----

### हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड प्ररूप-11

[नियम 23 (1) और 38(1) देखें]

हिमाचल प्रदेश वक्फ नियम, 2017 के नियम 23(1) और 38(1) के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।

हिमाचल प्रदेश वक्फ नियम, 2017 के ----- नियम के अनुसार, मैं घोषणा करता हूँ कि निम्नलिखित अभ्यर्थी को वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 14 की उप धारा (1) के खण्ड (ख) के उप खण्ड के प्रवर्ग में हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड के सदस्य के पद के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित किया गया है।

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| नाम :                    |                                 |
| पता:<br>स्थान:<br>तारीख: | रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर। |

## हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड प्ररूप-12

(नियम 39 देखें)

## निर्वाचन प्रमाण पत्र

मैं -----, हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड के सदस्य/सदस्यों के लिए रिटर्निंग अधिकारी एतद द्वारा प्रमाणित करता हूं और घोषणा करता हूं कि श्री/श्रीमति ----- पुत्र/पत्नी ----- को, वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 14 की उप धारा (1) के खण्ड (ख) के उप खण्ड ----- के प्रवर्ग में हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड के सदस्य के पद के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित किया गया है और उसके प्रतिस्वरूप मैंने उसे यह निर्वाचन प्रमाण-पत्र प्रदान किया है।

स्थान :

रिटर्निंग अधिकारी

शिमला :

सचिव (-----)

हिमाचल प्रदेश सरकार।

## हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड प्ररूप-13

[नियम 49 (1) देखें]

## निरीक्षण हेतु आवेदन

आवेदन की फीस यहां पर चिपकाएं

सेवा में,

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,  
हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड

आवेदन का नाम ----- पुत्र/पुत्री/पत्नी, श्री-----  
(निवासी)-----। नस्ति का विवरण जिसके अभिलेख का निरीक्षण किया जाना है -----

अधिकारी का नाम (यदि कोई है)

----- पक्षकारों के नाम (यदि कोई है)

निरीक्षण का प्रयोजन -----

तारीख : आवेदक के हस्ताक्षर

मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा आवेदन पर पारित आदेश :-----

निरीक्षण का समय ----- से ----- तक ----- अर्थात्  
----- घण्टे।

संदत्त निरीक्षण फीस -----

पदधारी, जिसकी उपस्थिति में निरीक्षण किया गया था के पदनाम सहित हस्ताक्षर

----- ।

तारीख: निरीक्षण करने के पश्चात्  
आवेदक के हस्ताक्षर।

-----

#### हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड प्ररूप-14

[नियम 49 (3) देखें]

प्रतिलिपि के लिए आवेदन

निम्नलिखित की दूसरी प्रतियां चिपकाएं:

- . आवेदन की रसीद
- . राजपत्र अधिसूचना की प्रतिलिपि प्रभार फीस रसीद 10/- रुपये प्रति प्रविष्टि,
- . ए-4 आकार के लिए 50/- रुपये प्रतिलिपि और विधिक आकार के लिए 100/- रुपये प्रतिलिपि।
- . निरीक्षण के लिए 50/- रुपये प्रति घण्टा या उसका भाग।

सेवा में,

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,  
हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड

-----

आवेदक का नाम ----- पुत्र/पुत्री/पत्नी ----- निवासी  
----- नस्ति, जिससे प्रतिलिपि आपेक्षित है, का विवरण  
----- संपत्ति का, अवस्थिति सहित विवरण  
----- अभिधारी (यदि कोई हो)

का नाम ----- पक्षकार (यदि कोई हो) का नाम -----

मामले की प्रकृति-----  
राजपत्र या अभिलेख, जिसकी प्रतिलिपि आपेक्षित है का नाम और विवरण ----- प्रयोजन जिसके लिए प्रतिलिपि अपेक्षित है अर्थात् क्या वह निजि उपयोग हेतु या किसी न्यायालय आदि में दाखिल करने हेतु अपेक्षित है ----- ।

तारीख:

आवेदक के हस्ताक्षर

प्रतिलिपि रजिस्ट्रों में आवेदक की संख्या -----

आवेदन के साथ प्राप्त प्रतिलिपि फीस -----

पारित आदेश -----

मुख्य कार्यकारी अधिकारी के हस्ताक्षर

तारीख : नकलनवीस के हस्ताक्षर-----

प्रतिलिपि प्राप्तिकर्ता के हस्ताक्षर -----

### हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड प्ररूप-15

[नियम 53 (1) देखें]

बोर्ड के सीधे प्रबंधनाधीन मुतवल्लियों और ओकाफ द्वारा पृथक बजट

| प्राप्तियां                              | व्यय                       |
|------------------------------------------|----------------------------|
| संपत्तियों से भारक की प्राप्तियां        | कर्मचारियों का वेतन        |
| दान/अभिदाम प्रकीर्ण प्राप्ति यदि कोई हो  | संपत्ति का अनुरक्षण व्यय   |
|                                          | ब्योरों सहित प्रकीर्ण व्यय |
| प्राप्ति पर व्यय का आधिक्य               | व्यय पर प्राप्ति का आधिक्य |
| 2. चालू वर्ष के लिए वास्तविक             |                            |
| 3. पूर्ववर्ती वर्ष प्रयोजन हेतु वास्तविक |                            |

### हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड प्ररूप-16

(नियम 60 (2) देखें)

धारा 51 या धारा 56 के उल्लंघन में अंतरित वक्फ स्थावर संपत्ति की प्रत्युद्धरण हेतु कलक्टर को धारा 52 की उपधारा (1) के अधीन अध्यपेक्षा।

1. वक्फ संपत्ति के ब्योरे।
2. उपरोक्त संपत्ति के संबंध में निष्पादित अंतरण विलेख के ब्योरे।
3. विलेख निष्पादित करने वाले व्यक्ति, यदि कोई हो, का नाम और पूर्ण विशिष्टियां।
4. व्यक्ति, जिसको संपत्ति अंतरित की गई है, का नाम और पूर्ण विशिष्टियां।
5. वक्फ संपत्ति के ब्यौरों की वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 37 के अधीन अनुरक्षित औक्फ के रजिस्टर में प्रविष्टियों के साथ तुलना का परिणाम।
6. वक्फ अधिनियम की धारा 51 के अधीन यथा अपेक्षित उक्त अंतरण के लिए मंजूरी की अनुपस्थिति या धारा 56 के अतिक्रमण में अंतरित के संबंध में बोर्ड के अभिलेख से जांच का परिणाम।

स्थान :-----

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

तारीख :-----

हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड

### हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड प्ररूप-17

#### [नियम 60 (3) देखें]

#### वक्फ संपत्ति का कब्जा परिदत्त करने हेतु कलक्टर के आदेश

सेवा में

श्री -----

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड से हिमाचल प्रदेश वक्फ नियम 2017 के नियम 60 के उप नियम (2) के अधीन वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 51 या धारा 56 के उल्लंघन में श्री ----- द्वारा आपके पक्ष में नीचे दर्शायी अनुसूची में वक्फ संपत्ति के अंतरण संबंधी अध्यपेक्षा प्राप्त हुई है।

अतः, इसलिए, उक्त अधिनियम की धारा 52 की उपधारा (2) द्वारा पदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं ----- कलक्टर, जिला----- एतद्वारा आपको इस आदेश को तामील करने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर उक्त संपत्ति का कब्जा ----- वक्फ बोर्ड या उक्त बोर्ड द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति को परिदत्त करने का निदेश देता हूँ, ऐसा न होन पर आपके विरुद्ध बेदखली कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी। यदि आप इस आदेश से व्यथित हैं, तो आप इस आदेश की तामील की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर अधिकरण को अपील कर सकेंगे। यदि आप इस आदेश का अनुपालन करने में विफल रहते हैं और विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपील नहीं करते हैं, तो उक्त संपत्ति मेरे द्वारा या सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा, ऐसे बत का प्रयोग करते हुए, जो प्रयोजनार्थ आवश्यक हो, कब्जे में ले ली जाएगी, तथा उसे उक्त बोर्ड को परिदत्त किया जाएगा।

तारीख:

कलक्टर के हस्ताक्षर

मोहर -----

हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड प्ररूप-18  
(नियम 61 देखें)

**वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 54 की उप धारा (1) के अधीन नोटिस का प्ररूप**

सेवा में,

श्री/श्रीमति/कुमारी-----

मैं ----- अधोहस्ताक्षरी, नीचे विनिर्दिष्ट आधारों पर यह राय रखता हूँ

कि आप नीचे अनुसूची में वर्णित वक्फ संपत्ति के अधिक्रमणकर्ता हो तथा आपको उक्त परिसर को खाली करना चाहिए:

आधार

अतः, इसलिए, वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 54 की उप धारा (1) के उपबंधों के अनुसरण में, मैं एतद्वारा, आपसे ----- पर कारण बताने की अपेक्षा करता हूँ कि क्यों न ऐसा कोई आदेश किया जाए;

और अधिनियम की धारा 54 की उप धारा (3) के अनुसरण में, मैं आपसे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष स्वयं या साक्ष्य, जो आप बताए गए कारणों के समर्थन में पेश करने का आशय रखते हैं, सहित मामले से संसक्त सभी प्रश्नों के उत्तर देने में समर्थ किसी सम्यक रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से तारीख ----- की ----- (स्थान पर) व्यक्तिगत सुनवाई हेतु हाजिर होने की अपेक्षा करता हूँ। यदि आप उक्त तारीख और समय पर हाजिर होने में विफल रहते हैं, तो यह उपधारणा की जाएगी कि आप उक्त वक्फ संपत्ति पर अधिक्रमणकर्ता हैं और बेदखली के लिए आगामी कार्यवाही विधि के अनुसार की जाएगी।

**अनुसूची**

वक्फ संपत्ति के ब्योरे:

मुख्य कार्यकारी अधिकारी के हस्ताक्षर और मोहर

तारीख:

हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड प्ररूप-19

[नियम 63(2) देखें]

नीचे अभिलिखित कारणों के लिए मेरा, अधोहस्ताक्षरी का समाधान हो गया है कि श्री/श्रीमति/कुमारी ----- नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट वक्फ परिसर का अधिक्रमणकर्ता और अनधिकृत अधिभागी है:—

अतः, इसलिए, अधोहस्ताक्षरी वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 54 के अधीन, एतद्वारा—

श्री/श्रीमति/कुमारी— और उन सभी व्यक्तियों, जो वक्फ संपत्ति या उसके किसी भाग के अनधिकृत अधिभोगी है को इस नोटिस के तामील किए जाने से पन्द्रह दिन के भीतर उक्त परिसर को खाली करने का आदेश देता है। इस आदेश के अनुपालन से इन्कार करने या अनुपालन करने में असफल रहने वाली दशा में मामले को समुचित आदेश हेतु अधिकरण को निर्दिष्ट किया जाएगा।

### अनुसूची

वक्फ सम्पत्ति के ब्यौरे

मुख्य कार्यकारी अधिकारी के हस्ताक्षर व मोहर

### हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड प्ररूप-20

#### [नियम 63(5) देखें]

#### वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 55 के अधीन कर्मचारी मजिस्ट्रेट के आवेदन

सेवा में,

मुख्य कार्यकारी मजिस्ट्रेट

वक्फ अधिनियम ने वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 54 की उपधारा (4) के अधीन तारीख— को एक आदेश पारित किया था (प्रतिलिपि संलग्न);

श्री/श्रीमती/कुमारी — उस भूमि, भवन, स्थान या अन्य सम्पत्ति जिससे आदेश सम्बन्धित है, को आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर खाली करने में असफल रहा/रही है;

वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 55 के अधीन आपसे यह आदेश करने का अनुरोध है कि अधिक्रमणकारी को अधिक्रमण हटाने का निदेश देते हुए, यथास्थिति, भूमि, भवन, स्थान या सम्पत्ति का कब्जा श्री ————— मुतवल्ली/सम्पत्ति की प्रबन्ध समिति के सचिव/वक्फ बोर्ड के परिदत्त करने के आदेश दें। आदेश की अनुपालना के व्यक्तिक्रम में, अधिक्रमण को हटाया जाए या इस आदेश की प्राप्ति की तारीख से एक मास के भीतर अधिक्रमणकारी को पुलिस की सहायता से बेदखल कर दिया जाए।

आपका ध्यान यथासंशोधित वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 7 की उपधारा (6) के परन्तुक की और आकृष्ट किया जाता है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी हस्ताक्षर और मोहर

तारीख:

## हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड प्ररूप-21

[नियम 64 (1) देखें]

## कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश

वक्फ अधिकरण ने वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 54 की उपधारा (4) के अधीन आदेश पारित किया है (प्रतिलिपि संलग्न);

श्री/श्रीमती/कुमारी ----- नियत अवधि के भीतर वक्फ अधिकरण के आदेश की अनुपालना करने में असफल रहा/रही है;

अतः अधोहस्ताक्षरी में वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 55 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री/श्रीमती/कुमारी ----- को इस आदेश के तामील की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर अधिक्रमण हटाने/वक्फ परिसरों को खाली करने का निदेश देता हूँ; ऐसा न करने पर श्री/श्रीमती/कुमारी ----- ऐसे बल, जो आवश्यक हो, के प्रयोग द्वारा बेदखल किए जाने का/की दायी है।

कार्यकारी मजिस्ट्रेट

## हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड प्ररूप-22

(नियम 60 देखें)

## वसूली का प्रमाण-पत्र

सेवा में,

कलक्टर,

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ----- से वक्फ सम्पत्ति (निम्न ब्योरे के अनुसार) की बाबत भाटक /नुकसानी/व्यय/लागत/ब्याज के लेखे विधि के अधीन एक प्राधिकरण, वक्फ बोर्ड के ----- रुपये (-----) की रकम देय है।

मैं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वक्फ अधिनियम की धारा 82 के अनुसरण में उक्त रकम को भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल करने की कार्यवाही करने का अनुरोध करता हूँ।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी  
हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड

वक्फ सम्पत्ति के ब्योरे:

## हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड प्ररूप-23

[नियम 59 (1) देखें]  
(भाग-क)

वित्तीय वर्ष के लिए आय और व्यय का बजट प्राक्कलन

ब्योरे

| आय          |                                     |                            |                                    |                                         | व्यय          |                                                  |                            |                                        |                                         |
|-------------|-------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| आय का शीर्ष | ठीक पूर्ववर्ती वर्ष के लिए वास्तविक | चालू वर्ष का बजट प्राक्कलन | चालू वर्ष के लिए संशोधित प्राक्कलन | आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट प्राक्कलन | व्यय का शीर्ष | चालू वर्ष से ठीक पूर्ववर्ती वर्ष के लिए वास्तविक | चालू वर्ष का बजट प्राक्कलन | चालू वर्ष के लिए संशोधित बजट प्राक्कलन | आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट प्राक्कलन |
| 1           | 2                                   | 3                          | 4                                  | 5                                       | 6             | 7                                                | 8                          | 9                                      | 10                                      |
|             |                                     |                            |                                    |                                         |               |                                                  |                            |                                        |                                         |

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. धारा 72 (1) के अधीन ओकाफ ससे अभिदाय                     | 1. पूर्ववर्ती वर्ष से कमी                                                                                                                                                                                              |
| 2. अन्य आय :—                                              |                                                                                                                                                                                                                        |
| (क) विनिधानों और उधारों एडवान्स पर ब्याज                   | (क) बोर्ड या समिति के अध्यक्ष या सदस्यों को फीस का देना।                                                                                                                                                               |
| (ख) दस्तावेजों और अन्य छोटी-मोटी मदों के प्रदाय के लिए फीस | (ख) (i) कार्यकारी अधिकारी का वेतन<br>(ii) बोर्ड के कार्यालय में कर्मचारी वर्ग का वेतन                                                                                                                                  |
| (ग) भूमि और भवन के भारक                                    | (ग) (i) यात्रा भत्ता<br>(ii) अन्य भत्ते                                                                                                                                                                                |
| (घ) नकद अनुदान और सुख-सुविधाएं                             | (घ) (i) भारक<br>(ii) डाक महसूल<br>(iii) लेखन सामग्री<br>(iv) पुस्तकें और पत्रिकाएं<br>(v) विद्युत और प्रकाश व्यवस्था (लाईटनिंग) प्रभार<br>(vi) दूरभाष और प्रभार<br>(vii) मुद्रण प्रभार<br>(viii) फर्नीचर<br>(ix) विविध |

|                                                                        |                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (ड) प्रतिभूतियों, स्टॉकों, डिबेंचरों, अन्य बहुमूल्य प्रभारों का विक्रय | (ड) (i) अधिवक्ता की फीस<br>(ii) स्टॉप प्रभार<br>(iii) न्यायालय फीस                                                           |
| (च) स्थावर (अचल) सम्पत्ति का विक्रय                                    | (च) (i) उधारों पर ब्याज<br>(ii) उधार और अग्रिम                                                                               |
| (छ) अन्य प्राप्तियां                                                   | (छ) (i) अनुदान और छात्रवृत्तियां<br>(ii) भूमि और भवन पर पूंजीगत व्यय<br>(iii) रख-रखाव और मरम्मत<br>(iv) प्रतिभूतियों का क्रय |
|                                                                        | (ज) (i) यानों के लिए ईंधन<br>(ii) यानों का रख-रखाव                                                                           |
| आगामी वित्तीय वर्ष ----- की समाप्ति पर धारा                            |                                                                                                                              |

## हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड प्ररूप-23

[नियम 59 (1) देखें]

(भाग-ख)

वित्तीय वर्ष के लिए प्राप्तियों और संदायों का बजट प्राक्कलन :

| आय          |                                     |                                    |                                    |                                         | व्यय             |                                             |                            |                                        |                                         |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| प्राप्तियां | ठीक पूर्ववर्ती वर्ष के लिए वास्तविक | चालू वित्तीय वर्ष का बजट प्राक्कलन | चालू वर्ष के लिए संशोधित प्राक्कलन | आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट प्राक्कलन | संदायों का शीर्ष | ठीक पूर्ववर्ती चालू वर्ष के लिए वास्तविक के | चालू वर्ष का बजट प्राक्कलन | चालू वर्ष के लिए संशोधित बजट प्राक्कलन | आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट प्राक्कलन |
| 1           | 2                                   | 3                                  | 4                                  | 5                                       | 6                | 7                                           | 8                          | 9                                      | 10                                      |
|             |                                     |                                    |                                    |                                         |                  |                                             |                            |                                        |                                         |

पूर्ववर्ती वर्ष से नकद अतिशेष -----

|           |                                                                                                                                                                                             |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (i) आय    | (i) व्यय                                                                                                                                                                                    |
| (ii) उधार | (ii) उधारों का संदाय अतिव्यय के अधिशेष या उधारों आदि के अतिशेष से जहां<br>(iii) कोई अधिशेष न हो।<br>वर्ष की समाप्ति पर नकद अतिशेष वेतन अग्रिम, यात्रा भत्ते और अधिवक्ता की फीस सम्मिलित है। |

**हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड प्ररूप-23**  
[नियम 59 (1) देखें]  
(भाग-ग)

| आय                                               |                               |                                        |                         |                                         | व्यय             |                                         |                                    |                                |                                                  |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| चालू वर्ष से ठीक पूर्ववर्ती वर्ष के लिए वास्तविक | चालू वर्ष का बजट का प्राक्कलन | चालू वर्ष के लिए संशोधित बजट प्राक्कलन | परिसम्पत्तियों का शीर्ष | आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट प्राक्कलन | दायित्व का शीर्ष | आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट प्राक्कलन | चालू वर्ष के लिए संशोधित प्राक्कलन | चालू वर्ष के लिए बजट प्राक्कलन | चालू वर्ष से ठीक पूर्ववर्ती वर्ष के लिए वास्तविक |
| 1                                                | 2                             | 3                                      | 4                       | 5                                       | 6                | 7                                       | 8                                  | 9                              | 10                                               |
|                                                  |                               |                                        |                         |                                         |                  |                                         |                                    |                                |                                                  |
|                                                  |                               |                                        |                         |                                         |                  |                                         |                                    |                                |                                                  |
| रुपए                                             | रुपए                          | रुपए                                   | रुपए                    | रुपए                                    | रुपए             | रुपए                                    | रुपए                               | रुपए                           | रुपए                                             |

ऋण

नकद अतिशेष अग्रिम संदेय, यात्रा भत्ते और वकील की फीस सम्मिलित है।

वर्ष की समाप्ति पर कमी (घाटा)

-----

**हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड प्ररूप-23**  
[नियम 59 (1) देखें]  
(भाग-घ)

वित्तीय वर्ष के दौरान आय और व्यय का बजट प्राक्कलन :

वर्ष का सार

| ठीक पूर्ववर्ती वर्ष के लिए वास्तविक | चालू वर्ष के लिए बजट प्राक्कलन | चालू वर्ष के लिए संशोधित बजट प्राक्कलन | आगामी वर्ष के लिए बजट प्राक्कलन | टिप्पणियां |
|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|------------|
| 1                                   | 2                              | 3                                      | 4                               | 5          |
|                                     |                                |                                        |                                 |            |

----- आगामी वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कमी (घाटा)

**हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड प्ररूप-24**  
[नियम 77 (1) देखें]

-----के अधिकरण के समक्ष -----(क) ----- आवेदक

नाम

पूरा पता

बनाम

ख, ग और (घ) ----- प्रतिवादी  
के मध्य

आवेदन के ब्योरे

आदेश की विशिष्टियां, जिसके विरुद्ध आवेदन किया गया है। आवेदन निम्नलिखित आदेश के विरुद्ध किया गया है:

- (क) आदेश संख्या
- (ख) तारीख
- (ग) द्वारा पारित
- (घ) संक्षिप्त विषय

(2) (क) मामलों के तथ्य

(ख) राहत के समर्थन में सुसंगत विधिक उपबन्धों सहित राहत के लिए आधार।

(3) मामले अधिकरण या सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय सहित किसी न्यायालय में पहले दायर या लम्बित न हो। आवेदक यह भी घोषणा करता है कि उसने मामले, जिसकी बाबत यह आवेदन किया है, से सम्बन्धित पहले कोई आवेदन/रिटयाचिका दायर नहीं की है। यदि आवेदक ने पहले कोई आवेदन/रिट याचिका दायर की है तो विनिश्चय की प्रति दी जानी चाहिए।

(4) राहत/प्रार्थना

सत्यापन : मैं, ----- (आवेदक का नाम) पुत्र ----- पत्नी ----- आयु ----- व्यवसाय ----- आवास ----- एतद्वारा सत्यापित करता हूं कि पैरा 1 से 4 की विषय वस्तु मेरे ज्ञान और सूचना के अनुसार सही है और मैंने किसी भी तात्त्विक तथ्य को नहीं छिपाया है।

(टिप्पण : आवेदन पाँच सौ रूपए की न्यायालय फीस के साथ किया जाएगा।)

तारीख :

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान :

-----

**हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड प्ररूप-25**  
[नियम 90 (1) देखें]

----- वक्फ बोर्ड के कार्य और प्रशासन पर वार्षिक रिपोर्ट की विषय वस्तु और  
----- में ओकाफ का प्रशासन

## अनुक्रमिका

- सैक्शन 1 : ----- प्रशासन और प्रबन्धन
- सैक्शन 2 : ----- वित्तीय स्थिति
- सैक्शन 3 : ----- लाभकारी उद्यम
- सैक्शन 4 : ----- वक्फ सम्पत्ति के अधिक्रमण को हटाने उसका संरक्षण करवाना और उसे पट्टे पर देना।
- सैक्शन 5 : ----- अधिकरणों और न्यायालयों में दायर प्रतिरक्षित मामलों की संख्या के ब्योरे सहित मुकद्दमों की प्रास्थिति और परिणाम।
- सैक्शन 6 : ----- विकास कार्य (संकर्म)
- सैक्शन 7 : ----- मस्जिदों और तीर्थ स्थलों के रखरखाव सहित धार्मिक कार्य।
- सैक्शन 8 : ----- पूर्त कार्य
- सैक्शन 9 : ----- शैक्षिक और व्यावसायिक संस्थानों और केन्द्रों को अनुदान।
- सैक्शन 10: ----- कोई अन्य क्रियाकलाप।

## सैक्शन-1 : प्रशासन और प्रबन्धन

1. अधिकारिता:— क्षेत्र और मुस्लिम जनसंख्या ओकाफ की संख्या। वृत्तों और भारवाओं यदि कोई है, की संख्या। मुतवल्लियों की संख्या। वक्फ सस्थानों की संख्या। वक्फ सम्पत्तियों के सर्वेक्षण की प्रतिस्थिति। वर्ष के दौरान रजिस्ट्रीकृत नए वक्फों की संख्या।
2. कार्मिक:— बोर्ड सदस्यों की संख्या और उनके नाम। निर्वाचन द्वारा चुने गए सदस्यों की संख्या और निर्वाचकगण (इलेक्टोरल कालेज) सहित उनके नाम नामनिर्देशन द्वारा चुने गए सदस्यों की संख्या, उनके नाम और प्रवर्ग। अध्यक्ष का नाम और निर्वाचन की तारीख मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नाम और अवधि जब से कार्य कर रहा है। अन्य अधिकारियों के नाम (कार्यालय और क्षेत्र)।
3. बैठके और उपस्थिति :— बोर्ड की साधारण और विशेष बैठकों की संख्या और स्थगित बैठकें, बोर्ड की बैठकों को करने की नियमितता और बैठक में सदस्यों की उपस्थिति क्या बोर्ड की बैठकें और विनियमों के अनुसार आयोजित की गई है, यदि नहीं तो उनके कारण। वर्ष के दौरान कार्यसूची से सम्बन्धित सूचना और रखे गए प्रस्तावों की संख्या;  
पारित किए गए;  
विचार विमर्श किया गया और वापिस लिए गए;  
मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा बोर्ड को पुनःनिर्दिष्ट किए गए;  
मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा राज्य सरकार को निर्दिष्ट किए गए और वापस लिए गए।

## 4. समितियां:

स्थायी समितियों की संख्या, सदस्य के नाम सहित उनके कृत्य।  
प्रत्येक समिति के कार्य का सामान्य सारांश, स्थायी समितियों से सम्बन्धित बोर्ड की औसत उपस्थिति और टिप्पणियां।

5. वर्ष के दौरान, मुख्यालय में या अन्यत्र की गई अन्य बैठकों का सारांश।

6. बोर्ड की वार्षिक सामान्य बैठकों की तारीख और ब्योरे।

**सैक्शन-2 वित्तीय स्थिति****वर्ष के दौरान लेखों का सारांश**

| लेखा शीर्ष | आरम्भिक अतिशेष | वर्ष के दौरान प्राप्ति | वर्ष के दौरान व्यय | अतिशेष |
|------------|----------------|------------------------|--------------------|--------|
| 1          | 2              | 3                      | 4                  | 5      |
| ओकाफ लेखा  |                |                        |                    |        |

2. विनिधान, ऋण और अनुदान: पूंजी विनिधानों, ऋणों और अनुदानों के ब्योरे दिए जाए।

## 3. संपरीक्षा

1. अवधि, जिसके लिए धारा 80 के अधीन संपरीक्षा पूर्ण की गई है और संपरीक्षा रिपोर्ट पर की गई कार्यवाही।
2. वक्फ संस्थानों द्वारा धन के दुर्विनियोग के मामले में हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड द्वारा वक्फ अधिनियम, 1995 के उपबन्धों के अधीन की गई कार्यवाही।
3. किसी वक्फ के वित्त में अभिवृद्धि के मामले, क्या प्रत्यक्ष प्रबन्धन के अधीन।
4. बोर्ड के कर्मचारीवृन्द के विरुद्ध सतर्कता सम्बन्धी मामले।

**सैक्शन-3 लाभकारी उद्यम**

1. बोर्ड की निधियों से या केन्द्रीय वक्फ परिषद या किसी अन्य संस्था से ऋण से वक्फ परिसम्पत्तियों का विकास और उनकी उपलब्धियां तथा वक्फ के विकास से आय में बढ़ौतरी।
2. बोर्ड द्वारा ली गई किसी अन्य वाणिज्यिक परियोजना के ब्योरे।

**सैक्शन-4 वक्फ सम्पत्ति के अधिक्रमण का हटाना, उनका संरक्षण करना और उसे पट्टे पर देना।**

क्या बोर्ड द्वारा अधिक्रमणों की कोई सूची अनुरक्षित की गई और क्या वक्फ सम्पत्तियों पर किए गए अधिक्रमण को चिन्हित करने के लिए कोई प्रोग्राम बनाया गया है इस लिए ऐसा है तो इसके ब्योरे। कब्जों (अधिक्रमणों) को हटाने के लिए वक्फ अधिनियम, 1995 के सुसंगत उपबन्धों के कार्यान्वयन में प्रगति।

कब्जे को हटाने और वक्फ सम्पत्तियों की बहाली के सम्बन्ध में आदेशों के कार्यान्वयन और की जाने वाली विस्तृत कारवाई के सम्बन्ध में कलक्टर और कर्मचारी मजिस्ट्रेट को भेजी गई अध्यक्षता। बोर्ड द्वारा आदेशों के प्रवर्तन में आ रही समस्याओं का मुख्य रूप से दर्शाया जाना। कब्जे को हटाने हेतु सूचना निम्नलिखित सारणी में दी जानी है:—

| क्रम संख्या | वक्फ का वर्ग | पता लगाए गए अधिकरणों की संख्या | हटाए गए अधिकरणों की संख्या | उन मामलों की संख्या जहां कार्यवाहियां लम्बित है |
|-------------|--------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| 1           | 2            | 3                              | 4                          | 5                                               |
|             |              |                                |                            |                                                 |

3. वक्फ सम्पत्तियों का पट्टा.—पट्टे पर दी गई वक्फ सम्पत्तियों की कुल संख्या, बोर्ड द्वारा पट्टे हेतु प्राप्त और निपटाए गए प्रस्तावों की संख्या। प्राप्त पट्टे की रकम, दान आदि का ब्योरा दिया जाए।

#### सैक्शन-5 मुकदमों की प्रास्थिति

- विभिन्न न्यायालयों में लम्बित आवेदनों, वादों और रिट याचिकाओं के ब्योरे दिए जाएं। रिपोर्ट में काउंसिल फीस के रूप में उपगत व्यय किया जाए। अधिवक्ताओं के पैनल की दक्षता का परीक्षण मामलों की संख्या जिनमें आदेश बोर्ड के पक्ष में पारित किए गए हैं; जांच पड़ताल करके किया जाए।
- वर्ष के दौरान, अधिकरण में दायर किए गए और प्रतिरक्षित आवेदनों तथा अन्य न्यायालयों में दायर रिटों और वादों की संख्या। वर्ष के दौरान विधिक मामलों में काउंसिल फीस पर व्यय और अन्य व्यय दर्शाया जाए।
- अधिकरण से सम्बन्धित, अपीलों और आवेदनों की संख्या, प्रत्येक अधिकरण द्वारा उनके निपटान का पुनर्विलोकन किया जाए। मामलों का निपटाए जानें में अधिकरण (अधिकरणों) को पेश आ रही समस्याओं को मुख्य रूप से दर्शाया जाए। संग्रहित की गई अधिकरण फीस और वक्फ निधि में उसके विप्रेषण का परीक्षण किया जाए।

#### सैक्शन-6: विकास कार्य (संकर्म)

- वर्ष के दौरान मुख्यालय और शाखा कार्यालयों तथा स्कूलों आदि में भवनों के सन्निर्माण सहित उसके प्राक्कलन और व्यय के ब्योरे।
- पैरा (1) में वर्णित समस्त ऐसे भवनों का रख-रखाव, प्राक्कलन और रख-रखाव पर व्यय सहित दर्शाया जाए।
- वर्ष के दौरान प्राक्कलन और व्यय सहित वक्फ सम्पत्ति (धार्मिक नहीं) जैसे सीमा दीवारों (बाउंडरी वालज) आदि का विकास और रख रखाव।

#### सैक्शन-7 धार्मिक कार्य

- मस्जिदों के सन्निर्माण के, प्राक्कलन और व्यय सहित, ब्योरे।
- मस्जिदों, दरगाहों आदि के रख-रखाव पर व्यय बिजली (विद्युत) बिलों की रकम सहित के ब्योरे।
- प्रवास और अन्य समारोहों पर खर्च की गई रकम।

4. विभिन्न वर्गों में संख्या सहित इमामों और मोआजिनों के वेतन के ब्योरे।
5. मस्जिदों को अनुदान के ब्योरे।

### सैक्शन-8 : पूर्वकार्य

1. विधवाओं और अनाथों की पेंशन की रकम और उनकी जिलावार संख्या के ब्योरे।
2. सेवानिवृत्त इमामों की ब्योरेवार पेंशन की रकम।
3. अन्य पूर्वकार्य, जैसे गरीब कन्याओं और अन्यो के विवाह की रकम।
4. छात्रवृत्ति की रकम और कक्षाओं सहित विद्यार्थियों (छात्रों) की संख्या।
5. कोई अन्य व्यय।

### सेक्शन-9 शैक्षणिक और व्यावसायिक संस्थानों और केन्द्रों को अनुदान

1. बोर्ड द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रबन्धित स्कूलों पर व्यय के ब्योरे सहित उनके नाम, अध्यापन कर्मचारीवृन्द आदि की संख्या।
2. प्राइवेट संगठनों द्वारा चलाए जा रहे विद्यालयों, महाविद्यालयों आदि को आवर्ती अनुदान के ब्योरे सहित शैक्षणिक संस्थाओं के नाम।
3. मदरसों को आवर्ती अनुदान के ब्योरे सहित उनके नाम और स्थान। विद्यालयों, महाविद्यालयों, मदरसों आदि को एक बारगी अनुदान की सूचना के साथ-साथ संस्थानों को नाम, उनके पते और अनुदान की रकम।
4. व्यावसायिक केंद्र को अनुदानों के ब्योरे।
6. उर्दू के संवर्धन पर व्यय सहित क्रियाकलापों के ब्योरे।
- 7.

### सैक्शन-10 कोई अन्य क्रियाकलाप

1. विशिष्ट व्यक्तियों का आगमन और उनका पता।
2. बोर्ड को सुचारु रूप से प्रशासित करने में बोर्ड और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के बीच सम्बन्ध।
3. वक्फ सम्पत्तियों, वक्फ संस्थाओं का निरीक्षण और मुख्य कार्यकारी अधिकारी या अन्य अधिकारियों द्वारा निरीक्षण तथा उक्त निरीक्षण का अनुपालन।
4. पूर्ववर्ती वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट पर सरकार द्वारा पुनरीक्षण पर की गई कार्यवाही।

निष्कर्ष: कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला जिससे बोर्ड और वक्फ संस्थाओं का सामान्य प्रशासन प्रभावित होता हो।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी/हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड अध्यक्ष।

**हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड प्ररूप-26**  
(नियम 91 देखें)  
(भाग-क)

वक्फ अधिनियम, 1995 (2013 में यथासंशोधित) की धारा 9 की उप धारा (4) के अधीन प्रपत्र वित्तीय पालन।

| क्रम संख्या | वक्फ का नाम पूरा पता | वक्फ की किस्म<br>(क) मस्जिद / मदरसा<br>(ख) कब्रिस्तान / खुली भूमि<br>(ग) दरगाह<br>(घ) खानदाई / परिखाना<br>(ङ) इमामबाड़ा / करबला<br>(च) अन्य (विनिर्दिष्ट करें) | वक्फ सम्पत्ति की आय का स्रोत<br>(क) किराया<br>(ख) दान<br>(ग) भेंट<br>(घ) विज्ञापन<br>(ङ.) अन्य (विनिर्दिष्ट करें) | अर्नित वार्षिक राजस्व |
|-------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1           | 2                    | 3                                                                                                                                                              | 4                                                                                                                 | 5                     |
|             |                      |                                                                                                                                                                |                                                                                                                   |                       |

| धारा 72 के अधीन वक्फ बोर्ड द्वारा प्राप्त प्रतिशत अंशदान (अभिदाय) | ओकाफ के रखरखाव (अनुरक्षण) हेतु वार्षिक व्यय | (क) सरकारी अभिकरणों<br>(ख) प्राइवेट अभिकरणों से प्राप्त अनुदान | विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत रकम का वितरण | लाभार्थियों की संख्या |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| 6                                                                 | 7                                           | 8                                                              | 9                                        | 10                    |
|                                                                   |                                             |                                                                |                                          |                       |

(भाग-ख)

वक्फ अधिनियम, 1995 (2013 में यथासंशोधित) की धारा 9 की उप धारा (4) के अधीन प्रपत्र

सर्वेक्षण

| क्रम संख्या | वक्फ का नाम जहां स्थित है | सर्वेक्षण के आरम्भ होने का वर्ष | वक्फ / सर्वेक्षण संख्या | वक्फ की किस्म (सामान्य / परिवार) |
|-------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| 1           | 2                         | 3                               | 4                       | 5                                |
|             |                           |                                 |                         |                                  |

|   | वक्फ सम्पत्ति की भूमि कितनी है (रकबा) | क्या ओकाफ के रजिस्टर में प्रविष्टि की गई है हां / नहीं | क्या राजपत्र में अधिसूचना जारी हुई है हां / नहीं | यदि नहीं, तो उसके कारण |
|---|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| 6 | 7                                     | 8                                                      | 9                                                | 10                     |
|   |                                       |                                                        |                                                  |                        |

(भाग-ग)

वक्फ अधिनियम, 1995 (2013 में यथासंशोधित) की धारा 9 की उप धारा (4) के अधीन प्रपत्र

## वक्फ विलेख का अनुरक्षण

| क्रम संख्या | वक्फ सम्पत्ति का नाम | वक्फ का नाम सृजन का (गठन) वर्ष | वक्फ का स्वरूप<br>(क) अलाल-खैर (सामान्य)<br>(ख) अलाल-औलाद (कुटुम्ब) | वक्फ की किस्म<br>(क) मस्जिद / मदरसा<br>(ख) कब्रस्तान / खुली भूमि<br>(ग) दरगाह<br>(घ) खानकाह / पीरखानाह<br>(ङ.) इमामबाड़ा / करबला<br>(च) अन्य (विनिर्दिष्ट करें) |
|-------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1           | 2                    | 3                              | 4                                                                   | 5                                                                                                                                                               |
|             |                      |                                |                                                                     |                                                                                                                                                                 |

| वक्फ का प्रयोजन विनिर्दिष्ट करें अर्थात् शिक्षा, कब्रस्तान, समुदाय, अनाथालयों आदि का कल्याण | वक्फ सम्पत्ति के ब्यौरा<br>(क) गृह (घर)<br>(ख) दुकानें<br>(ग) कृषि भूमि<br>(घ) उपवन / उद्यान<br>(ङ.) अन्य (विनिर्दिष्ट करें) | वर्तमान मुतवल्ली का नाम और मोबाइल नम्बर |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 6                                                                                           | 7                                                                                                                            | 8                                       |
|                                                                                             |                                                                                                                              |                                         |

भाग-(घ)

| क्रम संख्या | विशिष्टियां<br>(क) वक्फ सम्पत्ति का नाम<br>(ख) पता<br>(ग) वक्फ के गठन का वर्ष<br>(घ) वक्फ अलाल खैर (सामान्य)<br>(ङ.) वक्फ अलाल-औलाद परिवार (कुटुम्ब) | वक्फ का रजिस्ट्रीकरण<br>(क) विलेख / वसीयत<br>(ख) अधिसूचना या सर्वेक्षण द्वारा<br>(ग) ओकाफ के रजिस्टर में प्रविष्टि द्वारा<br>(घ) उपयोक्ता द्वारा | वक्फ की किस्म<br>(क) मस्जिद / मदरसा<br>(ख) कब्रस्तान / खुली भूमि<br>(ग) दरगाह<br>(घ) खानकाह / पीरखाना<br>(ङ.) इमामबाड़ा / करबला<br>(च) अन्य (विनिर्दिष्ट करें) | वक्फ सम्पत्ति की भूमि का रकबा<br>(क) विनिर्मित क्षेत्र<br>(ख) खुला क्षेत्र |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1           | 2                                                                                                                                                    | 3                                                                                                                                                | 4                                                                                                                                                              | 5                                                                          |
|             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                |                                                                            |

|                                         |                                                                                                                   |                                                                       |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| रजिस्ट्रीकृत राजस्व अभिलेख<br>हां/ नहीं | राजस्व अभिलेख के ब्यौरे<br>(क) नामांतरण का वर्ष<br>(ख) जिला कार्यालय का नाम<br>(ग) बड़ी संख्या<br>(घ) क्रम संख्या | के नाम से नामांतरण<br>(क) वक्फ बोर्ड<br>(ख) न्यास/वक्फ<br>(ग) व्यक्ति |
| 6                                       | 7                                                                                                                 | 8                                                                     |
|                                         |                                                                                                                   |                                                                       |

वक्फ अधिनियम, 1995 (2013 में यथासंशोधित) की धारा 9 की उप धारा (4) के अधीन प्रपत्र

वक्फ सम्पत्तियां राजस्व अभिलेख के साथ सम्यक रूप से अद्यतन (अपडेट) कर दी गई हैं।

### भाग-(ड)

वक्फ अधिनियम, 1995 (2013 में यथासंशोधित) की धारा 9 की उप धारा (4) के अधीन प्रपत्र

| क्रम<br>संख्या | वक्फ सम्पत्ति का<br>नाम (पूरा पता) | वक्फ का अभिलेख<br>(क) वक्फ के गठन का वर्ष<br>(ख) वक्फ/सर्वेक्षण संख्या<br>(ग) वक्फ अलाल खैर<br>(सामान्य)<br>(घ) वक्फ अलाल-औलाद<br>(कुटुम्ब)<br>(ड.) वक्फ की सम्पत्ति की भूमि<br>का रकबा | वक्फ की किस्म का प्रकार<br>(क) मस्जिद/मदरसा<br>(ख) कब्रस्तान/खुली भूमि<br>(ग) दरगाह<br>(घ) खानकाह/पीरखाना<br>(ड.) इमामबाड़ा /करबला<br>(च) अन्य (विनिर्दिष्ट करें) |
|----------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1              | 2                                  | 3                                                                                                                                                                                       | 4                                                                                                                                                                 |
|                |                                    |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                   |

| अधिक्रमण<br>(क) सरकार या<br>इसका अभिकरण<br>(ख) संस्था या व्यक्ति<br>द्वारा अधिक्रमण | अधिक्रमण करने<br>वाले का नाम और पता | क्या वक्फ अधिनियम,<br>1995 (यथासंशोधित)<br>की धारा 54 और 55 के<br>अधीन कारवाई की गई<br>हां/ नहीं<br><br>यदि नहीं तो उसके<br>कारण | क्या पट्टे के<br>अवसान के पश्चात्<br>वक्फ अधिनियम, 1995<br>की धारा 56 के अधीन<br>कारवाई की गई<br>हां/ नहीं<br><br>यदि नहीं तो उसके<br>कारण |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5                                                                                   | 6                                   | 7                                                                                                                                | 8                                                                                                                                          |
|                                                                                     |                                     |                                                                                                                                  |                                                                                                                                            |

वक्फ सम्पत्तियों का अधिक्रमण

आदेश द्वारा,  
हस्ताक्षरित/—  
अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व)।

[*Authoritative English text of this Department Notification No. Rev.C(A) – 4/2008-loose dated as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.*]

## REVENUE DEPARTMENT

### NOTIFICATION

*Shimla, the 05<sup>th</sup> July, 2017*

**No. Rev-C(F)(Waqf)10-2/2008-loose.**—In exercise of the powers conferred by section 109 of the Waqf Act, 1995 ( No. 43 of 1995) the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following rules for carrying out the purposes of this Act, namely:—

### CHAPTER I

#### PRELIMINARY

**1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Waqf Rules, 2016.

2. They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

**3. Definitions.**—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,

(a) "Act" means the Waqf Act, 1995 {No. 43 of 1995};

(b) "authorized representative" means a person duly authorized to act for and on behalf of a person as his attorney by duly executed power of attorney or in the case of a legal practitioner by execution of a "Vakalatnama";

(c) "ballot box" means any box, bag or other receptacle used for the insertion of ballot papers by voters;

(d) "Count" means all the operations involved in the counting of the votes recorded for candidates;

(e) "Election" means an election to fill a vacancy in the office of the members of the Board, under sub-clauses (i), (ii), (iii) and (iv) of clause (b) of sub-section (1) of section 14;

(f) "Election Authority" means the Principal Secretary (Revenue) to the Government of Himachal Pradesh ;

(g) "elector" in relation to election to any category of member of the Board means any person whose name is specified in the electoral roll of that category unless disqualified by the Returning Officer;

(h) "electoral roll" means the separate list of members of each of the four electoral colleges specified in sub-clauses (i), (ii), (iii) and (iv) of clause (b) of sub-section (1) of section 14;

(i) "encroachment" in relation to any waqf premises means occupation by any person or institution of the waqf premises without authority for such occupation, and includes the continuance in occupation by any person or institution of the waqf premises after the authority

(whether by way of grant, tenancy or any other mode) under which he was allowed to occupy the premises, has expired or has been terminated for any reason whatsoever, and includes any construction, alteration, addition carried out to the building without authority of the Board;

- (j) "Form" means a form appended to these rules;
  - (k) "Government" means the Government of Himachal Pradesh
  - (l) "legal practitioner" shall have the same meaning as is assigned to it in the Advocates Act, 1961 ( No. 25 of 1961);
  - (m) "premises" means any land or any building or part of building and includes—
    - (i) the garden, trees and grounds, if any, appertaining to such building or part of the building;
    - (ii) any fittings affixed to such building or part of the building for more beneficial enjoyment thereof; and
    - (iii) dargah, grave, graveyard, khanqah, peerkhana, karbala, maqbara, mosque, tomb and the courtyard appurtenant thereto ;
  - (n) "Returning Officer" means an officer authorized or appointed by Election Authority to do any act or to perform any function in connection with the conduct of election under these rules;
  - (o) "section" means the section of the Act;
  - (p) "State" means the State of Himachal Pradesh ;
  - (q) "Waqf premises" means.—
    - (i) any premises dedicated by a person of movable or immovable property orally or by an instrument in writing and used for any purpose recognized by Muslim law as pious religious or charitable;
    - (ii) premises notified as waqf property in the Official Gazette; or
    - (iii) premises registered as waqf in the Register of Auqaf maintained by the Board; or
    - (iv) property treated as waqf by user; and
  - (r) "waqf property" means waqf premises as defined in clause (q) and shall include movable waqf property.
- (2) All the words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act shall have the same meanings respectively as assigned to them in the Act.

**3. Qualification of mutawallis.**—(1) The mutawalli shall be a citizen of India.

(2) Qualifications of mutawalli of a waqf would be such as specified in a waqf in the waqf deed.

(3) Where no such qualifications are specified, a mutawalli or the President and the Secretary of the managing committee shall have.—

(a) knowledge of Hindi, Urdu or the language of the State; and

(b) working knowledge of Sharia with specific knowledge of waqf law.

## CHAPTER II

### SURVEY OF AUQAF

**4. Appointment of Survey Commissioner etc.**—The State Government may appoint an officer not below the rank of Deputy Secretary to Government as Survey Commissioner and a Gazetted Officer as Additional Survey Commissioner,

**5. Report of Survey Commissioner.**—The report to be submitted by the Survey Commissioner to the Government under sub-section (3) of section 4 shall be in **Form HPWB-I**.

**6. Powers of Survey Commissioner while making inquiries.**— In addition to the powers conferred on the Survey Commissioner under sub-section (4) of section 4, the Survey Commissioner shall also have the powers in respect of the following matters, namely:—

(a) grant of temporary injunctions and interlocutory orders; and

(b) appointment of receivers.

**7. The list of auqaf.**—The list of auqaf published under sub-section (2) of section 5 shall be in **Form HPWB-II**.

**8. Entry of auqaf in revenue record.**— (1) The State Government may after receipt of the list of auqaf referred to in sub-section (2) of section 5 published in the official Gazette and within a month send it to the revenue authorities.

(2) On receipt of such lists, the revenue authorities shall include them while updating after taking into consideration while deciding mutation in the land record and inform the Board with a copy of such entries within six months.

(3) If no intimation is sent by the revenue authorities to the Board within six months, the entry in the land record in mutation thereof shall be deemed to have been made.

**9. Government to bear the cost of survey.**— The State Government shall bear cost of survey, including the cost of publication of lists of auqaf.

## CHAPTER III

### ELECTION OF MEMBERS OF THE BOARD

**10. Administrative machinery for the conduct of elections, powers and functions.**—(1) The Principal Secretary to the Government shall be the Election Authority for the purpose of

conducting of election under the Act. The superintendence, direction, control in the conduct of election of members of the Board under clause (b) of sub-section (1) of section 14 in ordinary and casual vacancies shall be his responsibility. The Joint Secretary to the Government shall be the Deputy Election Authority for the purpose of conducting election under the Act. The functions of the Election Authority under these rules may also be performed by the Deputy Election Authority, subject to the control of the Election Authority.

(2) The Election Authority shall designate or nominate a Returning Officer who shall be a Gazetted Officer of the State Government.

(3) The Election Authority may appoint one or more persons as Assistant Returning Officers to assist the Returning Officer :

Provided that the Assistant Returning officer shall be an officer of the State Government.

(4) Every Assistant Returning Officer shall be competent to perform all or any of the functions of the Returning Officer subject to the control of the Returning Officer.

(5) No Assistant Returning Officer shall perform any function of the Returning Officer relating to the scrutiny of nominations unless the Returning Officer is unavoidably prevented from performing the said functions.

(6) Subject to other provisions of these rules, the Election Authority shall be responsible for the conduct of elections of the members of the Board and shall have power —

- (a) to fix date, place and time of election;
- (b) to specify the form of notice, nomination, letter of intimation, declaration paper, ballot paper, ballot paper cover and the envelope for the election, the form of any other record to be prepared or maintained in relation to an election and the instructions to be contained in the notification;
- (c) to decide, in case of doubt, the validity or invalidity of each ballot paper of each vote recorded thereon;
- (d) to declare the result of each election; and
- (e) to fix—
  - (i) the date of notification;
  - (ii) the last date for receipt of nomination;
  - (iii) the date of scrutiny of nomination and publication of list of candidates validly nominated;
  - (iv) the last date and hour for withdrawal of candidature;
  - (v) the date of publication of the final list;
  - (vi) the date and hour for poll; and

(vii) the date and hour of scrutiny and counting of votes.

**11. Electoral Roll.**— (1) The Election Authority shall obtain the list of persons eligible to vote in the categories mentioned in sub-clauses (i), (ii), (iii) and (iv) of clause (b) of sub-section (1) of section 14 from the officers specified in sub-rule (2) of this rule and the list of such persons subject to any modification as per rule 12 shall form the Electoral College for that category and the persons whose names find place in the list, shall be electors for that category of members.

(2) The category-wise lists shall be obtained as follows:—

- (a) Muslim members of Parliament and in case Muslim member of Parliament is not available, ex-Muslim member of Parliament, from the Secretary General, Lok Sabha/Rajya Sabha;
- (b) Muslim member of State Legislature and in case Muslim member of State Legislature is not available ex-Muslim member of State Legislature, from the Secretary Legislative Assembly/Council;
- (c) Muslim member of State Bar Council and in case Muslim member of State Bar Council is not available, ex-Muslim member of State Bar Council from the Secretary of State Bar Council; and
- (d) Mutawalli having income of rupees one lakh and above in the preceding year from the Chief Executive Officer of the Board.

**12. Election by mutawallis.**—For the purpose of preparing the electoral roll under clause (d) of sub-rule (2) of rule 11 which shall constitute the electoral college, the Chief Executive Officer shall give one week's time to the mutawalli(s), or as the case may be, to the managing committee(s) to elect—

(a) one from among themselves, to be the representative of such waqf institution in case where a waqf institution is having more than one mutawalli; and

(b) one office bearer of such committee, as the representative of such waqf institution in case where a waqf institution is being administered by a managing committee:

Provided that if the waqf institution fails to so select and communicate to the Chief Executive Officer the name of senior mutawalli, in the case of a waqf institution having more than one mutawalli and the President of the managing committee where a waqf institution is being administered by such committee, shall be deemed to have been elected; and the same shall be incorporated in the electoral roll for the purpose of constituting the electoral college :

Provided further that only those mutawallis or the representatives of the managing committees shall be eligible to vote who are registered with the Board, having annual income of rupees one lakh in the preceding year and have paid annual contribution payable to the Board under section 72 up to the preceding year.

**13. Displaying of lists.**—The lists obtained under rule 11, shall be displayed on the notice board of the Election Authority and in the office of the Board, not less than seven days from the date notified for election under sub-rule (2) of rule 15, and shall be notified in one Urdu, Hindi and English/local language newspapers having circulation in the area.

**14. Filing of objections.**—(1) Any person aggrieved by such publication may file objection petition before the Election Authority within seven days of such publication, for addition, deletion or modification of any name.

(2) The Election Authority, after going through the objection petition, and after obtaining any further information from any source, as it may deem fit and after giving personal hearing to the objector or petitioner or to any other person, if it feels necessary, shall pass orders on the objection petition.

(3) In the light of the orders passed, under sub-rule (2), if the electoral roll requires any modification, the Election Authority, after incorporating such modification, shall publish the final electoral roll not less than seven days from the date of election notified under sub-rule (2) of rule 15 and such electoral roll shall be final and conclusive list of electors for election.

**15. Public notice of intended election.**—(1) After the commencement of the Act, regular election for the constitution of the Board under sub-section (2) of section 14 shall be conducted to elect the members in categories as provided in sub-clauses (i) to (iv) of clause (b) of sub-section (1) of section 14, and on the expiry of the term of the Board, or on its supersession or dissolution under section 99, or for filling up of any casual vacancy caused in a particular category under section 16 or section 64, as the case may be.

(2) For the above purpose the Election Authority shall, subject to such directions as may be issued by the State Government, by notification in **Form HPWB-III** published in the Official Gazette, call upon on such date or dates as may be specified therein, to elect members of the Board in accordance with the provisions of the Act and the rules made there under.

(3) The notification shall specify the last date for making nominations, the date for scrutiny of nominations, the last date for withdrawal of candidature, the place and date on which and the time during which the poll shall, if necessary, be held.

(4) On the issue of the notification, the Returning Officer shall give public notice of the intended election for the members of the Board in **Form HPWB-IV** in Urdu, Hindi and English/local language newspapers having circulation in the area.

**16. Special election programme.**—Notwithstanding anything contained in these rules, where the election process is interrupted or the election programme has to be altered on account of the orders of any Court of Law or for any other valid reason, to be recorded, it shall be competent for the Election Authority either generally or in respect of specified category of members to alter the election programme notified under sub-rule (2) of rule 15 and re-notify the election programme as it deems fit in the circumstances of the case:

Provided that where the election programme is re-notified under this rule commencing from the making of nominations, the nominations already made shall be disregarded.

**17. Nomination of candidates.**—(1) Any person may be nominated as a candidate to fill the office of the member of the Board if he is qualified to be chosen to fill the seat under the provisions of the Act. Every nomination paper shall be in **Form HPWB-V**. This shall be presented on or before the appointed date by the candidate in person, between the hours specified, to the Returning Officer at the place specified, and signed by the candidate or by a person duly authorized by him in this behalf. The candidate shall sign the declaration on the nomination paper expressing his willingness to stand for the election.

(2) A candidate for the office of the member of the Board from any of the categories specified in clause (b) of sub-section (1) of section 14 shall be a person whose name is registered in the electoral roll of that category. Each candidate shall be nominated on a separate nomination paper and a candidate may be nominated for more than one categories specified in sub-section (1) of section 14.

**18. Presentation of nomination paper and requirement of valid nomination.**—(1) On receipt of the nomination paper, the Returning Officer shall forthwith number the nomination papers serially in the order in which it is presented and give a receipt as provided in **Form HPWB-VI**. The Returning Officer or such other authorized person shall satisfy himself that the name and number of the candidate, as entered in the nomination paper, is the same as entered in the electoral roll and wherever necessary, he shall direct that the nomination form be amended so as to be in accordance with the electoral roll.

(2) The Returning Officer may, while interpreting an entry in the electoral roll overlook merely clerical or printing errors, but he shall record the interpretation adopted by him, together with the reasons therefore, while making the formal acceptance or rejection or scrutiny of a nomination.

**19. Publication of nominations received.**—Immediately after expiry of the time specified for receipt of nomination papers on the dates fixed for that purpose, the Returning Officer or such other authorized person shall publish at his office in Urdu, Hindi and English/local language a list in **Form HPWB-VII** of all the nominations received, with a notice that the nomination papers shall be taken up by the Returning Officer for scrutiny at the specified place, the date and the time.

**20. Scrutiny of nomination papers.**—(1) On the date appointed for scrutiny of the nominations, the candidate, and one other person duly authorized in writing by each candidate, may attend at such time and place as may be specified under rule 19. The Returning Officer may, however, admit such other persons as he thinks fit to assist him. He shall give such persons all reasonable facilities to examine the nomination papers of all the candidates, which have been received as aforesaid.

(2) The Returning Officer shall examine the nomination papers and shall decide on all objections, which may be made at the time to any nomination and may, either on such objection or on his own motion after such summary inquiry as he thinks necessary, reject any nomination on any of the following grounds, namely:—

- (a) that the candidate is ineligible for election as a member of that particular category of the Board;
- (b) that the candidate incurred any of the disqualifications specified in section 16 or these rules;
- (c) that the name of the candidate is not entered in the electoral rolls;
- (d) that the candidate has failed to comply with any of the provisions of rule 17; or
- (e) that the signature/thumb impression of the candidate in the nomination paper is not genuine :

Provided that the nomination of a candidate shall not be rejected merely on the ground of an incorrect description of his name or of any other particulars relating to the candidate as

entered in the electoral roll, if the identity of the candidate is otherwise established beyond reasonable doubt.

(3) The Returning Officer shall endorse on each nomination paper, his decision, accepting or rejecting the same and, if the nomination paper is rejected, he shall, record a brief statement of his reasons for such rejection. The scrutiny shall, as far as practicable, be completed on the date appointed in this behalf and no adjournment of the proceedings shall ordinarily be permissible, except at the discretion of the Returning Officer, to provide an opportunity to a candidate to rebut any contention raised against his candidature.

(4) For the purposes of this rule, a certified copy of an entry in the electoral roll for the time being in force of any of the categories of member of the Board shall be conclusive evidence of the fact that the person referred to in that entry is an elector for that category of member of the Board, unless it is proved that he is subject to any disqualification mentioned in the Act or these rules.

(5) Immediately after the nomination papers have been scrutinized and the decisions, accepting or rejecting the same have been recorded, the Returning Officer shall prepare a list of nominations found valid under each category and display it on the notice board of his office in **Form HPWB-VIII**.

**21. Withdrawal of nomination.**—Any candidate may withdraw his nomination in writing in **Form HPWB-IX** signed by him and delivered to the Returning Officer either in person or by his authorized agent not later than five O'clock in the evening of the appointed last date for withdrawal. The Returning Officer shall give a receipt for the same on being satisfied as to the genuineness of the notice of withdrawal and the identity of the person delivering it.

**22. Publication of list of contesting candidates.**—(1) On the following day, after the withdrawal of nominations, the Returning Officer shall prepare in Urdu, Hindi and English languages/local language a list in **Form HPWB-X** of the persons whose nominations have been found valid and display it on the notice board of his office and the office of the Board.

(2) The list shall contain the names of the candidates as described in their nomination paper in Urdu, Hindi and English languages/local language duly arranged in English alphabetical order.

**23. Declaration of result of uncontested candidate.**—(1) If the number of contesting candidates is equal or less than the number of vacancy in a particular category, the Returning Officer shall forthwith declare such candidate as duly elected in **Form HPWB-XI** and send the same to the Election Authority.

(2) If the number of contesting candidates is more than the number of vacancy/vacancies in a particular category, poll shall be conducted.

**24. Death of candidate before poll.**— If a contesting candidate dies and a report of his death is received before the commencement of the poll, the Returning Officer shall, upon being satisfied of the fact of the death of the candidate, countermand the poll and election proceedings shall be started afresh in all respect as if for a new election :

Provided that no fresh nomination, shall be necessary in the case of a candidate who stood validly nominated at the time of countermanding of the poll.

**25. Voting.**—(1) If poll is to be conducted, the Returning Officer shall take necessary action for the conduct of poll and shall see that the election is fairly conducted at the polling station, and regulate the number of electors to be admitted at one time, and shall exclude all persons other than the following:—

- (a) the candidate;
- (b) the police officer or other public servants on duty;
- (c) such persons as the Returning Officer may from time to time admit for the purpose of identifying electors;
- (d) persons authorized by the State Government;
- (e) a child in arms accompanying an elector; and
- (f) a person accompanying a blind or infirm elector who cannot move without help.

(2) Where a woman elector cannot be identified by the Returning Officer by reason of her observing purdah, she may be required to be identified by any mode to the satisfaction of the Returning Officer.

**26. Right of vote.**—(1) Voting is to be in person. All electors voting at an election shall do so in person at the polling station provided for them under the rules.

(2) Counting shall be arranged at the end of the polling for the election of each category of members specified in clause (b) of sub-section (1) of section 14.

(3) The Returning Officer shall provide at each polling station, sufficient number of ballot boxes, together with copies of the electoral roll containing the names of electors entitled to vote and such other papers and articles necessary for electors to mark the ballot papers, stationery and forms, as may be necessary.

(4) Immediately before the commencement of the poll, the Returning Officer shall demonstrate to the candidates or their polling agents that the ballot box is empty.

**27. Form of ballot paper.**—(1) Every ballot paper shall contain serial number of list of contesting candidates in Urdu, Hindi and English/local language in the serial order of English alphabets.

(2) Every ballot paper shall, before issue to an elector, be—

- (a) stamped or shall be written on its back—
  - (i) the name and category of member;
  - (ii) the place of election.
- (b) signed in full on its back by the Returning Officer.

**28. Issue of ballot paper.**— Immediately after a ballot paper is issued to an elector, the Returning Officer shall obtain the signature of elector in token of having received the ballot paper, on the office copy of electoral roll to be retained by the polling officer for record.

**29. Maintenance of secrecy of voting by electors and voting procedure.**—(1) Every elector to whom a ballot paper has been issued under rule 28 shall maintain secrecy of voting within the polling station and for that purpose observe the voting procedure hereinafter laid down.

(2) The elector on receiving the ballot paper, shall forthwith—

- (a) proceed to the voting compartment;
- (b) record his first, second, third and so on preference by writing numerical 1, 2 and 3 and so on against the names of the contestants, he intends to give the preference; and
- (c) insert the folded ballot paper into the specified ballot box.

(3) Every elector shall vote without any delay.

**30. Blind and infirm voters.**—(1) If owing to blindness or other physical infirmity, an elector is unable to recognize the names of the contestants on the ballot paper or to write preference thereon, the Returning Officer shall record the vote on the ballot paper in accordance with the wishes of the elector, fold it and insert it into the ballot box.

(2) While acting under this rule, the Returning Officer shall observe secrecy and shall keep a brief record of each such instance, but shall not indicate therein the manner in which any vote has been exercised.

**31. Challenge to identity.**—(1) Any candidate may challenge the identity of a person claiming to be a particular elector by first depositing, a sum of five hundred rupees in cash with the Returning Officer for each such challenge.

(2) On such a deposit being made, the Returning Officer shall—

- (a) warn the person challenged, of the penalty for impersonation; and
- (b) read the relevant entry in the electoral roll in full and ask him whether he is the person referred to in the entry or not.

(3) The Returning Officer shall there after hold a summary inquiry into the challenge and may for that purpose—

- (a) require the challenger to adduce evidence in proof of the challenge and the person challenged to adduce evidence in proof of his identity;
- (b) put the person challenged any question necessary for the purpose of establishing his identity and require to answer them on oath; and
- (c) administer an oath to the challenger and any other person offering to give evidence.

(4) If, after the inquiry, the Returning Officer considers that the challenge has not been established, he shall allow the person challenged to vote and if he considers that the challenge has been established, he shall debar the person.

(5) If the Returning Officer is of the opinion that the challenge is frivolous or has not been made in good faith, he shall direct that the deposit made under sub-rule (1) to be forfeited to the State Government and in any other case, he shall return it to the challenger at the conclusion of the inquiry.

**32. Spoilt and returned ballot papers.**—(1) An elector who has inadvertently dealt with his ballot paper may, by delivering it to the Returning Officer and on satisfying him of the inadvertence, be given another ballot paper and the ballot paper so returned and the counterfoil of such ballot paper shall be marked as "Spoilt cancelled" by the Returning Officer.

(2) If an elector, after obtaining a ballot paper decides not to use it, he shall return it to the Returning Officer, and the ballot paper so returned and the counterfoil of such ballot paper shall be marked as "Returned cancelled" by the Returning Officer.

(3) All ballot papers cancelled under sub-rules (1) and (2) shall be kept in a separate packet.

**33. Opening of ballot boxes.**—The counting of votes shall commence immediately after the poll at the same place where voting took place.

**34. Counting of ballot papers.**—The Returning Officer immediately after the poll at the same place shall—

- (a) open the ballot box, count the ballot papers and ensure that the number of ballot papers found in the box is the same as the number of ballot papers issued as per the office copy of the electoral roll;
- (b) separate the ballot papers which he deems valid from those which he rejects endorsing on each of the latter the word "Rejected" and the ground of rejection.

**35. Invalidity of ballot papers.**— Ballot paper shall be invalid in any one or more of the following cases:—

- (a) same preference is recorded against more than one name;
- (b) numerical preference is so placed as to render it doubtful to which candidate it is intended to apply;
- (c) the numerical or such other figures are written opposite to the names in such a manner that it is not possible to ascertain the intended preference of the elector;
- (d) there is any mark or writing by which the elector can be identified.

**36. Counting of votes.**— (1) After rejecting the ballot papers which are invalid, the Returning Officer shall—

- (a) count the maximum number of first preference votes polled, by a candidate, then count the maximum number of second preference votes polled by a candidate and so on and arrange the name of candidates in that order;
- (b) after such counting, the candidate having obtained maximum number of first preference votes shall be declared elected if the number of vacancy is one and in case

of vacancies being two, candidates having obtained maximum number of first and second preference votes shall be declared elected for the second vacancy.

(2) When at the end of counting each of the contesting candidates has the same value of votes and no surplus remains capable of transfer, the Returning Officer shall decide by lot which of them shall be excluded, and after the exclusion of one of the candidates, by drawing lots, the candidate shall be declared elected.

**37. Provision of recount.**— (1) Any candidate or in his absence, his authorized agent may, at any time during the counting of votes, either before or after the completion of the counting of votes, request the Returning Officer to reexamine and re-count the votes of all or any candidate and the Returning Officer may re-examine and re-count the same accordingly.

(2) The Returning Officer may, in his discretion, re-count the votes either once or more than once in any case in which he is not satisfied as to the accuracy of any previous count :

Provided that nothing in this sub-rule shall make it obligatory on the Returning Officer to re-count the same votes more than once.

**38. Declaration of result and return by Returning Officer.**—(1) Upon the completion of counting, the Returning Officer shall, subject to the foregoing provisions, declare the result under sub-clauses (i), (ii), (iii) and (iv) of clause (b) of sub-section (1) of section 14 in **Form HPWB-XI** as may be appropriate and send signed copies thereof, to the Election Authority.

(2) The Returning Officer shall thereafter—

- (a) place the valid ballot papers in one packet and the rejected ballot papers in another;
- (b) seal with the seal of the Returning Officer and of such of the candidates, their election agents or counting agents as may desire to affix their seals on each of the packets referred to in clause (a);
- (c) record on each of the sealed packets the description of its contents and the date of election.

**39. Grant of certificate of election to elected candidate.**—As soon as may be, after a candidate has been declared elected, the Returning Officer shall grant to such candidate a certificate of election in **Form HPWB-XII** and obtain from the candidate an acknowledgement of its receipt duly signed by him.

**40. Material to be submitted after election.**—(1) After completion of the election, the Returning Officer shall submit the following to the Election Authority for being kept in safe custody for record:—

- (a) packet of ballot papers mentioned in rule 34;
- (b) office copy of the electoral roll and counter foils of ballot papers issued with signatures of the electors having received the ballot paper;
- (c) brief report about fair and peaceful conduct of poll mentioning important incidents, if any, during the poll, including challenges made about the identity of any elector and the decision of Returning Officer thereon;

- (d) office copy of certificate of election issued to elected candidates and acknowledgement receipts of the same; and
- (e) any other relevant paper.

(2) The record submitted to the Election Authority shall be preserved for a period of one year or till the final disposal of petition relating to election, if any, whichever is later.

**41. Making of necessary nominations.**—(1) State Government shall make necessary nominations for filling up of the vacancies under categories (c), (d) and (e) of sub-section (1) and sub-section (3) of section 14 as follows—

- (a) one person each from amongst Muslims, who has professional experience in town planning or business management, social work, finance or revenue, agriculture and development activities;
- (b) one person each from amongst Muslims, from recognized scholars in Shia and Sunni Islamic Theology;
- (c) one person from amongst Muslims by the State Government from amongst the officers of the State Government not below the rank of Joint Secretary.

(2) Where there is no Muslim member of Parliament or ex Muslim member of Parliament and the Muslim member of State Legislature or ex-Muslim member of State Legislature, the State Government may nominate such persons as the members of the Board as it deems fit.

(3) Where there is no Muslim member or ex Muslim member of the Bar Council of a State or Union territory, the Government or the Union territory administration as the case may be, may nominate any senior designated Muslim Advocate, having minimum twenty years practice at the Bar as member of the Board.

**42. Appointment of members of the Board.**—(1) After receipt of the result of the election under clause (b) of sub-section (1) of section 14 and the nominations under clause (c), (d) and (e) of sub-section (1) and sub-section (3) of section 14, read with rule 41 of these rules, the State Government shall issue a notification under sub-section (9) of section 14 appointing the members of the Board. In the said notification, the date, place and time of election of Chairperson shall also be specified giving the members, one week's notice. The notification shall be published in the Official Gazette and in one newspaper of Hindi, English and Urdu/local language having local circulation.

- (2) At least two members appointed on the Board in any category shall be women.

**43. Filling-up of casual vacancy.**— If the election has been conducted for any casual vacancy under section 14, on receipt of the result of the election from the Returning Officer, the Government shall issue notification in the Official Gazette under sub-section (9) of section 14 appointing such person as member of the Board.

**44. Election of Chairperson.**—(1) After the appointment of the members of a newly constituted Board, notified under section 13, the Government shall notify the first meeting of the Board, for the election of the Chairperson as provided in rule 42. The notification shall state that at such meeting the Chairperson shall be elected.

(2) The meeting shall be presided over by the Secretary to the Government who shall conduct the proceedings for the election of the Chairperson.

(3) The name of the candidate to the post of Chairperson shall be proposed by a member who shall be seconded by another member. The voting shall be by secret ballot.

(4) A member shall have only one vote. The candidate securing the highest number of votes shall be declared to have been elected as Chairperson.

(5) In case of a tie the names of the candidates shall be put to lot and the Chairperson shall be selected from the lot.

(6) (a) Where a dispute arises as to the validity of election of the Chairperson or any member of the Board, any person interested may within thirty days of the declaration of the result of the election file an application before the Tribunal for decision, and the decision of the Tribunal thereon shall be final;

(b) No suit or other legal proceedings shall lie in any civil court in respect of any dispute/question or other matter relating to the election of Chairperson or member of the Board.

(7) The election petition shall be accompanied by a court fee of two thousand rupees and can be increased from time to time.

(8) The Tribunal shall dispose of the application within one year of its filing.

(9) Expenses for the conduct of election of the members and the Chairperson of the Board shall be borne by the State Government.

## CHAPTER IV

### CHIEF EXECUTIVE OFFICER OF THE BOARD

#### *Section 23*

**45. Terms and conditions of service of the Chief Executive Officer of the Board.—**(1) The appointment to the post of Chief Executive Officer under sub-section (1) of section 23 shall be made by the State Government from a panel of two Muslim Officers suggested by the Board—

(a) by appointment of a Government officer; or

(b) by transfer on deputation of a Government officer; or

(c) by open recruitment which may include an officer retired from the post not below the rank of Deputy Secretary of the Government and not more than 62 years of age; after advertising the post by the Board in one Urdu, Hindi and English language newspapers having circulation in the area if an officer in the categories, as mentioned in sub-section (1) of section 23 is not available

(2) To be eligible for appointment to the post of Chief Executive Officer, a candidate:

- (a) must be a citizen of India;
- (b) must be a Muslim;
- (c) must hold a Bachelor's degree of any of the recognized Indian Universities or hold any diploma or degree of any foreign university which in the opinion of the Government is equivalent to, or higher than, the aforesaid Bachelor's degree; and
- (d) must have the knowledge of Urdu.

(3) Where the Chief Executive Officer is appointed under clause (a) or clause (b) of sub-rule (1), he shall not be below the rank of Deputy Secretary of the Government (or equivalent to Deputy Secretary, if it comes from departmental services).

(4) The scale of pay for the post of the Chief Executive Officer and other allowances admissible shall be fixed by the State Government, in consultation with the Board. If the person appointed as Chief Executive Officer is an officer in the Government, any Union Territory Administration or a local body, he shall be allowed to draw pay in his own pay scale along with other allowances admissible to him in respective Government, Union Territory Administration or local body, as the case may be, plus deputation allowance as admissible under the Government rules. The period of deputation shall ordinarily be one year subject to extension upto five years by the State Government in consultation with the Board for a period not exceeding one year at a time.

(5) If the person appointed as Chief Executive Officer is an officer who has retired from Government service, he shall draw pay and allowances as fixed by the Himachal Pradesh Waqf Board.

(6) Where the Chief Executive Officer is appointed by open recruitment—

- (a) he shall not be below the age of 35 years;
- (b) he shall, before entering upon his office, be required to produce a certificate of physical fitness from the Medical Superintendent of the Government hospital;
- (c) he shall be on probation for a period of one year from the date of his appointment and he may be confirmed on the recommendation of the Board with three fourth majority or his probation period may be extended for another period of one year.

(7) The State Government's travelling allowance rules for the time being in force shall apply to the Chief Executive Officer.

(8) Periodical increments in the time scale of pay to the Chief Executive Officer shall be sanctioned by the Board.

(9) Leave rules applicable to the State Government employees and the rules relating to casual leave applicable to the Board employees shall apply to the Chief Executive Officer. Casual leave shall be sanctioned by the Chairperson of the Board and leave other than casual leave by the State Government.

(10) The date of retirement on superannuation of the holder of the post of Chief Executive Officer shall be the last day of the month on which he completes the age of 58 years or as per the State Government employees.

(11) The Chief Executive Officer may relinquish his post after giving one month's notice in writing. Similarly the Board may relieve the Chief Executive Officer after giving him one month's notice :

Provided that the Board may extend the date of superannuation beyond the age of 58 years up to the age of 60 years :

Provided further that no such extension shall be given for a period of more than one year at a time and no such extension shall be given after the age of 60 years :

Provided further that the notice period can be reduced at the discretion of the Board.

(12) The following penalties may, for good and sufficient reasons, be imposed on the Chief Executive Officer by the Board or the State Government, as the case may be, namely:—

(a) by the Board—

(i) censure;

(b) by the State Government—

(i) withholding or stoppage of increment;

(ii) recovery from pay of the whole or part of any pecuniary loss caused to the Board or to any waqf by negligence or breach of orders;

(iii) reduction to lower stage in the time-scale of pay;

(iv) compulsory retirement;

(v) removal from service which shall not be a disqualification for future employment;

(vi) dismissal from service which shall ordinarily be a disqualification for future employment.

(13) In the case of penalty by the Board an appeal shall lie, within sixty days of the receipt of the order of punishment, to the State Government and in respect of other penalties by the State Government an appeal shall lie within sixty days to the Central Government. Before awarding any of the penalties mentioned above, the procedure prescribed in the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965 shall be followed.

(14) Service record and personal file in the form prescribed for State Government employees shall be maintained for the Chief Executive Officer by the Chairperson.

(15) The State Government—

(a) shall remove the Chief Executive Officer from office if at a special meeting of the Board called for the purpose, a resolution for such removal has been passed by a majority of not less than 3/4 of the total number of members; and

- (b) may remove the Chief Executive Officer from office at any time if it appears to the State Government that he is incapable of performing the duties of his office or has been guilty of neglect or misconduct in the discharge of such duties which renders his removal expedient.

**46. Functions of the Chief Executive Officer.**— Subject to the provisions of the Act and the rules made thereunder, the Chief Executive Officer shall—

- (a) discharge all the duties and exercise all the powers specifically imposed or conferred on the Chief Executive Officer by or under the Act;
- (b) attend the meetings of the Board and of the committee and may take part in the discussions in an advisory capacity, but shall have no right to move any resolution or to vote;
- (c) attend meeting of a committee of the Board if required to do so by the person presiding thereon;
- (d) control the officers and employees working under the Board or auqaf under the administration of the Board subject to the general superintendence and the control of the Board;
- (e) initiate disciplinary action against all officers and employees of the Board or auqaf under the administrative control of the Board;
- (f) carry into effect the resolution of the Board; and
- (g) such other functions as may be delegated by the Board.

**47. Powers of Chief Executive Officer to inspect records registers, etc.**— (1) The Chief Executive Officer or any officer of the Board authorized by him in writing in this behalf, may—

- (a) call for any record, register or other document in the possession of or under the control of any waqf, registered with the Board or administered by the Board;
- (b) require any such waqf to furnish any return, plan estimate, statement of accounts of waqf property administered by it;
- (c) require any such waqf to furnish any information, or report on any matter connected with such waqf;
- (d) require any such waqf to obtain the previous sanction of the Board before giving up a claim or closing down any institution administered by it which is a source of income; and
- (e) have power to inspect any office or any record or other documents of such waqf or movable properties of such waqf or any work or institution or property under the control of the waqf.

(2) Every mutawalli of such waqf or any officer or employee of such waqf (such as Estate Officers) shall be bound to give facilities for exercising duties under clause (e) of sub rule (1).

(3) The Chief Executive Officer or any officer of the Himachal Pradesh Waqf Board duly authorized by him in this behalf shall, be entitled at all reasonable time to inspect, in any public office, any record, registers or other documents relating to a waqf, movable or immovable properties which are waqf properties or are claimed to be waqf properties and it shall be the duty of the officer in charge of such public office to afford all facilities and assistance as may be necessary or reasonably required with regard to the inspection.

**48. Conditions and restrictions subject to which the Chief Executive Officer or any other officer may inspect any public office record and registers.**—(1) Whenever the Chief Executive Officer or any other officer of the Board, duly authorized by it in writing, wants to make inspection under section 29, he shall make an application in writing to the officer in charge of the office expressing his intention so to do.

(2) The officer in charge shall allow such inspection within three days of the receipt of such application.

(3) The mutawalli or any other person having the custody of any document relating to waqf property shall produce the same within ten days before the Chief Executive Officer on being called upon to do so in writing and if so desired shall supply the copies of the documents within the next ten days.

(4) On a written request by the Chief Executive Officer, an agency of the State Government or any other organization shall supply, within ten working days, copies of the record, register of properties or other documents relating to waqf properties or claimed to be waqf properties. If for any reason the required documents cannot be supplied within ten working days, the concerned agency of the State Government or the organization shall seek further time, not exceeding ten working days to supply the information/documents.

(5) The supply of documents as required by Chief Executive Officer shall be free of cost:

Provided that before seeking information/documents as mentioned in sub-rules (4) and (5), the Chief Executive Officer shall obtain the approval of the Board.

## CHAPTER V

### INSPECTION OF BOARD'S RECORD AND GRANTING OF COPIES THEREOF

**49. Conditions for inspection and issuance of copy.**— (1) All applications for inspection of Board's record to the Chief Executive Officer shall be made in *Form HPWB-XIII* which can be had from the office of the Board on payment :

Provided that the provision of sub-rule (1) shall not apply to applications submitted in response to notices calling for applications unless otherwise stated in the notice or to the applications made for scholarships and stipends.

(2) Permission on application for inspection of record or proceedings of the Board or any committee may be granted by the Chief Executive Officer on payment of fifty rupees per hour or fraction thereof or as fixed by the Board from time to time, which shall be deposited by the applicant in advance with the office of the Board.

(3) Certified copy of record or proceedings of the Board, or any committee may be granted by the Chief Executive Officer on payment of fifty rupees per copy for A-4 size and one hundred rupees per copy for Legal size or fraction thereof or as fixed by the Board from time to time :

Provided that the application in **Form HPWB-XIV** is accompanied by the receipt of the Board for one hundred rupees or as fixed by the Board from time to time:

Provided further that the applicant shall have the right to appeal to the Chairperson, against the order of the Chief Executive Officer within the period of 30 days.

(4) The appeal in such cases shall be accompanied by a receipt of the Board for one hundred rupees or as fixed by the Board from time to time.

**50. Entries of waqf properties in land record.**—(1) The Board shall forward the details of all the properties entered in the register of auqaf to the concerned land record officer having jurisdiction of the property.

(2) On receipt of the details of properties entered in the register of auqaf the land record office shall either make necessary entries in the land record or communicate, within a period of six months from the date of receipt of communication from the Board and convey its objection to the Board.

(3) In case, no objection is received from the land record officer, the entry shall be deemed to have been made in the land record.

**51. Authentication of orders of the Board.**—(1) The Chairperson or the Chief Executive Officer or any other person authorized by the Board in writing shall authenticate the orders and decisions of the Board.

(2) The common seal shall remain in the custody of the Chief Executive Officer.

(3) All correspondence emanating from the Board shall be in the name of the Chairperson or the Chief Executive Officer or any other person authorized by the Board in writing and all correspondence with the Board shall be addressed to the Chairperson or the Chief Executive Officer or any other person authorized by the Board in writing.

---

## CHAPTER VI

### POWERS OF BOARD AND OF CHIEF EXECUTIVE OFFICER TO HOLD INQUIRIES

**52. The manner in which an inquiry may be held by the Chief Executive Officer.**—(1) Notice of an inquiry under sub-section (1) of section 39 shall be sent to the interested parties informing them the date, time and place fixed for holding the same.

(2) All persons who appear in response to the notice shall be heard on the time fixed for hearing and the inquiry officer may grant adjournment not more than three opportunities for filing written statement containing objections and suggestions.

(3) Any party to the proceedings shall have the right to appear in person or through pleader to adduce oral or documentary evidence and to apply for summoning witnesses or documents.

(4) The inquiry officer shall record oral evidence of the witnesses and shall follow procedure laid down in the Code of Civil Procedure for the appearance of pleader, filing of affidavits, production of documents, examination of witnesses, recording of oral evidence, issue of commission and return of documents and to pass interim order.

(5) In the case of occupation on waqf premises, the inquiry officer shall seek legal documents authorizing him to occupy the premises.

(6) In the absence of production of valid documents, the occupant shall be declared encroacher.

(7) The inquiry officer shall complete inquiry within six months and submit report to the Board within thirty days from the date on which the inquiry is concluded.

## CHAPTER VII

### BUDGET AND AUDIT OF ACCOUNTS OF AUQAF MANAGED BY MUTAWALLI OR MANAGING COMMITTEE

**53. Time and manner for preparation of budget.**—(1) Every mutawalli or Secretary of the Committee managing, the Waqf, having a gross annual income exceeding twenty five thousand rupees, shall submit a budget at least thirty days before the beginning of the financial year to the Board showing its probable receipts and expenditure for the ensuing financial year in *Form HPWB-XV*.

(2) Failure to submit the budget within the prescribed time, even after notice, may entail the removal of the mutawalli/dissolution of, the Committee by the Board.

(3) The Board shall scrutinize the budget proposal and ensure that provision has been made therein for the obligatory expenditure referred to in sub-section (2) of section 44 and for carrying out the purpose which may have been specifically enjoined on the waqf by the deed of waqf.

(4) The Board may give such directions to modify the budget in case any item is considered to be contrary to the objects of the waqf or the provisions of the Act.

(5) If the Board is satisfied that adequate provision for certain items has not been made in the budget, it shall have power to modify it in such manner as may be necessary to secure such provision and return it to the mutawalli concerned.

(6) Every mutawalli shall consider the suggestions and incorporate the modifications made by the Board in the budget and pass the budget before the beginning of the financial year to which it relates.

(7) Notwithstanding anything contained in these rules, the Board may direct a mutawalli to modify its estimates keeping with the provisions of the Act and the waqf deed and such mutawalli shall comply with the direction of the Board.

(8) As soon as budget is passed every mutawalli shall forthwith submit copies thereof to the Board.

(9) No sum shall be expended by or on behalf of a waqf unless such sum is included in the budget estimates sanctioned under section 44 and in force at the time of incurring the expenditure.

(10) If in the course of the year, a mutawalli finds it necessary to alter the figures shown in the budget with regard to receipts or the distribution of the amounts to be expended on the different services undertaken by him on behalf of the waqf, a supplemental or revised budget may be framed and got sanctioned.

**54. Form in which and the time within which, a separate budget of waqf under the direct management of the Board to be prepared.**—(1) The Chief Executive Officer shall prepare in *Form HPWB-XV* before the third week of January every year, a budget in respect of the financial year next ensuing, showing the estimated receipts and expenditure of each of the waqf, under the direct management of the Board, showing therein the estimated receipts and expenditure and submit it to the Board for its approval.

(2) Every budget submitted by the Chief Executive Officer shall comply with the requirements of sections 45 and 46 and for this purpose; reference therein to the mutawalli of the waqf shall be construed as reference to the Chief Executive Officer. Along with the budget, the Chief Executive Officer shall also prepare and forward a statement giving details of the increase, if any, in the income of each waqf under the direct management of the Board and the steps which have been taken for its better management and the results accruing there from during the year.

(3) The Board shall scrutinize the budget proposals and ensure that provision has been made therein for the obligatory expenditure to be incurred under the Act and the administrative charges that shall be payable by the waqf to the Board.

(4) If the Board is satisfied that adequate provision has not been made in the budget it shall have power to modify it in such manner as may be necessary to secure such provision and pass the budget before the beginning of the financial year to which it relates.

(5) If in the course of the year, the Chief Executive Officer finds it necessary to alter the figures shown in the budget with regard to the receipts or the distribution of the amounts to be expended on the different services undertaken by the Board on behalf of the waqf, a supplemental or revised budget may be framed and got sanctioned.

**55. Interval at which accounts of auqaf may be audited.**—(1) The accounts of the waqf under the management of mutawalli/managing committee having net annual income exceeding fifty thousand rupees shall be submitted by such mutawalli/managing committee for audit within three months of the close of the financial year.

(2) The case of waqf having net annual income, not exceeding fifty thousand rupees, submission of statement of accounts shall be sufficient and two percent of such auqaf shall be audited by the auditor of the Board.

(3) Such accounts shall be audited within one year of the close of the financial year or within two years with the approval of the Chairperson for reasons to be recorded.

**56. Annual contribution payable by a mutawalli of waqf to the Board and determination thereof.**—(1) The mutawalli of every waqf, the net annual income of which is not

less than five thousand rupees shall pay annually to the Board seven per cent of such annual income as annual contribution.

(2) The mutawalli of auqaf shall within such time as may be fixed by the Board and in such form as may be determined by the Board, submit a return of the net annual income of the waqf to the Chief Executive Officer.

(3) On receipt of a return under sub-rule (1) the Chief Executive Officer shall verify the return submitted by the mutawalli and if he is satisfied of the correctness of the return may fix the annual contribution in accordance with such return. If no return is filed within time the Chief Executive Officer shall *suo motu* fix the annual contribution to be paid by the mutawalli.

(4) In case the Chief Executive Officer is of the opinion that the return submitted under sub-rule (1) is incorrect or false in any material particular, or the contents of such return do not comply with the provisions of the Act or the rules made or any order issued by the Board, he may, after calling upon the mutawalli to show cause within the time specified in the notice as to why such assessment of the return shall not be revised.

(5) The Chief Executive Officer, after considering the reply if any, received from the mutawalli concerned may assess the net annual income of the waqf to the best of his judgment or revise the net annual income as shown in the return submitted by the mutawalli and the net annual income as assessed or revised shall be deemed to be the net annual income of the waqf.

(6) Any mutawalli who is aggrieved by the decision of the Chief Executive Officer in fixing or revising the assessment may prefer an appeal to the Board within fifteen days from the date of receipt of the assessment or revision of return and the Board may after giving the mutawalli a reasonable opportunity of being heard, confirm, reverse or modify the assessment or revision of the return.

(7) Failure to submit the accounts and remittance of money in time, without proper explanation may render the removal of the mutawalli/ dissolution of the managing committee.

**57. Circumstances and conditions subject to which Board may reduce or remit contribution.—** (1) No contribution payable by a mutawalli under section 72 shall be remitted or reduced except with the previous sanction of the Board.

(2) The reduction or remission sanctioned by the Board shall be operative only for the year for which it is sanctioned. Where its continuance in subsequent year is found necessary, the Board shall give fresh sanction.

(3) The Board may, on application from a mutawalli, by order sanction remission or reduction of the contribution to be paid by mutawalli in the following cases, namely:—

- (a) loss of money, stores of articles of the waqf not due to the negligence of the mutawalli or other employees of the waqf;
- (b) loss of income due to failure of crop on account of drought or other unforeseen causes like flood;
- (c) paucity of funds due to the mismanagement of the previous mutawalli;
- (d) paucity of funds due to non-recovery of loans, advances and debt;

- (e) where the waqf supports an orphanage whose resources are insufficient for its due management; and
- (f) other causes, approved by the Board with three forth majority.

(4) Before a reduction or remission of contribution is sanctioned, the Board shall make a thorough investigation into the circumstances of each case and satisfy itself that such reduction or remission is necessary.

**58. Payment of moneys into Waqf Fund and investment of such money.**—(1) The Board shall authorize one of its officers (hereinafter referred to as "the authorized officer") to receive all payments to the Waqf Fund, to issue receipts and to make payments on behalf of the Board.

(2) The authorized officer shall be required to furnish to the Board, securities or sureties for such amount as the Board may specify in that behalf. Solvency of sureties shall be got verified by the Sub-Divisional Magistrate of the area where the official is residing at the beginning of each year.

(3) The authorized officer shall grant receipts for all moneys received by him to the credit of the Waqf Fund. Counter foil receipt bearing printed receipt numbers shall be maintained for the purpose.

(4) All such moneys shall immediately be deposited in—

- (a) a Scheduled Bank as defined in the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), or
- (b) a Post Office Savings Bank Account, or
- (c) The Himachal Pradesh State Co-operative Bank.

(5) All such deposits shall be made in the name of the Board. The Chairperson and any other member or officer of the Board authorized in this behalf by the Board shall have the powers to withdraw such deposit or any part thereof and operate on the bank account subject to such conditions as the Board may think proper.

(6) No money shall be withdrawn from the bank unless it is required for immediate payment for the purpose of the Board.

(7) The appropriation of receipts to expenditure shall, as a rule, be avoided.

(8) Payments from the Waqf Fund shall be made by cash or cheque. Cheque shall not be issued for sums less than five hundred rupees.

(9) Moneys indisputably payable shall not be left unpaid and money paid shall not be kept out of the account a day longer than absolutely necessary.

(10) Any person having a claim against the Board shall present a voucher duly verified and stamped. All vouchers shall be filled and signed in ink. The amount shall be written in figures as well as in words. All corrections and alterations in the vouchers shall be attested by the dated initials of the person signing the voucher.

(11) Receipts for all sums exceeding five thousand rupees either by cash or cheque shall bear the revenue stamp of the requisite value.

(12) An officer authorized to handle the moneys of the Waqf Fund shall be responsible for their custody and also for reimbursing to the Board, in case of any loss by theft, fraud, fire or any other cause :

Provided that if in any case, after such inquiry as the Board may make, the Board is satisfied that the loss was unavoidable and was not due to any negligence on the part of the officer responsible for the proper custody of the amount, the Board may not insist on reimbursement of the amount of the loss by the officer concerned, but may write it off.

(13) Amount not required for expenditure during the year shall be invested by the Board—

(a) in one or other of the following securities:—

- (i) promissory notes, debentures, stocks or other securities of the Central Government;
- (ii) stock or debentures of, or shares in companies, the interest wherein shall have been guaranteed by the State Government or the Central Government;
- (iii) debentures or other securities for money issued by or on behalf of any Municipal body under the authority of any Act; or

(b) in fixed deposits for a period not exceeding three years in—

- (i) a Scheduled Bank as defined in the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934); or
- (ii) The Himachal Pradesh State Co-operative Bank; or
- (iii) for the purchase or for the first mortgage of immovable property with the previous sanction of the State Government.

(14) The investment under sub-rule (13) shall not be pledged, encashed or withdrawn without the prior sanction of the Board.

(15) The Board shall cause to be maintained such books of account and other books in relation to its accounts in such form and in such manner as may be provided by the Regulations. The pages in the account books, registers, receipts, etc., shall be serially numbered and each page shall be affixed with the seal of the Board. The number of pages that each book or register contains shall be noted on the first page after actual verification by the Chief Executive Officer.

(16) It shall be the responsibility of the Chief Executive Officer to ensure that the contributions, fees, rents and other amounts due to the Board are promptly demanded, realized and credited to the Waqf Fund.

(17) The Chief Executive Officer shall be in charge of the work relating to the finance, budget and accounts of the Board.

(18) The Chief Executive Officer shall discharge the following duties and functions in relation to the budget, account and audit of the Board, namely:—

- (a) he shall be responsible for ensuring that the budget estimates of the Board are properly framed keeping in view the instructions issued by the Board and the Government in this behalf and submitted to the Board within the time schedule;
- (b) he shall scrutinize the budget proposals submitted by the mutawallis thoroughly and assist the Board in scrutinizing the budget proposals;
- (c) he shall examine and advise on all scheme of new expenditure for which it is proposed to make a provision in the budget;
- (d) he shall ensure that monthly and annual accounts of the Board are compiled properly and promptly;
- (e) he shall obtain necessary periodical returns of progress of expenditure, watch and review the progress against sanctioned amounts and issue such instructions as may be found necessary to the officers and employees of the Board;
- (f) he shall scrutinize the proposals for supplementary grants and advise the Board suitably;
- (g) he shall keep himself in regular touch with the audit objections and inspection reports of the audit and for their early settlement;
- (h) he shall keep a close watch on the recoveries of dues to the Board and repayment of loan and interest;
- (i) he shall be responsible for the maintenance of accounts of the Board;
- (j) he shall obtain periodical returns of stores and stocks and their value from the officers and review them. He shall offer his remarks on such accounts and place it before the Board;
- (k) he shall furnish any information and statistics that may be called for by the Board on matters relating to budget, accounts and audit;
- (l) he shall arrange for internal audit of accounts of the Board periodically and take urgent steps to rectify any defects noticed during such audit;
- (m) he shall report to the Board all instances of payments made contrary to the rules and regulations besides cases where payments are made in the absence of any provision in the budget estimates.

(19) The Board may prepare revised estimates during the financial year keeping in view the actual and probable expenditure during the year.

**59. Budget of the Board.**— (1) The Chief Executive Officer shall in every year prepare in Form **HPWB XXIII**, a budget in respect of the financial year next ensuing, showing the estimated receipts and expenditure during that financial year and place before the Board by 31<sup>st</sup> December.

(2) The Board shall scrutinize the budget proposal and make suitable modification, if necessary, and forward a copy of the same to the Government before 31<sup>st</sup> January.

(3) On receipt of the budget forwarded to it, the Government shall examine the same and suggest such alterations, corrections or modifications, to be made therein as it may think fit and forward such suggestions to the Board for its consideration.

(4) On receipt of the suggestions from the Government, if the Board does not agree with any modifications, corrections or alterations made by the Government in the Budget, the Board may forthwith make written representation to the Government with regard to the alterations, corrections or modifications suggested by the Government.

(5) The Government shall consider the representation of the Board and pass final orders in the matter and communicate its decision within a period of three weeks from the date of receipt of such representation.

(6) On receipt of the suggestions from the Government and if no representation has been made by the Board to such suggestions or the Government has communicated its decision regarding any representation, if any, made by the Board, the Board shall incorporate in its budget all the alterations, corrections, modifications finally suggested by the Government and the budget so altered, corrected or modified, shall be passed by the Board. A copy of the budget so passed shall be forwarded to the Government. In case no objection is received from the Government within fifteen days, the budget shall be declared to be final.

(7) If, in the course of the year, the Board finds it necessary to alter the figures shown in the budget with regard to the receipts or the distribution of the amounts to be expended on the different services undertaken by the Board, a supplemental or revised budget may be framed and got sanctioned in the manner provided in these rules and copies thereof forwarded to the Government.

(8) No sum shall be expended by the Board unless such sum is included in the budget estimates sanctioned under section 78 and in force at the time of incurring the expenditure.

---

## CHAPTER VIII

### REMOVAL OF ENCROACHMENT AND RECOVERY OF WAQF PROPERTIES

**60. Guidance subject to which the collector shall recover the property transferred in contravention of the provisions of the Act.—**(1) Upon receiving report from any person residing in the locality where the waqf property is situated or upon receiving information otherwise that a waqf property has been transferred in contravention of the provisions of section 51 or 56, the Board shall ascertain from the Register of Auqaf, maintained under section 37, if the property alleged to have been transferred is waqf property, and in case that be so, the Board shall obtain a certified copy of the deed of transfer from the registration office concerned. The Chief Executive Officer, after conducting an inquiry in the manner prescribed in rule 52 shall draw up a report specifying therein fully the waqf property, the details of the transfer deed executed in respect of the property, the name and full particulars of the person executing the deed or other document and the name with particulars of person or persons to whom the property has been transferred. The report shall also contain the result of the comparison of the details of the property with the entries in the Register of Auqaf and the result of the inquiry from the record of the Board

regarding unauthorized transfer. The report shall be put up for orders of the Board which, after considering the report of the Chief Executive Officer and inspecting such of the documents as may appear necessary and/or making inquiry from such persons as is considered reasonable, pass orders for sending a requisition to the Collector of the respective district to obtain and deliver possession of the property to the Board.

(2) The requisition to the Collector shall be drawn by the Chief Executive Officer in **Form HPWB-XVI** and sent to the Collector of the respective district through special messenger or by registered post acknowledgement due.

(3) The order passed by the Collector under sub-section (2) of section 52 of the Act, shall be in **Form HPWB- XVII**.

(4) If the person against whom an order under sub-section (2) of section 52 is issued, prefers an appeal to the Tribunal as provided in sub-section (4) of section 52, he shall send a copy of the memorandum of appeal to the Collector immediately on the day of filing the appeal and the Collector shall arrange for its defence and shall also give intimation of such appeal to the Board.

(5) (a) While obtaining possession of the property, using such force as may be necessary, as provided in sub-section (5) of section 52, no person executing the Collector's orders, shall enter any dwelling house without giving forty-eight hours' notice to the occupants of the dwelling house;

(b) No outer door of any dwelling house shall be broken open unless the occupants of such dwelling house refuse or in any way prevent access thereto ;

(c) No person executing the Collector's order shall enter any dwelling house after sunset and before sunrise.

(6) After obtaining possession of the property, the Collector or any person duly authorized by him in this behalf shall hand over the said property to the Board or to any person duly authorized by the Board on proper acknowledgement and the collector or any other person duly authorized by him in this behalf shall proceed to recover the arrears of land revenue in **Form HPWB-XXII**.

**61. Removal of encroachment of waqf premises Form of notice.**— A notice under sub-section (1) of section 54 shall be in **Form HPWB-XVIII**.

**62. Manner of service of notice and order.**—(1) A notice issued under sub-section (1) of section 54 shall be served by delivering or tendering a copy of the notice, as the case may be, to the person for whom it is intended or to any adult member of his family, or by sending it by registered post acknowledgement due or by speed post in a letter addressed to that person at his usual or last known place of residence or business, or by having it affixed on the outer door or some conspicuous part of the waqf premises.

(2) Where the copy of the notice under sub-rule (1) is delivered or tendered the signature of the person to whom the copy is so delivered or tendered, shall be obtained in token of acknowledgement of the service.

(3) In respect of a notice issued under sub-section (1) of section 54 where the person or the adult member of the family of such person refuses to sign the acknowledgement, or where such person cannot be found after using all due and reasonable diligence, or if there is no adult member

of the family of such person a copy of the notice or the order, as the case may be, shall be affixed on the outer door or some other conspicuous part of the ordinary residence or usual place of business of such person and the original shall be returned to the Chief Executive Officer who issued the notice with a report endorsed thereon or annexed thereto stating that a copy has been so affixed, the circumstances under which it was done so and the name of the person, if any, by whom the ordinary residence or place of the business was identified and in whose presence the copy was affixed.

(4) If a notice under sub-section (1) of section 54 and an order issued under sub-section (3) of section 54 cannot be served in the manner provided in sub-rule (1), the Chief Executive Officer may, if he thinks fit, direct that such notice shall also be published in at least one newspaper having circulation in the area and he may also proclaim the contents of any notice or order in the locality by beat of drum.

**63. Holding of inquiries and passing of order.**—(1) Where any person on whom a notice under this Act has been served, desires to be heard through his representative, he shall authorize such representative in writing.

(2) The Chief Executive Officer shall record the summary of the evidence tendered before him and pass order as provided in sub-section (1) of section 54 in **Form HPWB-XIX**. The summary of such evidence and any relevant document file before him shall form part of the record of the proceedings before the Tribunal.

(3) If the waqf property is not vacated within 15 days of the receipt of the notice in **Form HPWB XIX**, the Chief Executive Officer may make application before the Tribunal for grant of order of eviction for removing such encroachment and deliver possession of the waqf property to the Board or the mutawalli.

(4) The Tribunal, after giving an opportunity of being heard, to the person against whom application has been made, pass order of eviction and cause a copy of the order of eviction to be affixed on the outer door or some other conspicuous part of the waqf property.

(5) If any person fails to comply with the order of eviction passed by the Tribunal within forty five days of the service of the order, the Chief Executive Officer shall refer the matter to the Executive Magistrate of the area in **Form HPWB XX**.

**64. Manner of taking possession of waqf premises.**—(1) On receipt of application in **Form HPWB-XX** from Chief Executive Officer under section 55, the Executive Magistrate of the area shall pass an order in **Form HPWB-XXI** within one month of the receipt of application.

(2) In case the encroachment is not removed within fifteen days of the order, the area Magistrate shall proceed to remove the encroachment within a month of the expiry of the notice period.

(3) If any obstruction is offered, or in the opinion of the Executive Magistrate is likely to be offered—

(a) to the removal of encroachment taking possession of any waqf property; or

(b) to the sealing of erection of work of the waqf premises, under the Act, the Executive Magistrate may take such police assistance as may be necessary.

(4) Where any waqf premises of which possession is to be taken under the Act is found locked, the Executive Magistrate may either seal the premises or in the presence of two witnesses break open the lock or open or cause to be opened any door, gate or other barrier and enter the premises:

Provided that,—

- (a) no entry shall be made into or possession taken of a waqf property before sunrise or after sunset;
  - (b) where any waqf premises are forced open, an inventory of the articles found in the premises shall be taken in the presence of two witnesses.
- (5) The sealing under sub-rule (4) shall be made in the following manner namely:—
- (a) affixing the office seal on outer door or any erection or work of any waqf premises after all other outlets and inlets to the erection or work of waqf premises have been properly bolted, locked or encircled with rope, wire or wire mesh;
  - (b) where doors and windows have not been fixed to any erection or work of waqf premises or where the erection of work on waqf premises is of such a nature that it cannot be encircled with rope, wire or wire mesh, in that case such erection or work of waqf premises shall be covered by wooden planks, iron or cement sheets and office seal affixed in a manner that no person can enter into or upon the erection or work of waqf premises without tampering with the office seal; and
  - (c) where any erection or work or any waqf premises is found locked, the lock may be broken or any door, gate or any other barrier caused to be opened in the presence of witnesses and an inventory of the articles found in the premises shall be prepared in the presence of the two witnesses before affixing the seal in the manner aforesaid.
- (6) Whosoever, being a public servant, fails in his lawful duty to prevent or remove encroachment shall, on conviction be punishable with fine which may extend to fifteen thousand rupees for each of such offence.

**65. Assessment of damages.**—In assessing damages for unauthorized use and encroachment of any waqf premises, the Tribunal shall take into consideration the following matters, namely:—

- (a) the purpose and the period for which the waqf premises remained in unauthorized use;
- (b) the nature, size and standard of the accommodation available in such premises;
- (c) the rent that would have been realized if the premises had been let out; on rent for the period of encroachment to any other person;
- (d) any damage done to the premises during the period of encroachment;
- (e) any other matter relevant for the purpose of assessing the damages.

**66. Manner of holding inquiry by the Board.**—The Board may authorize the Chief Executive Officer or any other officer of the Board to hold inquiry under sub-section (3) of section 64. The procedure followed for such inquiry shall be the same as provided in rule 52.

**67. Manner of publication of order.**— A copy of the order passed by the Board under sub-section (2) of section 67 shall be supplied free of cost to the person adversely affected thereby and one copy of the same shall be published in one Urdu, Hindi and English/local language newspaper having circulation in the area and on such publication the order shall be binding on all persons having any interest in the waqf.

**68. Manner of consultation with the mutawalli and manner of publication of order.**— (1) Any scheme for the proper administration of the waqf under sub section (1) of section 69 shall be framed by the mutawalli or managing committee giving details as follows:—

- (a) name of the waqf;
- (b) address;
- (c) whether under the management of the mutawalli/managing committee or under the direct management of the Board;
- (d) details of the proposal;
- (e) expenditure involved;
- (f) income to be generated.

(2) The proposal shall be considered by the Board where the matter shall be put up by the mutawalli/managing committee or the applicant, The Board shall take the decision and shall communicate the same within fifteen days.

(3) The decision of the Board shall be published in the Urdu/Local language newspaper having circulation in the area.

**69. Manner of holding inquiry.**—Inquiry under clause (a) of sub-section (1) of section 71 shall be held in the same manner as prescribed in rule 52.

## CHAPTER-IX

### PROCEEDINGS IN THE TRIBUNAL

**70. Constitution of Tribunal.**— (1) The Tribunal shall be constituted by the State Government in accordance with the provisions of Section 83 of the Act.

(2) The State Government shall, by notification in the Official Gazette, appoint a person as the Chairman of the Tribunal and the State Government shall seek the concurrence of the Hon'ble the Chief Justice of H.P. high Court for appointing a District & Sessions Judge as the Chairman of the Tribunal.

Provided further that, the Chairman appointed under this rule shall be under the administrative control of the State Government.

**71. Qualifications and mode of selection of a member of the Tribunal, having knowledge of Muslim law and jurisprudence.**—(1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint the Members of the Tribunal.

(2) Appointment to the post of Member to the Tribunal under clause (b) of sub-section (4) of section 83 of the Act shall be made by transfer or deputation of a person who is an officer from the State Civil Services, equivalent in rank to that of the Additional District Magistrate:

Provided that, in case of non availability of an officer of the State Civil Services, the Government may appoint any Government Officer of the equivalent rank as a Member:

Provided further that, the Member appointed under this clause shall be under the administrative control of the State Government.

(3) Appointment of the Member of the Tribunal under clause (c) of sub-section (4) of section 83 of the Act shall be made by a Committee constituted by the Government consisting of the—

|                                                                                                  |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Additional Chief Secretary/Principal Secretary/<br>Secretary (Revenue) to the Government of H.P. | . . Chairman |
| Principal Secretary/Principal Secretary(Law) to the<br>Government of H.P.                        | . . Member   |
| Chairman or Member of the Bar Council of Himachal Pradesh                                        | . . Member   |

Provided that, the person to be appointed as a Member under this clause shall possess a degree in law and have knowledge of Muslim Law and jurisprudence :

Provided further that, the Member appointed under this clause shall be under the administrative control of the State Government.

Provided further that the person to be appointed as the Member under this sub-rule shall not be less than 45 years of age on the date of this appointment.

(4) For appointment as the Member of Tribunal under this rule, preference shall be given to the Senior Advocate having knowledge of Muslim Law, Waqf matters and having experience not less than 20 years.

**72. Age of superannuation of the Chairman and Member of the Tribunal.**—The age of superannuation of the Chairman shall be the last day of the month in which he attains the age of superannuation as per the rules applicable to him. The age of superannuation of the Member of the Tribunal appointed under sub-rule(2) of rule (71) shall be the last day of the month in which he attains the age of superannuation as per the rules applicable to him.

**73. Term of Office of chairman and Members of Tribunal.**—The term of office of the Chairman and Members of the Tribunal shall be such as may be fixed by the Government but not exceeding five years from the date assuming of their respective offices.

**74. Pay and allowances.**—(1) The Chairman of the Tribunal appointed under rule (2) of rule 70 shall be entitled to draw the salary in his respective cadre in regular pay scales alongwith such other allowances as may be fixed by the State Government from time to time, subject to usual terms of deputation as applicable to him.

(2) The Member appointed under sub rule(2) of rule(4) shall be entitled to draw the salary in his respective cadre in regular pay scales alongwith such other allowances as may be fixed by the State Government from time to time, subject to usual terms of deputation as applicable to him as a Government Servant.

(3) The terms and conditions of appointment including salary and allowances payable to the Member appointed Under Sub-rule (3) rule 71 shall be fixed by the Government by notification, separately.

**75. Removal of the Member of the Tribunal.**—The State Government may, by notification in the Official Gazette, remove the Member of Tribunal if he—

- (a) is found to be a person of unsound mind;
- (b) is an undischarged insolvent;
- (c) has been convicted of an offence involving moral turpitude, such conviction has not been reversed or he has not been granted full pardon in respect of such offence; and
- (d) refused to act or is incapable of acting or acts in a manner which the State Government, after hearing any explanation that he may offer, considers to be prejudicial to the interest of the Tribunal.

**76. The Chairman and Member to be Public Servant.**—The Chairman and the Members appointed Under Sub-rule(2) of rule 70 and Sub-rule (2) and (3) of rule 71 shall be deemed to be a public servant and shall be governed by their respective service rules or terms and conditions as applicable to them.

**77. Manner for filing Application before the Tribunal.**— (1) An Application under section 83 of the Act to the Tribunal shall be made in **Form HPWB-XXIII**.

(2) An application to the Tribunal shall be signed by the Applicant, and shall be presented by him in person or by his authorized representative to the Tribunal or to an officer authorized by it in this behalf.

(3) The application filed under sub-rule (1) shall be accompanied by documents upon which the petitioner seeks to rely.

(4) The applicant shall file alongwith the application as many as additional copies of the application and documents as the number of the respondents.

(5) The Tribunal may, in its discretion, accept an application for hearing under sub-rule (1), which is not accompanied by all or any of the documents, referred to above.

**78. Contents of the application.**—(1) Every application shall set forth a clear statement of facts concisely and under distinct and separate heads of application on which the application has been filed and such ground of facts of the application and relief claimed therein, shall be numbered consecutively.

(2) The application for interim relief shall set forth clearly and precisely any loss being caused to the applicant which cannot be adequately compensated in terms of money.

(3) The filing of all applications before the Tribunal shall be subject to compliance of mandatory provision of section 89.

(4) If mandatory provision of section 89 or any other provision of the Act or the rules is not complied with, the Tribunal shall dismiss the said application summarily.

**79. Procedure to be followed by the Tribunal.**—(1) The Registrar or an officer authorized by him in this behalf shall endorse on every application, the date on which it was presented and fix the date for appearance before the Tribunal and shall sign the endorsement in token thereof.

(2) Every application shall be registered or numbered by the Registrar or the officer authorized by him in his behalf in a register to be kept for this purpose.

(3) The Tribunal shall maintain such of the registers as prescribed for use in civil courts as may be necessary.

(4) A copy of the memorandum of application, shall be served on the other party prior to filing of the same before the Tribunal:

Provided that in cases of extreme urgency, the Tribunal may, on an application if considers expedient so to do, dispense with the service of the copy of the application on the other party.

(5) Written statement to the application preferred before the Tribunal may not be entertained after sixty days have elapsed from the date of filing the application. Provided that if the Tribunal is satisfied that the respondent was prevented by sufficient cause from filing the written statement within the said period of sixty days, it may entertain the written statement within a further period of thirty days, but not thereafter.

(6) Replication to the written statement preferred before the Tribunal may not be entertained after sixty days have elapsed from the date of filing the written statement:

Provided that if the Tribunal is satisfied that the applicant was prevented by sufficient cause from filing the replication within the said period of sixty days, it may entertain the replication within a further period of thirty days, but not thereafter.

(7) Maximum three applications each by the applicant and the respondent shall be allowed for adjournments on any ground and not thereafter.

(8) In case of division, between the members of the Tribunal decision of the majority of the members of the Tribunal shall prevail.

(9) Final hearing of any matter shall take place before the full Tribunal. Matters other than final hearing may be entertained by a single member or two members in the absence of the third member.

**80. Powers to dismiss application without sending notice to the respondent.**—The Tribunal, after considering all aspects of the application and after hearing the applicant or his authorized representative, may dismiss application, without sending notice to the respondent.

**81. Date of hearing of application, etc.**— Unless the Tribunal dismisses the application, under rule 74, it shall notify the parties the date and place of hearing of the application, etc.

**82. Proceedings to be open to public.**—The proceedings before the Tribunal shall be open to the public, Provided that the Tribunal may, if it thinks fit, order at any stage of the proceedings that the public generally or any person in particular shall not have access to or remain in the room of the Tribunal.

**83. Order of Tribunal.**—(1) The Tribunal shall decide the Application within the period of one year from the date of filing.

(2) Every order of the Tribunal shall be in writing and shall be signed and dated under its seal.

**84. Supply of copies of the order to parties.**—Every order of the Tribunal dismissing or allowing the application, shall be communicated to the parties or their authorized representatives subject to the cost as applicable to the other Tribunal.

**85. Orders and directions in certain cases.**— The Tribunal may, notwithstanding any of the foregoing provisions, give such orders or give such directions as may be necessary or expedient to secure the ends of justice.

**86. Language of the Tribunal.**— The language of the Tribunal shall be English:

Provided that the parties to a proceedings before the Tribunal, may file documents/proceedings drawn up in Urdu or Hindi if they so desire:

Provided further, that every such document/proceedings in Urdu/Local language shall be accompanied by its true translation into English.

**87. Copying fee.**—(1) Copying fee shall be charged at the rate of twenty rupees for the first hundred words or fraction thereof, and ten rupees for every additional one hundred words or fraction thereof.

(2) Except in cases where copies are supplied free under the rules or instructions for the time being in force, the scale of fee to be charged for the supply of copies urgently shall be twice the rate specified in sub-rule (1)

(3) Copying fee shall be payable in cash in advance.

(4) No fee shall be paid by the Board or its authorized representative, with respect to applications, written statements, replies, documents connected with the matter in question before the Tribunal.

(5) The amount calculated according to the scale prescribe in sub-rule (1) shall be retained by the Officer/Official authorised in this behalf by the Tribunal as copying fee and the surplus amount, if any, deposited by the party shall be refunded to him at the time of supplying the copy:

Provided that the party shall, if the amount deposited by him is not sufficient to cover the copying fee, pay the deficit before taking delivery of the copy.

(6) If such officer/Official feels any doubt about the propriety of granting copy of any document, he shall place the application before the Tribunal for orders.

(7) Persons who are not parties to any application, may be supplied with the copy of an order or document only under the order of the Tribunal and on payment of the copying fee.

(8) All copies shall be certified by the Officer/Official authorised by the Tribunal.

**88. Seal of the Tribunal.**—The official seal of the Tribunal shall be such as the State Government may specify.

**89. Code of Civil Procedure and the Himachal Pradesh High Court Rules to be generally followed.**—In deciding any question relating to the procedure not specially provided by the Act or these rules, the Tribunal shall, as far as possible, be guided by the provisions contained in the Code of Civil Procedure, 1908 and the Himachal Pradesh High Court Rules.

## CHAPTER X

### MISCELLANEOUS

**90. Board to submit Annual Report to the State Government.**—(1) The Government shall, as soon as after 1<sup>st</sup> day of July in every year, cause the Annual Report of the Board to be prepared in **Form HPWB-XXV**.

(2) The Board shall submit its Annual Report to the State Government by the end of July every year. The State Government shall finalize the Annual Report of the Board by the end of September and lay before both the Houses of State Legislature in its next session.

**91. Performance report of Board to be sent to the Central Waqf Council.**—The State Government or, as the case may be, the Board, shall furnish information to the Central Waqf Council on the performance of Board, particularly on their financial performance, survey, maintenance of waqf deeds, revenue record, encroachment of waqf properties, annual reports and audit reports in the manner and time as may be specified by the Central Waqf Council in **Form HPWB-XXI**.

**92. Suits by or against the Board.**—(1) The Chairperson or the Chief Executive Officer shall be competent to sanction;

- (a) filing of suit, writ, appeal or cases connected with a waqf matters/ property before the Tribunal/Court or any other authority;
- (b) defending of suit, writ, appeal or cases connected with a waqf matter/ property before the Tribunal/Court or any other authority.

(2) The Chairperson or the Chief Executive Officer shall be competent to appoint an advocate to file or defend a suit, writ, appeal or any other proceedings connected with a waqf matter/property before the Tribunal/Court or any other authority.

(3) The Board or any other person, authorized by the Board shall be competent to sign suit, writ, appeal and affidavit or counter reply in the cases or proceedings connected with a waqf matter/property before the Tribunal/Court or any other authority.

(4) The Chairperson or Chief Executive Officer shall be competent to authorize any employee of the Board to tender evidence or produce record on behalf of the Board before the Tribunal/Court or any other authority.

**93. Restriction on addition or alteration in the waqf property.**—A mutawalli or managing committee shall not make additions or alteration in the waqf property without the prior approval of the Board.

**94. Restriction on creation or transfer of tenancy of the waqf property.**—Any creation or transfer of tenancy of the waqf property by mutawalli or managing committee or tenant/lessee without the prior approval of the Board shall be void and of no effect.

**95. Relaxation of rules.**—The State Government may, on the recommendation of the Board, with 3/4<sup>th</sup> majority, relax any provision of the rules in the interest of waqf.

**96. Repeal of savings.**—(1) The Punjab Waqf Rules, 1964, as applicable to the State of Himachal Pradesh, are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the rules so repealed, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of these rules:

## FORM HPWB — I

[see rule 5]

### REPORT OF SURVEY COMMISSIONER TO THE GOVERNMENT

1. The number of auqaf in the State, showing Shia waqf and Sunni waqf separately ;
2. The nature and object of each waqf;
3. The gross income of the property from each waqf;
4. The amount of land revenue, cess, rates and taxes payable in respect of each waqf;
5. The expenses incurred in the realization of income and the pay or other remuneration of the mutawalli, if any, of each waqf;
6. Particulars relating to each waqf to be given as under;
  - (a) name of the waqf;
  - (b) name of the waqif, if any;
  - (c) date or the year of the creation of the waqf;
  - (d) details of the Waqf Deed;
  - (e) name of the mutawalli and his pay or remuneration, if any;
  - (f) location and nature of immovable property showing the village or town where situated alongwith the municipal or survey number, area, description of the tenure and the estimated value thereof ;
  - (g) description of movable property and value thereof, including investments and their particulars ;
  - (h) site plan of the waqf property;

- (i) encumbrances, if any, on the properties mentioned in clauses (f) to (h) above;
- (j) manner of administration of waqf, whether under the scheme settled by a court of law or by a registered document or established custom or usage;
- (k) whether the waqf is already under the general supervision of the Board;
- (l) nature and value of grant received;
- (m) total cost of survey.

SIGNATURE OF SURVERY COMMISSIONER.

**FORM HPWB-II**

(see rule 7)

**PARTICULARS OF LIST OF AUQAF**

- (1) Name of the waqf with description of the waqf property (*e.g. land building, graveyard etc.*);
- (2) Location of waqf property, stating khasra no., village in rural areas and mohalla, ward, road, and municipal number in case of urban property;
- (3) Object of the waqf;
- (4) Details of waqf properties, if immovable.
  - (a) Area, showing built up area separately.
  - (b) Boundaries; and
  - (c) Value:
- (5) Nature and value of movable property;
- (6) Date or year of creation of waqf;
- (7) Details of the Waqf Deed;
- (8) Gross receipts;
- (9) Grants received;
- (10) Nature and object of the waqf;
- (11) Gross income of property comprised in each waqf;
- (12) Amount of land revenue, cess, rates and taxes payable in respect of such property;

- (13) Expenses incurred in realization of income;
- (14) Manner of administration of waqf;
- (15) Name and address of mutawalli;
- (16) Pay or remuneration of mutawalli of each waqf, if any;
- (17) Any other particular the Board considers necessary or which the Government may, by order provide;

**Note.— Separate list shall be prepared for Sunni and Shia auqaf.**

### **FORM HPWB-III**

**[See rule 15(2)]**

#### **NOTICE FOR ELECTION OF MEMBERS OF THE HIMACHAL PRADESH WAQF BOARD**

- (1) Name of the category for which election is to be held;
- (2) Nomination papers shall be presented:
  - (a) time between:
  - (b) Place
  - (c) to whom with office address
- (3) Scrutiny of nomination papers:
  - (a) place
  - (b) date
  - (c) time
- (4) Withdrawal of nomination:
  - (a) place
  - (b) date
  - (c) time
- (5) Polling shall be held:
  - (a) place
  - (b) date

- (c) time
- (6) Counting of votes by the Election Officer:
- (a) place
- (b) date
- (c) time
- (7) Declaration of results:
- (a) place
- (b) date
- (c) Time

---

**FORM HPWB-IV**

**[See rule 15 (4)]**

**NOTICE OF ELECTION FOR THE OFFICE OF MEMBERS OF  
HIMACHAL PRADESH WAQF BOARD**

Notice is hereby given that:

- An election is to be held for the election of members of the Himachal Pradesh Waqf Board.
- Forms of nomination papers may be obtained from the place and at the time aforesaid
- Nomination paper may be delivered by a candidate or his proposer to the undersigned or to..... between 10.30 A.M to 5-00 P.M. from.....to.....
- The nomination papers will be taken up for scrutiny at..... on..... at.....
- Notice of withdrawal of candidature may be delivered by a candidate or his proposer to the undersigned or to..... at his office before 3.00 P.M. on .....
- In the event of election being contested the poll will be taken on ..... between ..... the hours.....at.....

(Specify the place where voting is to be conducted).

Place: Date:

RETURNING OFFICER

**FORM HPWB-V**

[See rule 17(1)]

**ELECTION FOR THE OFFICE OF MEMBER OF HIMACHAL PRADESH WAQF BOARD  
IN CATEGORY OF CLAUSE (b) OF SUB-SECTION (1) OF SECTION 14  
NOMINATION PAPER**

1. Full name of candidate
2. Father's or husband's name
3. Serial number of candidate in electoral roll
4. Age
5. Sex
6. Occupation
7. Address

**CANDIDATE'S DECLARATION**

I ..... declare that I am willing to stand for election and my age as shown above is correct. I also declare that:

1. I am a Muslim.
2. I am not an un discharged insolvent.
3. I have not been convicted of an offence involving moral turpitude or such conviction has been reversed or I have been given full pardon in respect of such offence.
4. I have not been in any previous occasion:
  - (a) removed from office as a member or as a mutawalli; or
  - (b) removed by an order of competent court or Tribunal from any position of trust either for miss-management or corruption.

SIGNATURE OF CANDIDATE

Endorsement by Returning Officer  
or other authorized person.

This nomination paper was presented to me..... (person) on ..... (date)  
at.....(date and hour)

SIGNATURE OF THE RETURNING OFFICER/  
OR OTHER AUTHORISED PERSON.

Decision of Returning Officer accepting or rejecting the nomination paper.

I have examined this nomination paper in accordance with rule 18 and decide as follows:—

Date.....

RETURNING OFFICER

**FORM HPWB-VI**

(See rule 18)

**RECEIPT FOR NOMINATION PAPER AND NOTICE FOR SCRUTINY**

*(To be handed over to the person presenting the nomination paper)*

Serial no. of nomination paper.....

The nomination paper of ..... a candidate for the election of member for category ..... of the ..... Waqf Board was delivered to me at ..... (hour) on ..... by the ..... candidate or a person duly authorized by him in this behalf.

All nomination papers will be taken up for scrutiny at ..... (hour) on ..... (date) at ..... (Place).

Date:

RETURNING OFFICER

**FORM HPWB-VII**

(See rule 19)

**LIST OF NOMINATIONS RECEIVED ON ..... (DATE) ..... FOR THE OFFICE OF MEMBER OF THE HIMACHAL PRADESH WAQF BOARD IN CATEGORY OF ..... SECTION 14(1) (B) OF THE ACT**

| Serial no. of nomination | Name of the candidate | Father or husband's name | Age | Occupation and address of Candidate | Electoral roll no. of candidate |
|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----|-------------------------------------|---------------------------------|
| 1                        | 2                     | 3                        | 4   | 5                                   | 6                               |
|                          |                       |                          |     |                                     |                                 |

The nomination paper will be taken up for scrutiny at ..... A.M./P.M. on ..... the date of ..... at (place).

Place:

SIGNATURE OF RETURNING OFFICER

Date:

Or Other Authorized Person

**FORM HPWB-VIII****[See rule 20(5)]****LIST OF VALIDLY NOMINATED CANDIDATES**

Election to members of the Himachal Pradesh Waqf Board in category .....of clause (b) of sub-section (1) of section 14.

| <i>SI. No.</i> | <i>Name of the candidate</i> | <i>Address of the candidate</i> |
|----------------|------------------------------|---------------------------------|
| <i>(1)</i>     | <i>(2)</i>                   | <i>(3)</i>                      |
| 1.             |                              |                                 |
| 2.             |                              |                                 |
| 3.             |                              |                                 |
| 4.             |                              |                                 |
| so on          |                              |                                 |

RETURNING OFFICER

Place:

Date:

**FORM HPWB-IX****(See rule 21)**

**NOTICE TO THE RETURNING OFFICER BY A CANDIDATE FOR MEMBERSHIP OF  
THE HIMACHAL PRADESH WAQF BOARD IN THE CATEGORY OF.....  
SECTION 14(1) OF THE ACT**

To

The Returning Officer,

I....., a candidate validly nominated at the above election do hereby give notice that I withdraw my candidature.

Place:

Date:

SIGNATURE OF CANDIDATE

This notice was delivered to me at my office at (hour) ..... on (date).....  
By.....(name).

Place:

Date:

RETURNING OFFICER

**RECEIPT FOR NOTICE OF WITHDRAWAL*****(To be handed over to the person delivering the notice)***

The notice of withdrawal of candidate by ..... a candidate at the election to the office of the ..... Waqf Board in the category of section 14(1) (b) of the Act as delivered to me at the office at .....(hour) on ..... (date).

Place:

Date:

RETURNING OFFICER

**FORM HPWB-X****[see rule 22(1)]****LIST OF CONTESTING CANDIDATES**

Election to the office of the member of the Himachal Pradesh Waqf Board in the category ..... of section 14(1) (b) of the Act

| Sl. No. | Name of the candidate | address of the candidate |
|---------|-----------------------|--------------------------|
| 1       | 2                     | 3                        |
| 1.      |                       |                          |
| 2.      |                       |                          |
| 3.      |                       |                          |
| 4.      |                       |                          |
| 5.      |                       |                          |
| Go on.  |                       |                          |

Place

Date:

RETURNING OFFICER

**FORM HPWB-XI****[See rules 23(1) and 38(1)]****DECLARATION OF RESULT OF ELECTION UNDER RULE 23(1) AND 38(1) of THE HIMACHAL PRADESH WAQF RULES, 2017**

In accordance with rule ..... of the Himachal Pradesh Waqf Rules, 2017, I declare that the following candidate has been duly elected for the office of the member of the Himachal Pradesh Waqf Board in the category of sub-clause ..... of clause (b) of sub-section (1) of section 14 of the Waqf Act, 1995.

Name:

Address:

Place

Date:

SIGNATURE OF RETURNING OFFICER

**FORM HPWB-XII****(See rule 39)****CERTIFICATE OF ELECTION**

I, ..... Returning Officer for the member/members of the Himachal Pradesh Waqf Board hereby certify and declare Shri/Smt..... s/o,w/o ..... to have been duly elected to the office of the member of the Himachal Pradesh Waqf Board in the category of sub-clause ..... of clause (b) of sub-section (1) of section 14 of the Waqf Act, 1995 and that in token thereof I have granted him this certificate of election.

RETURNING OFFICER

Place:

Date:

Secretary (.....)  
to the Government of H.P.

**FORM HPWB-XIII****[See rule 49(1)]****APPLICATION FOR INSPECTION**

Paste duplicate receipt here of application fee

To

The Chief Executive Officer,  
Himachal Pradesh Waqf Board,  
.....

Name of the applicant..... s/o,d/o,w/o/ Shri .....  
Resident of.....  
Description of the file the record of which is to be inspected.....  
Name of the tenant (if any) .....  
Name of the parties (if any) .....  
Purpose of inspection .....

Date:

SIGNATURE OF APPLICANT

Order passed on the application by Chief Executive Officer:.....  
Time of inspection .....from..... to ..... viz  
.....hours.

Inspection fee paid.....

Signature of official with designation in whose presence inspection was made.....

.....

Dated:

SIGNATURE OF APPLICANT

AFTER INSPECTION MADE

**FORM HPWB-XIV****[See rule 49(3)]****APPLICATION FOR COPY**

Paste duplicate copies of:

- Application fee receipt
- Copying charges fee receipt Rs. 10/- per entry of Gazette notification,
- Rs. 50/-per copy for A4 size & Rs. 100/- per copy for legal size
- Rs. 50/- per hour of inspection or fraction thereof

To

The Chief Executive Officer,  
Himachal Pradesh Waqf Board,  
.....

Name of applicant .....s/o, d/o, w/o..... Resident of .....  
Description of the file etc. from which the copy is required .....  
Description of property including location.....  
Name of tenant (if any) .....  
Name of parties (if any).....  
Nature of the case .....  
Name and description of the Gazette or record of which copy  
is required.....

Purpose for which copy is required *i.e.* whether it is required for private use or for filing in some  
court etc. ....

Dated:

SIGNATURE OF APPLICANT

No. of applicant in the copying registers.....  
Copying fee received with application .....  
Order passed.....

SIGNATURE OF CHIEF EXECUTIVE OFFICER

Dated: Signature of copyist

Signature of recipient of the copy.....

\_\_\_\_\_  
**FORM HPWB-XV**  
**[See rule 53(1)]**

**SEPARATE BUDGET BY MUTAWALLIES AND AUQAF UNDER THE DIRECT  
MANAGEMENT OF THE BOARD**

| Receipts                                               | Expenditure                            |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Receipts of rent from the properties                   | Salary of the employees                |
| Donation/contribution miscellaneous<br>receipt, if any | Maintenance of property expenditure    |
|                                                        | Miscellaneous expenditure with details |
| Excess of expenditure over receipt                     | Excess of receipt over expenditure     |
| 2. Actual for the current year                         |                                        |
| 3. Actual for the preceding year propose               |                                        |

**FORM HPWB-XVI***[see rule 60 (2)]*

**REQUISITION UNDER SUB-SECTION (1) OF  
SECTION 52 TO THE COLLECTOR FOR RECOVERY  
OF WAQF IMMOVABLE PROPERTY TRANSFERRED IN CONTRAVENTION OF  
SECTION 51 OR SECTION 56**

1. Details of waqf property
2. Particulars of transfer deed, if any, executed in respect of the above property
3. Name and full particulars of the person executing the deed, if any
4. Name and full particulars of the person to whom the property has been transferred
5. Result of comparison of the details of Waqf property with the entries in the register of auqaf maintained under section 37 of the Waqf Act, 1995.
6. Result of inquiry from the record of the Board regarding absence of sanction for the said transfer as required under section 51 or transferred in violation of section 56 of the Waqf Act.

Place :

CHIEF EXECUTIVE OFFICER

Dated:

HIMACHAL PRADESH WAQF BOARD

**FORM HPWB-XVII***[see rule 60(3)]***ORDER OF THE COLLECTOR FOR DELIVERING POSSESSION OF WAQF PROPERTY**

To

Shri.....

Whereas a requisition has been received under sub-rule (2) of rule 60 of the Himachal Pradesh Waqf Rules, 2017 from the Chief Executive Officer, Himachal Pradesh Waqf Board, regarding transfer of waqf property, detailed in the Schedule below in your favor by Shri ..... in contravention of section 51 or section 56 of the Waqf Act, 1995.

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 52 of the said Act, I, ..... Collector, District ..... hereby direct you to deliver possession of the said property to the ..... Waqf Board or to any person duly authorized by the said Board, within a period of thirty days from the date of service of this order failing which ejectment proceedings shall be initiated against you. If you are aggrieved by the order, you may, within a period of thirty days from the date of service of this order, prefer an appeal

to the Tribunal. In case you fail to comply with this order and do not prefer an appeal within the time specified, the said property shall be taken into possession by me or by any person duly authorized using such force, as may be necessary for the purpose and deliver it to the said Board.

Date :

SIGNATURE OF THE COLLECTOR

SEAL .....

### FORM HPWB—XVIII

(See rule 61)

#### FORM OF NOTICE UNDER SUB-SECTION (1) OF SECTION 54 OF THE WAQF ACT, 1995

To

Shri/Smt./Km. ....

Whereas I, ..... the undersigned, am of the opinion, on the grounds specified below that you are an encroacher of the waqf property mentioned in the schedule below and that you should vacate the said premises:

#### Grounds

Now, therefore, in pursuance of the provisions of sub section (1) of section 54 of the Waqf Act, 1995, I hereby call upon you to show cause on ..... as to why such an order should not be made;

And in pursuance of sub-section (3) of section 54 of the Act, I also call upon you to appear before the undersigned in person or through a duly authorized representative, capable to answer all questions connected with the matter along the evidence which you intend to produce in support of the cause shown, on..... at ..... for personal hearing. In case, you fail to appear on the said date and time, it will be presumed that you are an encroacher on the said waqf property and further action shall be taken for your eviction according to law.

#### SCHEDULE

Details of Waqf Property: SIGNATURE AND SEAL OF THE CHIEF EXECUTIVE OFFICER

Date:

### FORM HPWB-XIX

[See rule 63 (2)]

Whereas, I the undersigned, am satisfied for the reasons recorded below that Shri/Smt./Km..... is an encroacher and unauthorized occupant of the waqf premises specified in the Scheduled below:—

Now, therefore, the undersigned under section 54 of the Waqf Act, 1995, hereby order Shri/Smt./Km..... and all persons who are in unauthorized occupation of the waqf property or any part ther to vacate the said premises within 15 days of the service of this notice. In the event of refusal or failure comply with this order within the period specified above, the matter shall be referred to the Tribunal passing appropriate order.

### **SCHEDULE**

Details of waqf property:

SIGNATURE AND SEAL OF THE  
CHIEF EXECUTIVE OFFICER

### **FORM HPWB-XX**

[See rule 63(5)]

### **APPLICATION TO EXECUTIVE MAGISTRATE UNDER SECTION 55 OF THE WAQF ACT, 1995**

To

The Executive Magistrate,

.....

Whereas the Waqf Tribunal has passed an order under sub-section (4) of section 54 of the Waqf Act, 1995 on ..... (copy enclosed);

Whereas Shri./Smt./Km. .... has failed to vacate the land, building, space or other property to which the order relates, within the time specified in the order;

Whereas under section 55 of the Waqf Act, 1995, you are requested to make an order, directing the encroacher to remove the encroachment, as the case may be, vacate the land, building, space or other property and to deliver possession thereof to Shri ..... mutawalli/Secretary of the Managing Committee of the property / Waqf Board. In default of compliance with the order, remove the encroachment or evict the encroacher within one month of the receipt of this application from the waqf premises with the assistance of police.

Whereas your attention is drawn to proviso to sub-section (6) of section 7 of the Waqf Act, 1995 (as amended).

Date:

SIGNATURE AND SEAL OF THE  
CHIEF EXECUTIVE OFFICER.

### **FORM HPWB-XXI**

[See rule 64(1)]

### **ORDER BY THE EXECUTIVE MAGISTRATE**

Whereas the Tribunal has passed an order under sub-section (4) of section 54 of the Waqf Act, 1995 (copy enclosed).

And whereas Shri/Smt./Km ..... has failed to comply with the order of the Tribunal within the stipulated period;

Now therefore, in exercise of the powers conferred upon the undersigned, under section 55 of the Waqf Act, 1995, I direct, Shri/Smt./Km ..... to remove the encroachment/vacate the waqf premises within fifteen days of the service of this order, failing which Shri/Smt./Km. .... is/are liable to be evicted, if need be, by the use of such force as may be necessary.

EXECUTIVE MAGISTRATE

---

**FORM HPWB-XXII**

**[See Section-82(2) of the Waqf Act, 1995]**

**CERTIFICATE OF RECOVERY**

To

The Collector,

.....

This is to certify that an amount of (Rs.....) is due to the Waqf Board, a statutory authority under the law from Shri/Smt./Km..... in respect of the waqf property (as detailed below) on account of rent/damages/expenses/costs/interest.

In pursuance of section 82 of the Waqf Act, 1995 I, the Chief Executive Officer request you to proceed to recover the same as arrears of land revenue.

CHIEF EXECUTIVE OFFICER  
HIMACHAL PRADESH WAQF BOARD.

Details of Waqf property:

---

**FORM HPWB-XXIII**

**[See rule 59(1)]**

(Part-A)

**BUDGET ESTIMATE OF INCOME AND EXPENDITURE FOR THE FINANCIAL  
YEAR DETAILS**

| INCOME         |                                       |                                 |                                  |                                         | EXPENDITURE         |                                       |                                  |                                         |                                          |
|----------------|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Head of income | Actual for immediately preceding year | Budget estimate of current year | Revised estimate of current year | Budget estimate for next Financial year | Head of expenditure | Actual for year immediately preceding | Budget estimates of current year | Revised budget estimate for the current | Budget estimates for next financial year |
| 1              | 2                                     | 3                               | 4                                | 5                                       | 6                   | 7                                     | 8                                | 9                                       | 10                                       |
|                |                                       |                                 |                                  |                                         |                     |                                       |                                  |                                         |                                          |

|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Contributions from auqaf under section 72 (1)                     | 1. Deficit from previous year.                                                                                                                                                                                     |
| 2. Other income:-                                                    |                                                                                                                                                                                                                    |
| (a) Interest on investments and advances.                            | (a) Allowance of fees to the Chairperson or members of the Board or Committees.                                                                                                                                    |
| (b) Fees for supply of documents and other petty items.              | (b) (i) Pay of Chief Executive Officer<br>(ii) Pay of establishment in the Board's office                                                                                                                          |
| (c) Rents of land and building                                       | (c) (i) Travelling allowance<br>(ii) Other allowances                                                                                                                                                              |
| (d) Cash grants and amenities                                        | (d) (i) Rents<br>(ii) Postage<br>(iii) Stationary<br>(iv) Books and periodicals<br>(v) Electric and lighting charges<br>(vi) Telephone charges<br>(vii) Printing charges<br>(viii) Furniture<br>(ix) Miscellaneous |
| (e) Sale of securities, stocks, debenture or other valuable charges. | (e) (i) Lawyer's fee<br>(ii) Stamp charges<br>(iii) Court fees                                                                                                                                                     |
| (f) Sale of immovable properties                                     | (f) (i) Interest on loans<br>(ii) Loans and advances                                                                                                                                                               |

|                    |                                                                                                                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (g) other receipts | (g) (i) Grants and scholarships<br>(ii) Capital expenditure on land and building<br>(iii) Maintenance and repair<br>(iv) Purchase of securities |
|                    | (h) (i) Fuel for vehicles<br>(ii) Maintenance for vehicles                                                                                      |

DEFICIT at the end of the next financial year .....

### FORM HPWB-XXIII

[See rule 59(1)] (Part-B)

#### BUDGET ESTIMATE OF RECEIPTS AND PAYMENTS FOR THE FINANCIAL YEAR

| Receipt | Actual for the year immediately preceding current year | Budget estimate of current year | Revised budget estimate for current year | Budget estimate for next financial year | Head of payments | Actuals for the year immediately preceding current year | Budget estimate of current year | Revised budget estimate for current year | Budget estimate for next financial year |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1       | 2                                                      | 3                               | 4                                        | 5                                       | 6                | 7                                                       | 8                               | 9                                        | 10                                      |

Cash balance from previous year

|            |                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------|
| (i) Income | (i) Expenditure                                              |
| (ii) Loans | (ii) Payment of loans*<br>Cash balance at the end of year ** |

\* From the surplus of income over expenditure or from balance of loans, etc. when there is no surplus.

\*\* Includes advances of pay, travelling allowances and lawyer's fees.

### FORM HPWB-XXIII

[See rule 59(1)]

(Part-C)

| Actual for year immediately preceding current year | Budget estimate of current year | Revised budget estimate for current year | Head of assets | Budget estimate for next financial year | Head of liabilities | Budget estimate for next financial year | Revised estimate for current year | Budget estimate for current year | Actuals for year immediately preceding current year |
|----------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1                                                  | 2                               | 3                                        | 4              | 5                                       | 6                   | 7                                       | 8                                 | 9                                | 10                                                  |
|                                                    |                                 |                                          |                |                                         |                     |                                         |                                   |                                  |                                                     |
| Rs.                                                | Rs.                             | Rs.                                      | Rs.            | Rs.                                     | Rs.                 | Rs.                                     | Rs.                               | Rs.                              | Rs.                                                 |

**Cash balance\***  
**Deficit at the end of the year**

**Loans**

\* Includes advances of pay, travelling allowances and lawyer's fees.

### FORM HPWB—XXIII

[See rule 59(1)]  
(Part-D)

#### BUDGET ESTIMATES OF INCOME AND EXPENDITURE DURING THE FINANCIAL YEAR ABSTRACTS

| Actual for the immediately preceding year | Budget estimate for current year | Revised budget estimate for current year | Budget estimates for next year | Remarks |
|-------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|---------|
| 1                                         | 2                                | 3                                        | 4                              | 5       |
|                                           |                                  |                                          |                                |         |

Deficit at the end of the next financial year.....

### FORM HPWB-XXIII

[See rule 71(1)]

BEFORE THE TRIBUNAL .....

Between (A) ..... Applicant

Name

**Full address**

**V/S**

**B, C and D ..... Respondent**

**DETAILS OF THE APPLICATION**

**1. Particulars of the orders against which the application is made. The application is made against the following order:**

**(a) Order number**

**(b) Date**

**(c) Passed by**

**(d) Subject in brief**

**2. (a) Facts of the case**

**(b) Grounds for relief, including the relevant legal provisions in support of relief**

**3. Matters not previously filed or pending with the Tribunal or any Court including High Court/Supreme Court.**

The Applicant further declares that he had not previously filed any application/Writ Petition regarding the matter in respect of which this application is made.

In case the applicant had previously filed any application/Writ Petition, the copy of the decision should be given.

**4. Relief/Prayer**

**Verification: 1 (Name of the Application) ..... S/o,.....  
w/o..... d/o ..... age.....  
Occupation..... residing at .....  
.....do hereby verify that the contents of the Paras 1 to  
4 are true to my knowledge and information and that I have not suppressed any material  
facts.**

**(Note: Application shall be accompanied by a Court fee of rupees five hundred)**

**Date:**

**Place:**

**(SIGNATURE OF APPLICANT)**

**FORM HPWB-XXIV****[See rule 91 (1)]**

Content of the Annual Report on the working and administration of the ..... Waqf Board and the administration of auqaf in .....

**INDEX**

Section I:----- Administration and management

Section II:----- Financial position

Section III:----- Remunerative enterprises

Section IV:----- Removal of encroachment, protection and leasing of waqf property

Section V:----- Status of litigation with details of number of cases filed/defended in Tribunals and courts and the results.

Section VI:----- Development works

Section VII:----- Religious works including maintenance of mosques and shrines.

Section VIII:----- Charity

Section IX:----- Grant of educational and vocational institutions and centres

Section X:----- Any other activity

**Section 1: Administration and management****1. Jurisdiction:-**

The area and population of Muslims

Number of auqaf

Number of circle and branches, if any

Number of mutawallis

Number of the waqf institutions

Status of survey of the waqf properties

Number of new waqf registered during the year

**2. Personnel:-**

Number and names of Board members

Number of members by election and their names along with the electoral, colleges

Number of members by nomination, their names and category

Chairperson-name and date of election

Chief Executive Officer – name and period from which working

Names of other officers (office and field)

### 3. Meetings and attendance:-

Number of ordinary and special meetings of the Board and meetings adjourned meetings. Regularity in holding of Board's meetings and attendance of members in the meetings. Whether meetings of the Board held as per Rules and Regulations. If not, reason thereof.

Information regarding agenda and resolution-number of resolution tabled during the year;

passed;

discussed and withdrawn;

referred again by the Chief Executive Officer to the Board;

referred by the Chief Executive Officer to the State Government, and dropped.

### 4. Committees

Number of Standing Committees, their functions alongwith names of members.

General summary of work of each Committee, average attendance and comments of the Board regarding the Standing Committees.

5. Summary of other meetings held in the head office or elsewhere during the year.

6. Date and details of Annual General meeting of the Board

## Section II : Financial Position

1. Summary of the accounts during the year

| Head of account | Opening balance | Receipt during the year | Expenditure during the year | Closing balance |
|-----------------|-----------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------|
| 1               | 2               | 3                       | 4                           | 5               |
| Auqaf account   |                 |                         |                             |                 |
|                 |                 |                         |                             |                 |

2. Investments, loans and grants: Details of capital investments, loans and grants may be given.

3. Audit:-

1. The period for which the audit has been completed under section 80, and action taken on the audit report.

2. Cases of mis-appropriation of money by the waqf institutions and action taken under the provisions of the Waqf Act, 1995 by the Himachal Pradesh Waqf Board.
3. Cases of improvement in the finances of any waqf, whether under direct management.
4. Vigilance cases against the staff of Board.

### **Section III: Remunerative enterprises**

1. Development of waqf properties from the funds of the Board or from loans from Central Waqf Council or any other institution and the achievements thereof and increase in the income by the development of the waqf.
2. Details of any other commercial project taken by the Board.

### **Section IV: Removal of encroachments, protection and leasing of waqf property.**

Whether the list of encroachments is maintained by the Board and a programme to identify the encroachment on waqf properties is taken up by the Board. If so, details thereof.

Progress in implementation of the relevant provisions of the Waqf Act, 1995 to remove encroachments. Implementation of the orders and requisition sent to the Collector and Executive Magistrates regarding the removal of encroachment and restoration of waqf properties to be given with the action taken in detail. Problems faced by the Board in enforcement of orders to be highlighted. Information for removal of encroachment to be given in the following table:

| <b>Sl. No</b> | <b>Category of waqf</b> | <b>Number of encroachments detected</b> | <b>Number of encroachments removed</b> | <b>Number of cases where proceedings are pending</b> |
|---------------|-------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>1</b>      | <b>2</b>                | <b>3</b>                                | <b>4</b>                               | <b>5</b>                                             |
|               |                         |                                         |                                        |                                                      |

3. Leasing of waqf properties: Total number of waqf properties leased, Number of proposals for lease received and disposed of by the Board. Amount of lease, donation etc. received to be given in details.

### **Section V: Status of litigation**

1. Details of applications, suits and writ petition pending in various courts to be given. Expenditure incurred by way of counsel fees to be given in the report. The efficiency of the panel of Advocates to be examined by checking number of cases in which orders are passed in favour of the Board.
2. Number of applications filed and defended in Tribunal and writs and suits filed in other courts during the year. Expenditure on counsel fee and other expenditure in legal cases during the year to be given.
3. Regarding Tribunals, the number of appeals and applications filed their disposal by each Tribunal may be reviewed. Problems faced by the Tribunal(s) in the disposal of cases may be highlighted. The Tribunal fee collected and its remittance to the waqf fund to be examined.

**Section VI: Development works**

1. Details of construction of buildings in head office and branch offices and schools etc. with their estimate and expenditure during the year.
2. Maintenance of all such buildings mentioned in para (1) to be given with estimate and expenditure on maintenance.
3. Development and maintenance of waqf property (not religious) like boundary walls etc. with estimate and expenditure during the year.

**Section VII: Religious work**

1. Details of construction of mosques with estimate and expenditure.
2. Details of maintenance expenditure of mosques, dargahs etc. along with amount of electricity bills.
3. Amount spent on tours and other festivals.
4. Details of salary of Imams and moazzins with number in different categories.
5. Details of grants to mosques.

**Section VII: Charity**

1. Amount of pension of widows and orphans and details of their number district wise
2. Amount of pension of retired Imams with details
3. Amount of other charity, like marriage of poor girls and others
4. Amount of scholarship and number of students with classes
5. Any other expenditure

**Section IX: Grant to educational and vocational institutions and centers**

1. Details of expenditure on schools directly managed by the Board with their names, number of teaching staff etc.
2. Details of recurring grants to school, college etc. run by private organizations with the names of educational institutions.
3. Details of recurring grants to madarsa's with their names and place.  
Information of one time grant of schools, colleges, madarsa's etc. with name of institution, their address and amount of grant.
4. Details of grants to vocational centre.
5. Details of activities with expenditure on the promotion of Urdu.

**Section X: Any other activity**

1. Visit of distinguished persons and address.
2. Relationship between the Board and the Chief Executive Officer in the smooth administration of the Board.
3. Inspection of Waqf Committees, Waqf Institutions and inspection by the Chief Executive Officer or other officers and the compliance of the said inspection.
4. Action taken on the review by the Government on the annual report of the preceding year.

**Conclusion**

Any other important matter affecting the general Administration of the Board and the waqf institutions.

**CHIEF EXECUTIVE OFFICER CHAIRPERSON OF HIMACHAL PRADESH**

**WAQF BOARD FORM HPWB-XXV**  
(See rule 85)

**(Part-A)**

**Performa under sub-section (4) of section 9 of the Waqf Act, 1995 (as amended in 2013)**  
**Financial Performance**

| Sl. no. | Name of Waqf<br>full address) | Type of Waqf<br>(a) Masjid/Madarsa<br>(b) Qabristan/open land<br>(c) Dargah<br>(d) Khanqah/Peerkhana<br>(e) Imambara/Karbala<br>(f) Others (specify) | Source of Income by Waqf property<br>(a) Rent<br>(b) Donation<br>(c) Gift<br>(e) Advertisement<br>(f) Others (specify) | Annual Revenue Generated | 7% contribution U/s.72 received by the Waqf Board | Annual expenses for maintenance of the Auqaf | Grant received from<br>(a) Govt. agencies<br>(b) Private agencies | Disbursement of amount under various schemes | Number of beneficiaries |
|---------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|
| 1       | 2                             | 3                                                                                                                                                    | 4                                                                                                                      | 5                        | 6                                                 | 7                                            | 8                                                                 | 9                                            | 10                      |
|         |                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                          |                                                   |                                              |                                                                   |                                              |                         |

**(Part-B)**

**Performa under sub-section (4) of section 9 of the**  
**Waqf Act, 1995 (as amended in 2013)**  
**Survey**

| Sl. no. | Name of Waqf situated at | Year of commencement of Survey | Waqf/Survey Number | Kind of Waqf (General/Family) | Land measuring area of Waqf Property | Whether entry made in register of Auqaf<br>Yes/No | Whether Gazette Notification issued<br>Yes/No | If no, reason thereof |
|---------|--------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|
| 1       | 2                        | 3                              | 4                  | 5                             | 6                                    | 7                                                 | 8                                             | 9                     |
|         |                          |                                |                    |                               |                                      |                                                   |                                               |                       |

**(Part-C)**

**Performa under sub-section (4) of section 9 of the Waqf Act, 1995 (as amended in 2013)  
Maintenance of Waqf Deeds**

| Sl. no. | Name of Waqf property | Name of the Waqf and Year of creation | Nature of Waqf<br>(a) Alal-khair (General)<br>(b) Alal-aulad (Family) | Type of Waqf<br>(a) Masjid/Madarsa<br>(b) Qabristan/open land<br>(c) Dargah<br>(d) Khanqah/Peerkhana<br>(e) Imambara/Karbala<br>(f) Others (specify) | Specify the purpose of Waqf<br><i>i.e.</i> education, burial, welfare of the community, orphanage etc. | Details of Waqf property<br>(a) House<br>(b) Shops<br>(c) Agricultural land<br>(d) Grove/Garden<br>(e) Others (specify) | Name and mobile number of present Mutawalli |
|---------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1       | 2                     | 3                                     | 4                                                                     | 5                                                                                                                                                    | 6                                                                                                      | 7                                                                                                                       | 8                                           |
|         |                       |                                       |                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                        |                                                                                                                         |                                             |

**(Part-D)**

| Sl. No | Particulars<br>(a) Name of Waqf property<br>(b) Address<br>(c) Year of creation of Waqf<br>(d) Waqf Alal-khair (General)<br>(e) Waqf Alal-aulad (Family) | Registration of Waqf<br>(a) by deed/will<br>(b) by notification/survey<br>(c) by entry in register of Auqaf<br>(d) by user | Type of Waqf<br>(a) Masjid/Madarsa<br>(b) Qabristan/open land<br>(c) Dargah<br>(d) Khanah/Peerkhana<br>(e) Imambara/Karbala<br>(f) Others (specify) | Land measuring area of Waqf Property<br>Built up area<br>Open area | Registered revenue record<br>Yes/No | Revenue Record details<br>(a) Year of mutation<br>(b) Name of distt. office<br>(c) Book no.<br>(d) Serial no. | Mutation in the name of<br>(a) Waqf Board<br>(b) Trust/Waqf<br>(c) Individual |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | 2                                                                                                                                                        | 3                                                                                                                          | 4                                                                                                                                                   | 5                                                                  | 6                                   | 7                                                                                                             | 8                                                                             |
|        |                                                                                                                                                          |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                    |                                     |                                                                                                               |                                                                               |

Performa under sub-section (4) of section 9 of the Waqf Act 1995 (as amended in 2013) Waqf properties duly updated with Revenue Record

(Part-E)

Performa under sub-section (4) of section 9 of the Waqf Act, 1995 (as amended in 2013)

| S.No. | Name of Waqf property | Location of Waqf | Category of Waqf | Enactment No. | Year of Enactment | Whether subject matter of Waqf is in the Waqf Act, 1995 (as amended) | Whether subject matter of Waqf is in the Waqf Act, 1995 (as amended) after expiry of term |
|-------|-----------------------|------------------|------------------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     |                       |                  |                  |               |                   |                                                                      |                                                                                           |

Enactment of waqf properties

By order,

Sd/-

Additional Chief Secretary (Rev.).

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-171009, 15 जुलाई, 2017

**संख्या: पीसीएच-एचए(3)4/2007.**—इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 22-2-2017 के अन्तर्गत, जिला कांगड़ा के विकास खण्ड प्रागपुर की ग्राम सभा ढौण्टा के मुख्यालय को स्थान ढौण्टा से बदलकर मुहाल बैह में स्थापित करने हेतु प्रस्तावना द्वारा सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों से आक्षेप एवं सुझाव आमंत्रित किए गए थे तथा उपायुक्त, जिला कांगड़ा को इस सम्बन्ध में आक्षेप/सुझाव प्राप्त करने और उन पर विचार करने के उपरान्त अन्तिम सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया था;

और क्योंकि उपरोक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट अवधि के भीतर ग्राम सभा 'ढौण्टा' के मुख्यावास को 'ढौण्टा' से बदलकर 'मुहाल बैह' में स्थापित करने के संदर्भ में कोई भी आक्षेप/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 की उप-धारा (2) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन, जिला कांगड़ा के विकास खण्ड प्रागपुर की ग्राम सभा 'ढौण्टा' का मुख्यावास 'ढौण्टा' से बदलकर 'मुहाल बैह' में स्थापित करने के सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं।

आदेश द्वारा,  
(ओंकार शर्मा),  
प्रधान सचिव (पंचायती राज)।

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-171 009, 15 जुलाई, 2017

**संख्या: पीसीएच-एचए(1) 3/2013.**—क्योंकि विभाग में, जिला शिमला के विकास खण्ड रामपुर की ग्राम सभा 'धराली बधाल' का नाम बदलकर 'बधाल' रखने हेतु प्रस्तावना विचाराधीन है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का संख्यांक 4) की धारा 3 की उप-धारा (2) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला शिमला के विकास खण्ड रामपुर की ग्राम सभा धराली बधाल का नाम बदलकर बधाल रखने का प्रस्ताव करते हैं और यथा अपेक्षित संबन्धित ग्राम सभा सदस्यों की जानकारी एवं सार्वजनिक आक्षेप आमंत्रित करने के लिए हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित करने एवं जिला शिमला के उपायुक्त को, उक्त बारे सुझावों/आक्षेपों को प्राप्त करने तथा उन पर विचार करने के लिए प्राधिकृत करने के आदेश प्रदान करते हैं;

यदि ग्राम सभा धराली बधाल का नाम बदलकर बधाल रखने के संबन्ध में, संबन्धित ग्राम सभा सदस्यों को कोई आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत करना हो तो वे अपने आक्षेप या सुझाव इस अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से 30 दिनों की अवधि के भीतर उपायुक्त शिमला को प्रस्तुत कर सकेंगे। उपरोक्त नियत अवधि के अवसान के पश्चात् आक्षेप या सुझाव, जो कोई भी हों, ग्रहण नहीं किए जाएंगे;

राज्य सरकार, जिला शिमला, विकास खण्ड रामपुर की ग्राम सभा धराली बधाल का नाम बदलने के सम्बन्ध में अन्तिम अधिसूचना, उपायुक्त शिमला की सिफारिश के दृष्टिगत जारी करेगी।

आदेश द्वारा,  
(ओंकार शर्मा),  
प्रधान सचिव (पंचायती राज)।

## पंचायती राज विभाग

### अधिसूचना

शिमला-171 009, 21 जुलाई, 2017

**संख्या: पीसीएच-एचए (1) 19/2008.**—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 186 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना संख्या: पीसीएच-एचए(3)1/94-19181-362, तारीख 25 नवम्बर, 1997 द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 25 नवम्बर, 1997 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं और इन्हें एतद्वारा जनसाधारण की सूचना के लिए राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है;

यदि इन प्रारूप नियमों द्वारा संभाव्य प्रभावित होने वाला कोई व्यक्ति उक्त नियमों की बाबत कोई आक्षेप/सुझाव देना चाहता है तो वह उसे/उन्हें प्रस्तावित नियमों के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर प्रधान सचिव (पंचायती राज) हिमाचल प्रदेश सरकार को भेज सकेगा;

नियत अवधि के भीतर प्राप्त हुए आक्षेप(पों)/सुझाव(वों), यदि कोई है/हैं, पर इन नियमों को अंतिम रूप देने से पूर्व सरकार द्वारा विचार किया जाएगा, अर्थात्:—

### प्रारूप नियम

1. **संक्षिप्त नाम.**—इन नियमों का संक्षिप्त नाम, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) संशोधन नियम, 2017 है।

**2. नियम 18 का संशोधन.**—हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त नियम' कहा गया है) के नियम 18 के उप नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

“(3) ग्राम सभा, जनवरी मास में आयोजित की जाने वाली अपनी बैठक में आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट पर विचार करेगी और उसे पारित करेगी तथा अप्रैल मास में आयोजित की जाने वाली इसकी बैठक में यह पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लेखों और वार्षिक लेखा परीक्षा नोट और उत्तर, यदि कोई हों, और पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की प्रशासनिक रिपोर्ट पर विचार करेगी। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत द्वारा इसकी चार सामान्य बैठकों में प्रस्तुत कारबार की त्रैमासिक रिपोर्ट पर विचार करेगी और ग्राम पंचायत द्वारा पिछले तीन मास के दौरान उपगत मद-वार आय और व्यय को ग्राम सभा के समक्ष रखेगी। ग्राम पंचायत द्वारा निष्पादित किए जा रहे चालू विकास संकर्मों की आय और व्यय की विवरणी भी, प्ररूप-34 में बैठक में विचारार्थ और अनुमोदनार्थ रखी जाएगी।”।

**3. नियम 21 का संशोधन.**—उक्त नियमों के नियम 21 के उप-नियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

परन्तु यह कि कुटुम्ब के विभाजन की बाबत परिवार रजिस्टर में तब तक कोई प्रविष्टि नहीं की जाएगी जब तक कि इस प्रकार विभाजित (अलग हुए) परिवार के पास शौचालय न हो।”।

**4. नियम 105 का संशोधन.**—उक्त नियमों के नियम 105 के उप-नियम (6) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

“(6) जिला के उपायुक्त के सिवाय, जिला परिषद्, कृषि, पशुपालन, शिक्षा, मत्स्यपालन, खाद्य एवं आपूर्ति, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उद्यान, उद्योग, सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य, लोक निर्माण, राजस्व, ग्रामीण विकास, सामाजिक कल्याण विभाग के या जिला स्तर पर कार्यरत, राज्य या केन्द्रीय सरकार या अर्ध-सरकारी संगठन के किसी अन्य विभाग के या जिला की अधिकारिता के भीतर कार्यरत, गैर सरकारी संगठन के या पब्लिक सेक्टर उपक्रम के या प्राईवेट कम्पनियों के किसी अधिकारी/कर्मचारी से, उसकी बैठक में उपस्थित होने और उक्त विभाग या गैर-सरकारी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या प्राईवेट कम्पनियों से सम्बन्धित किसी भी विषय की बाबत, परामर्श, आदि देने की अपेक्षा कर सकेगी और प्रत्येक ऐसा अधिकारी/कर्मचारी ऐसी अध्यक्षता का पालन करेगा।”।

**5. नियम 121 का संशोधन.**—उक्त नियमों के नियम 121 के उप-नियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित नया उप-नियम अन्तस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(3) पंचायत, निदेशक के पूर्व अनुमोदन के पश्चात्, किसी भी सम्पत्ति का अर्जन कर सकेगी।”।

**6. नियम 137 का संशोधन.**—उक्त नियमों के नियम 137 में,—

(क) “पंचायत ऐसे किसी व्यक्ति को नियुक्त नहीं करेगी जो उस पंचायत के किसी पदाधिकारियों का निकट सम्बन्धी (भाई, पिता, दादा, पत्नी, ससुर, साला, चाचा, पुत्र, पौत्र, दामाद, भतीजा, साला, पत्नी, बहन, बहनोई, माता, पुत्री, सास, बहू और पति) हो या उसे नैतिक पतन सहित किसी भी दण्डनीय अपराध का दोषी पाया गया हो। 58 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पश्चात् किसी भी कर्मचारी को पंचायत की सेवा में नहीं रखा जाएगा” शब्दों अंकों और चिन्हों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

(i) कोई भी पदाधिकारी चयन समिति में सम्मिलित नहीं किया जाएगा यदि वह किसी अभ्यर्थी, जिसने पंचायत में किसी पद के लिए आवेदन किया है, का निकट सम्बन्धी (पिता, दादा, ससुर, मामा, चाचा, पुत्र, पौत्र, दामाद, भाई भतीजा, साला, पत्नी, बहन, बहनोई, माता, पुत्री, भतीजी, सास, बहू और पति) है;

(ii) कोई भी व्यक्ति पंचायत द्वारा नियोजित नहीं किया जाएगा यदि वह नैतिक अधमता से अन्तर्वलित किसी दाण्डिक अपराध के लिए सिद्धदोष है; और

(iii) पंचायत के किसी भी कर्मचारी, जैसा कि सरकारी कर्मचारियों के लिए उनकी सेवानिवृत्ति के मामले में लागू है, सेवानिवृत्ति के पश्चात् सेवा में नहीं रखा जाएगा।"। और

(ख) उप नियम (2) में, "अपने कर्मचारियों को" शब्दों के पश्चात्, "जहां ऐसे उपबन्ध सेवा नियमों की विनिर्दिष्ट नियुक्ति और शर्तों में विहित नहीं किए गए हैं" चिन्ह और शब्द रखे जाएंगे।"।

**8. नियम 141 का संशोधन.**—उक्त नियमों के नियम 141 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"अभिलेखों और वस्तुओं का प्रत्युद्घरण करने की शक्ति (अधिनियम की धारा 144) धारा 144 के प्रयोजन के लिए यथास्थिति, ग्राम पंचायत के अभिलेखों और वस्तुओं के प्रत्युद्घरण (पुनः प्राप्ति) के लिए खण्ड विकास अधिकारी या समिति के अभिलेखों और वस्तुओं के प्रत्युद्घरण के लिए पंचायत अधिकारी या परिषद् के अभिलेखों और वस्तुओं के प्रत्युद्घरण के लिए उपायुक्त विहित प्राधिकारी होगा।"।

आदेश द्वारा,  
(ओंकार शर्मा)  
प्रधान सचिव (पंचायती राज)।

[*Authoritative English text of this Department Notification No. PCH-HA (1)19/2008-II, dated 21-7-2017 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India.*]

## PANCHAYATI RAJ DEPARTMENT

### NOTIFICATION

Shimla-9, the 21<sup>st</sup> July, 2017

**No. PCH-HA(1)19/2008.**—In exercise of the powers conferred by section 186 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 4 of 1994), the Governor of Himachal Pradesh, proposes to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Panchayati Raj (General) Rules, 1997, published in the Rajpatra, Himachal Pradesh, dated the 25<sup>th</sup> November, 1997 *vide* Notification No. PCH-HA (3)1/94-19181-362, dated 25<sup>th</sup> November, 1997, and the same are hereby published in the Rajpatra, Himachal Pradesh for the information of the general public ;

If any person likely to be affected by the draft rules has any objection(s)/ suggestions(s) to make with regard to the said rules, he may send the same to the Pr. Secretary (Panchayati Raj) to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-171002, within a period of thirty days from the date of publication of the proposed rules in the Rajpatra, Himachal Pradesh;

The objection(s) suggestion(s), if any, received within the stipulated period shall be taken into consideration by the State Government before finalizing these rules, namely:—

## DRAFT RULES

**1. Short title.**—These rules may be called the Himachal Pradesh Panchayati Raj (General) Amendment Rules, 2017.

**2. Amendment of rule 18.**—In rule 18 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj (General) Rules, 1997 (hereinafter referred to as the ‘said rules’), for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

“(3) The Gram Sabha, in its meeting to be convened in the month of January, shall consider and pass the budget for the following financial year and in its meeting to be convened in the month of April, shall consider the accounts of the preceding financial year and annual audit note and replies, if any, made and the report of administration of preceding financial year. The Gram Sabha shall also consider a three monthly report of the business submitted by the Gram Panchayat in the four general meetings and item-wise income and expenditure incurred by the Gram Panchayat during past three months shall be placed before the Gram Sabha. Income and expenditure statement of the ongoing development works being executed by Gram Panchayat shall also be placed in the meetings in Form-34 for consideration and approval.”.

**3. Amendment of rule 21.**—In rule 21 of the said rules, after sub-rule (2), the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided that no entry with regard to separation of the family shall be made in the Pariwar Register unless having access to the toilet to the family so separated.”.

**4. Amendment of rule 105.**—In rule 105 of the said rules for sub-rule (6), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

“(6) Except Deputy Commissioner of the District, the Zila Parishad may require any officer/official of the Agriculture, Animal Husbandry, Education, Fisheries, Food and Supplies, Health and Family Welfare, Horticulture, Industries, Irrigation and Public Health, Public Works, Revenue, Rural Development, Social Welfare Departments or any other Department of the State or the Central Government or Semi Government Organization serving at the district level or Non Government Organization or Public Sector Undertaking or Private Companies serving within the jurisdiction of the district to attend its meeting and tender advice etc. in respect of any matter which concerns the said Department or Non Government organization or Public Sector Undertaking or Private Companies to which such officer/official belongs and every such officer/official shall comply with such requisition.”.

**5. Amendment of rule 121.**—In rule 121 of the said rules, after sub-rule (2), the following new sub-rule shall be inserted, namely:—

“(3) A Panchayat may acquire any property after the prior approval of the Director.”.

**6. Amendment of rule 137.**—In rule 137 of the said rules,—

(a) In sub-rule (1) for the words, signs and figures “No person shall be employed by a Panchayat, if he is a near relative (father, grandfather, father-in-law, maternal or paternal uncle, son, grandson, son-in-law, brother, nephew, brother-in-law, wife, sister, sister’s husband, mother, daughter, niece, mother-in-law, daughter-in law and husband)

of any of its members or if he has been convicted of any criminal offence involving moral turpitude. No employee of the Panchayat shall be retained in service after he has attained the age of 58 years.”; the words and signs

“(i) that no office bearer shall be included in the selection committee, if he is a near relative (father, grand father, father-in-law, maternal or paternal uncle, son, grandson, son-in-law, brother, nephew, brother-in-law, wife, sister, sister’s husband, mother, daughter, niece, mother-in-law, daughter-in-law and husband) of any of the candidate who has applied for any post in the Panchayat;

(ii) that no person shall be employed by a Panchayat if he has been convicted of any criminal offence involving moral turpitude; and

(iii) that no employee of the Panchayat shall be retained in service after he has attained the age of superannuation as is applicable in the case of Government servants for their retirement.” shall be substituted.; and

(b) In sub-rule (2), after the word “employees”, the sign and words “where such provision has not been prescribed in the specific appointment and conditions of services rules”.

**7. Amendment of rule 141.**—In rule 141 of the said rules, for sign and words the words “articles and money” wherever these occurred the word “and articles” shall be substituted.

By order,

Sd/-

*Pr. Secretary (Panchayati Raj).*

**In the Court of Sh. Arindam Chaudhary, I.A.S., Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate, Hamirpur, Himachal Pradesh**

In the matter of :

Rakesh Kumar aged 24 years s/o Shri Jagdish Chand, r/o Village & P.O. Dhaned, Tehsil & District Hamirpur (H.P.).

and

Bhag Dei aged 21 years d/o Shri Chander Shekhar, r/o Village Markhan, P.O. Jhatingri, Tehsil Paddar, District Mandi (H.P.)

*..Applicant*

*Versus*

General Public

Subject.— Notice under the Special Marriage Act, 1954.

Rakesh Kumar and Bhag Dei have filed an application u/s 16 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavit and other supported documents in the court of undersigned in which they stated that they solemnized marriage on 03-07-2017.

Therefore, the General Public is hereby informed through this notice that any person who has any objection for this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 16-08-17. The objection received after 16-08-17 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 12-07-2017 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-  
Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,  
Hamirpur (H.P.).

ब अदालत समाहर्ता एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी बड़सर, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0

अरविन्द कुमार बनयाल सुपुत्र रमेश सिंह बनयाल, गांव व डा0 भकरेडी, त0 बड़सर, जिला हमीरपुर  
हि0 प्र0। ..वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी ने इस न्यायालय में अपनी पत्नि के नाम को Service Document Indian Navy में दुरुस्त करवाने हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि वीना बनयाल पत्नि अरविन्द कुमार बनयाल गांव व डा0 भकरेडी, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर, हि0प्र0 को वीना कुमारी के वास्तविक नाम से जाना व पढ़ा जाए।

आज दिनांक 12-07-2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
सहायक समाहर्ता एवं तहसीलदार,  
बड़सर, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0।

ब अदालत श्री नरेश कुमार सतउं, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल,  
जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती नाम

तारीख पेशी : 11-08-2017

श्री दिनेश धीमान पुत्र गुरदास धीमान, निवासी महाल कोतवाल लाहड, डा0 मौजा व उप-तहसील  
थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) .. प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—प्रार्थना-पत्र दुरुस्ती नाम ग्राम पंचायत बटाहण, उप-तहसील थुरल।

इशतहार मुस्त्री मुनादी :

प्रार्थी श्री दिनेश धीमान पुत्र गुरदास धीमान, निवासी महाल कोतवाल लाहड़, डा0 मौजा व उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ पत्र पीठासन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया है कि उसका नाम आधार कार्ड, दसवीं परीक्षा प्रमाण-पत्र व पैन कार्ड में दिनेश धीमान व उसके पिता का नाम गुरदास धीमान दर्ज है व उसका व पिता का विख्यात व सही नाम भी दिनेश धीमान व गुरदास धीमान ही है परन्तु ग्राम पंचायत बटाहण में उसका व उसके पिता का नाम क्रमशः दिनेश धीमान व गुरदास धीमान के बजाए दिनेश कुमार व गुरदास गलत दर्ज हो गया है। अतः अब प्रार्थी अपने व पिता के नाम की ग्राम पंचायत बटाहण, उप-तहसील थुरल में दुरुस्ती करवा करके दिनेश कुमार के बजाए दिनेश कुमार उपनाम दिनेश धीमान व पिता का नाम गुरदास के बजाए गुरदास उपनाम गुरदास धीमान दर्ज करवाना चाहता है। अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए इस मुस्त्री मुनादी चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी व उसके पिता के नाम की पंचायत अभिलेख बटाहण, उप-तहसील थुरल में दुरुस्ती करवा करके दिनेश कुमार के बजाए दिनेश कुमार उपनाम दिनेश धीमान व पिता का नाम गुरदास के बजाए गुरदास उपनाम गुरदास धीमान दर्ज करवाने बारे किसी किस्म की आपत्ति या उजर हो तो वो तारीख पेशी 11-08-2017 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है। अन्यथा बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व नाम दुरुस्ती का आदेश पारित कर दिया जाएगा।

यह इश्तहार आज दिनांक 03-07-2017 को मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,  
थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

-----  
**ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील खुण्डियां,  
जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)**

केस नं0 : 19/2017/Misc.

तारीख पेशी : 08-08-2017

श्री मान चन्द पुत्र श्री हरि सिंह, निवासी गांव डल मौजा टीहरी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.—जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत मृत्यु तिथि पंजीकरण।

नोटिस बनाम : आम जनता

प्रार्थी श्री मान चन्द पुत्र श्री हरि सिंह, निवासी गांव डल मौजा टीहरी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया कि उसकी माता स्व0 श्रीमती विमला देवी की मृत्यु दिनांक 9-12-1993 को गांव डल मौजा टीहरी में हुई थी का पंजीकरण कानून की जानकारी न होने के कारण ग्राम पंचायत मझीण के अभिलेख में दर्ज न हो सकी है। अतः मृत्यु तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत मझीण, तहसील खुण्डियां के अभिलेख में दर्ज किया जाये।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिया इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 08-08-2017 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेर समायत न होगा।

तथा श्री मान चन्द पुत्र श्री हरि सिंह, निवासी गांव डल मौजा टीहरी, की माता श्रीमती विमला देवी की मृत्यु तिथि का पंजीकरण दिनांक 9-12-1993 जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत ग्राम पंचायत मझीण के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 10-7-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

-----

### कार्यालय सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

केस नं0 : /तहसील/2015

उनवान मुकद्दमा : 23-08-2017

दिलवाग सिंह बगौरा बनाम चैत सिंह बगौरा

निम्न प्रत्यार्थी नम्बरान को बजरिया इश्तहार :

1. चेत राम पुत्र श्री मंगात राम, 2. राम लाल पुत्र बलवन्त सिंह, 3. बन्सी लाल पुत्र श्री बलवन्त सिंह, 4. हंस राज पुत्र बलवन्त सिंह, 5. औकार पुत्र जैसी राम, 6. राकेश कुमार पुत्र श्री रणियां राम, 7. मदन लाल पुत्र श्री रणियां राम, 8. उषा देवी पुत्री श्री रणियां राम, 9. गीता देवी पत्नि स्व0 श्री रणियां राम 10. (A) वलविन्दर सिंह पुत्र श्री प्रकाश चन्द, (B) पंकज कुमार पुत्र श्री प्रकाश चन्द, (C) रीना कुमारी पुत्री श्री प्रकाश चन्द, (D) श्रीमती रुक्मणी देवी पत्नि स्व0 श्री प्रकाश चन्द, 11. राम लोक पुत्र भगत राम, 12. शमशेर सिंह पुत्र श्री चूहड सिंह, 13. जसबीर सिंह पुत्र श्री राम सिंह, 14. मुकेश कुमार पुत्र श्री राम सिंह, 15. कुमारी मनू वाला पुत्री श्री राम सिंह 16. उषा देवी पत्नि स्व0 श्री राम सिंह निवासीगण बडूखर, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

विषय.—इश्तहार तकसीम

उपरोक्त मुकद्दमा वाला में उक्त प्रतिवादीगण को इश्तहार के माध्यम से इत्तलाह करवाएं कि खाता नम्बर 269 व खाता नम्बर 270 मुकद्दमा में निर्धारित तिथि 23-08-2017 को इच्छुक हिस्सेदार केस की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन इस न्यायालय में हाजिर आएँ अन्यथा नियमानुसार एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर मुकद्दमा का निपटारा कर दिया जाएगा। इतहार रिपोर्ट उपरोक्त निर्धारित तारीख से पूर्व किया जाना आवश्यक है।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,  
इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

-----

### ब अदालत जनाब नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

मिसल नं0 : 16/N.T/2013

तारीख पेशी : 10-08-2017

1. श्री यशपाल सिंह पुत्र श्री मनी राम, निवासी पलाख, डा0 भोग्रवां, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

2. पूजा देवी पुत्री श्री हजारी राम, निवासी मुकेरियां, डा0 मुकेरियां, तहसील मुकेरियां, जिला होशियारपुर, पंजाब हाल पत्नि श्री यशपाल सिंह पुत्र श्री मनी राम, निवासी पलाख, डा0 भोग्रवां, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0। प्रार्थीगण।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 8(4) हिमाचल प्रदेश विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.

इशतहार राजपत्र

प्रार्थीगण श्री यशपाल सिंह पुत्र श्री मनी राम, निवासी पलाख, डा0 भोग्रवां, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 व पूजा देवी पुत्री श्री हजारी राम, निवासी मुकेरियां, डा0 मुकेरियां, तहसील मुकेरियां, जिला होशियारपुर, पंजाब हाल पत्नि श्री यशपाल सिंह पुत्र श्री मनी राम, निवासी पलाख, डा0 भोग्रवां, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि उसने अपने विवाह का पंजीकरण तिथि 02-12-2012 ग्राम पंचायत पलाख के अभिलेख में दर्ज नहीं है जोकि दर्ज की जाए।

अतः इस इशतहार राजपत्र के द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त विवाह पंजीकरण करने बारे किसी भी व्यक्ति को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 10-08-2017 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में उपस्थित होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। कोई एतराज पेश न होने की सूरत में जन्म पंजीकरण के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 10-07-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी  
इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

ब अदालत श्री दीक्षांत ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, शाहपुर,  
जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

अरविन्द्र सिंह पुत्र मिलखी राम, निवासी अम्बाड़ी, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

विषय.—महाल भाटी के राजस्व रिकार्ड में नाम की दुरुस्ती बारे।

प्रार्थी ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित दरखास्त गुजारी है कि उसका नाम तहसील शाहपुर के राजस्व अभिलेख के महाल भाटी में अरविन्द्र सिंह पुत्र मिलखी राम दर्ज है। जबकि प्रार्थी के सभी प्रकार के अन्य दस्तावेजों में सही नाम अरविन्द्र सिंह पुत्र मिलखी राम दर्ज है प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपने सही नाम अरविन्द्र सिंह पुत्र मिलखी राम का इन्द्राज करवाना चाहता है।

अतः इस इशतहार के द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के नाम की दुरुस्ती करने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 28-07-2017 को असालतन

या वकालतन हाजिर अदालत आकर एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद कोई उजर जेरे समायत न होगा।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,  
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री दीक्षांत ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, शाहपुर,  
जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

कमर सिंह पुत्र साहिब सिंह, निवासी चड़ी, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

विषय.—महाल चड़ी व गिलड़भेड़ा के राजस्व रिकार्ड में नाम की दुरुस्ती बारे।

प्रार्थी ने इस न्यायालय में शपथ-पत्र सहित दरखास्त गुजारी है कि उसका नाम तहसील शाहपुर के राजस्व अभिलेख के महाल चड़ी व गिलड़भेड़ा में कंवर सिंह पुत्र साहिब सिंह दर्ज है, जबकि प्रार्थी के सभी प्रकार के अन्य दस्तावेजों में सही नाम कमर सिंह पुत्र साहिब सिंह दर्ज है। प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपने सही नाम कमर सिंह पुत्र साहिब सिंह का इन्द्राज करवाना चाहता है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के नाम की दुरुस्ती करने बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 28-07-2017 को अदालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद कोई उजर जेरे समायत न होगा।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,  
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, कल्या, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)

श्रीमती सावित्री पत्नी स्व0 श्री सिंग राज, निवासी गांव रिकांगपिओ, तहसील कल्या, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता ग्राम कोठी रिकांगपिओ, तहसील कल्या, जिला किन्नौर, हि0 प्र0।

दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती सावित्री ने इस अदालत में प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है कि उनके पुत्र नीरज कुमार का जन्म दिनांक 16-10-2005 को हुआ है जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत कोठी में दर्ज नहीं किया गया है को अब दर्ज करने बारे आदेश जारी करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म तिथि ग्राम पंचायत कल्पा के रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 18-08-2017 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव, ग्राम पंचायत कोठी को उक्त जन्म पंजीकरण करने बारे आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 13-07-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी कर दिया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।

-----

**ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी सैंज,  
जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश**

ओम प्रकाश पुत्र श्री बुद्धि चन्द, निवासी गांव शलैष, डा0 ब्रैहिन, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.—राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती बारे।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ओम प्रकाश पुत्र श्री बुद्धि चन्द, निवासी गांव शलैष, डा0 ब्रैहिन, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में एक प्रार्थना पत्र शपथपत्र सहित पेश किया है कि उसके पिता का नाम राजस्व रिकार्ड फाटी रोट-1, कोठी भलाण, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू में प्रीतम चन्द दर्ज है जोकि गलत है। जबकि ग्राम पंचायत तलाड़ा के परिवार रजिस्टर भाग-1 में इसका नाम बुद्धि चन्द दर्ज है जोकि सही है। प्रार्थी ने अनुरोध किया है कि उसके पिता का नाम राजस्व रिकार्ड फाटी रोट-1, कोठी भलाण, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू में प्रीतम चन्द के स्थान पर बुद्धि चन्द दर्ज किया जाए।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे कोई एतराज हो तो दिनांक 7-8-2017 तक असालतन या वकालतन प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर इस कार्यालय में पेश कर सकता है अन्यथा इसे दर्ज करने का आदेश जारी किया जाएगा।

आज दिनांक 07-07-17 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
सैंज, जिला कुल्लू।

**ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी/कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील सैज,  
जिला कुल्लू, हि० प्र०**

हेम राज पुत्र स्व० श्री यान चन्द, निवासी गांव शुकारी, डा० रोपा, उप-तहसील सैज, जिला कुल्लू,  
हिमाचल प्रदेश प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

विषय.— राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती बारे।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री हेम राज पुत्र स्व० श्री यान चन्द, निवासी गांव शुकारी, डा० रोपा, उप-तहसील सैज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में एक दरखास्त गुजारी है कि राजस्व रिकार्ड फाटी सुचैहण में इसका नाम हिम राज पुत्र स्व० यान चन्द दर्ज है जोकि गलत है जबकि ग्राम पंचायत सुचैहण के रिकार्ड में प्रार्थी का नाम हेम राज पुत्र स्व० यान चन्द दर्ज है जोकि सही है। इसकी दुरुस्ती बारे प्रार्थी ने एक शपथपत्र भी दिया है कि राजस्व रिकार्ड फाटी सुचैहण, कोठी वनोगी में इसका नाम हिम राज पुत्र स्व० यान चन्द के स्थान पर हेम राज पुत्र स्व० यान चन्द दर्ज किया जावे।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस न्यायालय में दिनांक 07-08-2017 या इससे पूर्व प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत रिकार्ड में करवा दिया जाएगा।

आज दिनांक 07-07-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी/कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
उप-तहसील सैज, जिला कुल्लू, हि० प्र०।

**In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Balh,  
District Mandi, H. P.**

In the matter of :—

1. Sh. Lalit Kumar s/o Shri Munshi Ram, Village & P.O. Khakhariana, Tehsil Balh, District Mandi, H. P.
2. Smt. Kamini Sharma d/o Shri Dalip Kumar, r/o Village Kehar, P.O. Rajgarh, Tehsil Balh, District Mandi, H.P. at present wife of Sh. Lalit Kumar s/o Shri Munshi Ram, Village & P.O. Khakhariana, Tehsil Balh, District Mandi, H. P. . . Applicants.

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of Marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Sh. Lalit Kumar s/o Shri Munshi Ram, Village & P.O. Khakhariana, Tehsil Balh, District Mandi, H. P. and Smt. Kamini Sharma d/o Shri Dalip Kumar, r/o Village Kehar, P.O. Rajgarh, Tehsil Balh, District Mandi, H.P. at present wife of Sh. Lalit Kumar s/o Shri Munshi Ram, Village & P.O. Khakhariana, Tehsil Balh, District Mandi, H. P. have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 03-02-2017 according to Hindu rites and customs at Village & P.O. Khakhariana, Tehsil Balh, District Mandi, H. P. and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 14-08-2017. After that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 13<sup>th</sup> day of July, 2017 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,  
Balh, District Mandi (H.P.).*

ब अदालत श्री गुरमीत जी० नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील रोहडू,  
जिला शिमला, हि० प्र०

श्री विरेन्द्र पुत्र श्री गोविन्द राम, निवासी चौहान निवास, रोहडू डा० व तहसील रोहडू, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। प्रार्थी

बनाम

आम जनता

उनवान मुकदमा.—दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत।

इस कार्यालय में श्री विरेन्द्र पुत्र श्री गोविन्द राम, निवासी चौहान निवास, रोहडू डा० व तहसील रोहडू, जिला शिमला, हि० प्र० ने प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि वह और उसका परिवार पिछले कई सालों से चौहान निवास, वार्ड नं०-2, हास्पीटल रोड रोहडू, डा० व तहसील रोहडू, जिला शिमला, हि० प्र० स्थान पर रहते आ रहे हैं किन्तु उसका व उसके परिवार का नाम नगर परिषद् रोहडू के परिवार रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया है। तथा उसके व उसके परिवार के नाम को दर्ज करने के आदेश सचिव, नगर परिषद् रोहडू, तहसील रोहडू को दिये जावें। परिवार का विवरण निम्न प्रकार से है :-

| क्रम संख्या | नाम                 | सम्बन्ध |
|-------------|---------------------|---------|
| 1.          | विरेन्द्र           | मुख्या  |
| 2.          | स्नेहलता            | पत्नि   |
| 3.          | अनिरुद्ध सिंह चौहान | पुत्र   |

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त का नाम तिथि नगर परिषद् रोहडू में दर्ज करने में किसी प्रकार का एतराज व उजर हो तो वे दिनांक 28-08-2017 को असातन/वकालतन हाजिर हो कर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर/एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जावेगा कि प्रार्थी व उसके परिवार का नाम नगर परिषद् में दर्ज करने हेतु कोई आपत्ति नहीं है तथा नाम नगर परिषद् रोहडू में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 13-07-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

श्री गुरमीत जी० नेगी,  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
तहसील रोहडू, जिला शिमला (हि० प्र०)।